खण्ड-269, अंक-2
बुधवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1888
(10 अगस्त, 1966 ई0)

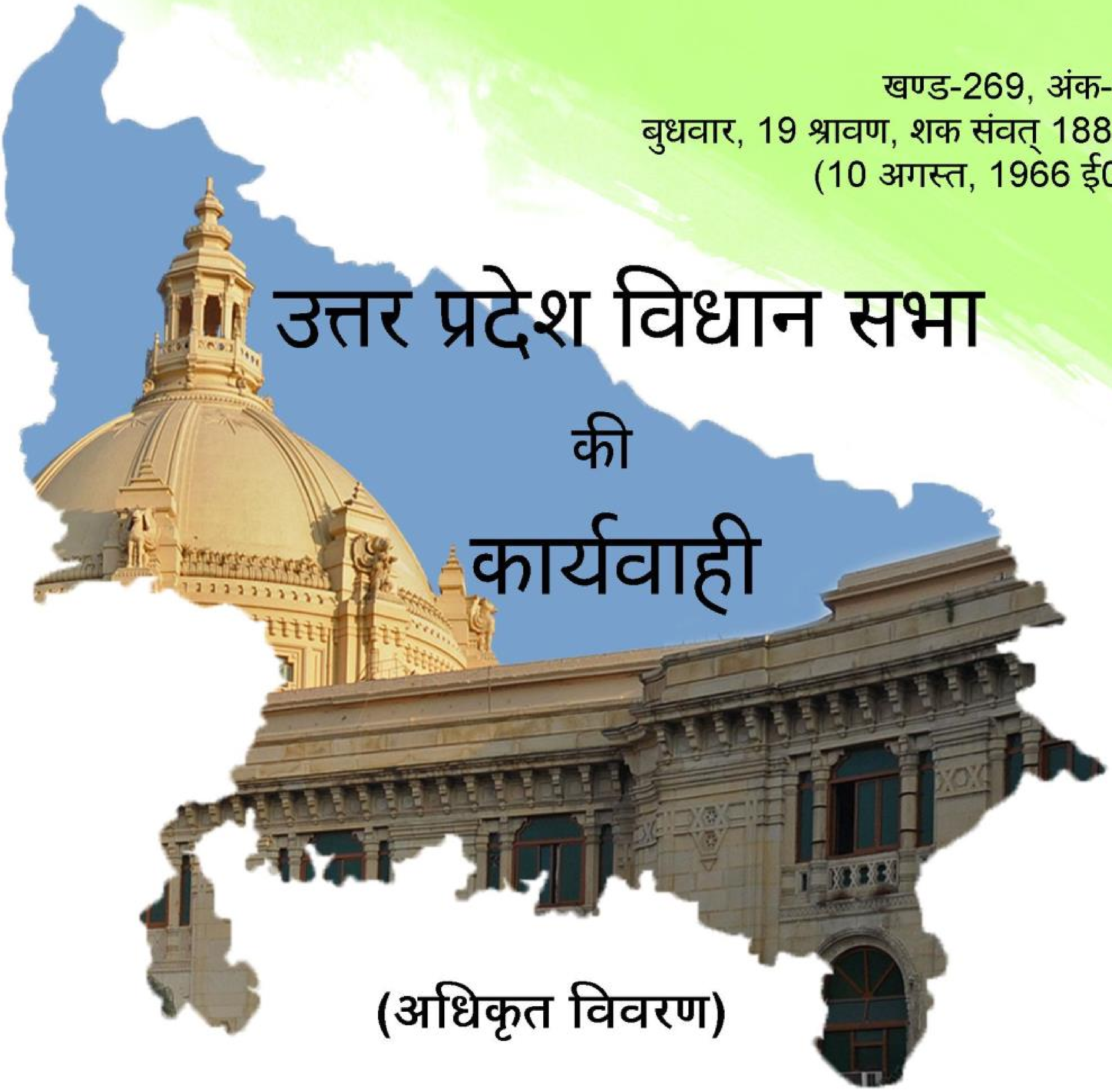

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 269 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार १० अगस्त, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३७४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त ,श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

मनेजीलाल चौधरी, श्री
मथाप्रसाद, श्री
मथाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीजाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री

गीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री

राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय लक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धूसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १० अगस्त, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सुभाष इंटर कालेज, आंवला में बरामद तमंचा के लिये जांच का आश्वासन

**१—श्री रामेश्वर नाथ (जिला बरेली) तथा श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह जुलाई, १९६६ में श्री सुरजन सिंह पाल एस० ओ० आंवला, जिला बरेली के लड़के जो उनके साथ थाने में ही रहते हैं, उनके पास से कितने नाजायज हथियार और कारतूस बरामद हुये ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्री सुरजनसिंह पाल एस० ओ० के लड़के के पास से कोई नाजायज हथियार और कारतूस नहीं बरामद हुए ।

**२—श्री रामेश्वर नाथ तथा श्री भगवान सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग, बरेली ने श्री सुरजन सिंह पाल, एस० ओ० आंवला, जिला बरेली के लड़के के खिलाफ जुलाई, १९६६ में कोई मुकदमा आरम्स ऐक्ट का कायम किया है ? यदि हां, तो क्या पुलिस विभाग श्री सुरजन सिंह पाल की प्रार्थना पर फाइनल रिपोर्ट देने जा रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं ।

फाइनल रिपोर्ट लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामेश्वरनाथ —

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि श्री सुरजनसिंह पाल, एस० ओ० आंवला के लड़के से उनके स्कूल में उनके बस्ते में एक रिवाल्वर और एक कारतूस बरामद हुआ जिसकी सूचना प्रिन्सिपल ने एस० ओ० को दी लेकिन वहां कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई । वह रिवाल्वर और कारतूस रखवा लिये गये और प्रिन्सिपल ने उसे उस स्कूल से निकाल दिया परन्तु उस लड़के ने बरेली में एडमिशन ले लिया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह बात ऐसी नहीं है । स्कूल में उसकी डेस्क से एक तमंचा मिला और उस पर पुलिस को सूचना दी गई । पुलिस ने उसके डेस्क से निकाल लिया । वहां चार-पांच लड़के बैठते थे । वह मामला अभी इन्वेस्टीगेशन में है कि वह कहां से आया और किसका तमंचा है ।

श्री रामेश्वर नाथ—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसी एक लड़के को क्यों निकाला गया और लड़कों को क्यों नहीं निकाला गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी हमें सूचना नहीं है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि वह तमंचा किस बोर का था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वह देशी तमंचा था ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि उनको सबसे पहिले इसकी सूचना कब प्राप्त हुई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

१३ जुलाई को १० बजे प्रिन्सिपल सुभाष इन्टर कालेज ने इसकी थाने में लिखित सूचना भेज दी थी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिस समय यह तमंचा बरामद हुआ उसकी रिपोर्ट थाने में प्रिन्सिपल द्वारा लिखवा दिये जाने पर भी थाने में वह रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई । इस संबंध में क्या जांच कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने कहा पहिले ही कि उन्होंने जो भी लिखित सूचना दी है जब तक उसकी जांच न हो जाय तब तक हम क्या कर सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रिन्सिपल ने थाने में जो लिखित सूचना दी है उसकी प्रतिलिपि क्या उनके पास है ? यदि है तो उसे पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी प्रतिलिपि हमारे पास नहीं है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बात देखते हुए कि वह एस० ओ० का लड़का है और वह भी आंवला में पोस्टेड है और उनका लड़का सुभाष इन्टर कालेज, आंवला में ही तालीम पाता था और सत्य बात यह है उसी के पास से ही तमंचा बरामद हुआ और प्रिन्सिपल ने रिपोर्ट की । रिपोर्ट थाने में लिखी नहीं गई जिस तरीके से लिखी जानी चाहिये थी । बाद में जो कोई कार्यवाही की हो वह बात अलग है । जब एस० ओ० ने दबाया तो प्रिन्सिपल ने उसको सर्टिफिकेट ईश्यू भी कर दिया वरना जुलाई में किसी को निकाला नहीं जाता । ऐसी स्थिति में और लोकल पुलिस का इन्फलुएन्स होते हुए क्या सरकार इसकी प्राविन्शियल सी० आई० डी० द्वारा जांच करवायेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रिंसिपल ने जो भी रिपोर्ट दी और जिसको भी लिखा हो, हमारे सर्किल अफसर इसकी जांच कर रहे हैं । चार, पांच लड़के वहां थे ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी हुई, यदि हां, तो किस की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

गिरफ्तारी नहीं हुई ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

थानेदार लोग आमतौर पर बेगुनाहों को फंसाने के लिये ऐसे तमंचे रखते हैं और यह भी ऐसा ही तमंचा एस० ओ० का लड़का घर से लाया । तो क्या मंत्री जी इसकी प्राव्हीन्स स्तर पर सी० आई० डी० द्वारा जांच करावेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कोई स्पैसीफिक बात हो तो देखा जाय ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह तमंचा किस स्थान से बरामद हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

डैस्क से मिला ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सरकार के या वहां के जिला अधिकारियों के पास पहले से सूचना थी कि सुरजनसिंह-पाल दरोगा वहां ५।। साल से है और उनका लड़का तमंचे, पिस्तौल इत्यादि इधर-उधर से लाकर डकैतों को देता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह लगभग एक साल से ही वहां है ।

श्री रामेश्वरनाथ—

जिस डैस्क से तमंचा निकला उस पर कौन बैठा था और किस का बस्ता उस पर था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

तलाशी के समय रामबिलास मिश्रा, उसके बाईं ओर जगदीश, दाईं ओर राजेन्द्र और पीछे कल्यानसिंह था जो एस० ओ० का लड़का है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या यह सही है कि थानेदार ने जानबूझ कर प्रिंसिपल की रिपोर्ट दर्ज नहीं की ताकि उसके लड़के पर मुकदमा न चल सके ?

श्री बंशीधर पांडेय—

नहीं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

बरामदगी के समय उस डैस्क पर कौन लड़का था और किसने बरामदगी की, डैस्क पर बस्ता किसका था और उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

रामबिलास, जगदीश और राजेन्द्र थे ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

किस आधार पर मंत्रीजी कहते हैं कि जो रिपोर्ट भेजी, वह लिखी गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो मैंने नहीं कहा । उनकी लिखित सूचना थाने में अपराध संख्या १५५, धारा २५ आर्म्स ऐक्ट में दर्ज हुई । उसकी तफतीश हो रही है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

एस ओ० का डी० एस० पी० से घनिष्ट निकट का संबंध होता है । बरेली के समाचार पत्रों ने प्रकाशित भी किया है कि तमंचा एस० ओ० के लड़के से ही बरामद हुआ । तो क्या सरकार एस० पी० या सी० आई० डी० से जांच करावेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो एस० पी० से जांच करा देंगे ।

उत्तर प्रदेश भूमि अध्याप्ति (प्रतिकर) समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

**३—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट संबंधी कम्पेन्सेशन देने के लिये राजस्व विभाग की जो रिपोर्ट है सरकार उसे कब तक कार्यान्वित करने जा रही है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

रिपोर्ट राजस्व विभाग की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश भूमि-अध्याप्ति (प्रतिकर) समिति, १९६३ की है । इस समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही जारी है ।

श्री कमलासिंह यादव—

समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

किसी भूमिधर को देय प्रतिकर की जो आय हो उससे सीरदार द्वारा देय मालगुजारी की १५ गुने धनराशि घटाकर जो धनराशि आवे वह सीरदार को देय प्रतिकर हो। शासन ने घटाने वाली धनराशि २० गुना रक्खी है। वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन हेतु राजस्व परिषद् से आलेख्य संशोधन की प्रतीक्षा है।

श्री कमलासिंह यादव—

यह कब तक ऐक्ट के रूप में परिणत हो जायगा ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की स्वीकृति आने पर।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

१५ या २० गुने से अब दाम बहुत बढ़ गये हैं। तो सरकार बाजार रेट पर मुआवजा मिले इस पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

विचार तो हो ही रहा है और सारी स्थिति को समक्ष रख कर ही हो रहा है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

जैसा कि उन्होंने बताया कि समिति की रिपोर्ट सन् ६३ की है और वह शासन के विचाराधीन है और ऐक्ट बनाने के लिये उसमें केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। तो जब आप पूर्ण रूप से उस रिपोर्ट के अनुसार काननी अधिकार प्राप्त कर लेंगे उस वक्त तक यानी सन् ६३ से अब तक जो जमीन ली जायगी, उसका मुआवजा भी आप उसी नये रेट से दे सकेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है, सन् ६३ से अभी तक की अवधि के लिये ही कार्यवाही हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह समिति की रिपोर्ट उनके पास कब आई और क्या भारत सरकार से अनुज्ञा मांगने के लिये उन्होंने कोई पत्र लिखा है और यदि लिखा है तो कब लिखा है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

ठीक तारीख तो मैं नहीं बता सकता लेकिन कई सीढ़ियों से यह मामला गुजर चुका है और कोई तसाहुली नहीं की जा रही है, विधिवत् कार्यवाही हो रही है।

श्री कमलासिंह यादव —

माननीय राजस्व मंत्री जी ने सदन में घोषणा की कि बाजार मूल्य के बाद १५ प्रतिशत तक कीमत दी जायगी उस घोषणा के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री रामकुमार शास्त्री —

उसमें यह है कि मार्केट वेल्यू और उससे निकटतम देंगे इसके अतिरिक्त मुझे किसी घोषणा की जानकारी नहीं है।

रामपुर जिले में बंदोबस्त लगान

**४—श्रीमती किश्वरआरा बेगम (जिला रामपुर)—

क्या सरकार कृपया बताने का कष्ट करेगी कि वे जिला रामपुर के बढ़े हुये लगान को कब तक दूसरे जिलों के बराबर करने जा रही है और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

रामपुर जिले के लगान अथवा मालगुजारी में कोई वृद्धि नहीं हुई है । इसको दूसरे जिलों के बराबर करने के कोई कानूनी माने नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्रीमती किश्वरआरा बेगम —

क्या सरकार बताने की मेहरबानी करेगी कि रामपुर के किसानों पर पड़ोसी जिलों के मुकाबले में जो इतना लगान बढ़ा हुआ है जो वहीं पर दुगुना और कही पर तिगुना है उसमें सरकार ने अभी तक क्या कमी की है और उसको दूसरे जिलों के बराबर लाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

बराबर करने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता एक ही जिले में किस्म जमीन पर असेसमेन्ट में फर्क होता है अन्य जिलों से तुलना का सवाल नहीं है वहां का लगान औसतन फी एकड़ ८ रुपया ५८ पैसा है और पड़ोसी जिलों में भी ५ रुपया और ६ रुपया के करीब है । बरेली में ६.९३ रुपया है, मुरादाबाद में ५.४० रुपया है, बदायूं में ४.१५ रुपया है और पीलीभीत में ४.५४रुपया है। उन के यहां ठेकेदारी सिस्टम था उसमें कुछ लगान का रेट अधिक होगा और प्रादेशिक सरकार ने उसमें से ९२ हजार कम कर दिया है । अभी १११ मवाजियात और बाकी है उन के बारे में भी अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वह छानबीन करके एक मास में सबको बराबर कर के ठीक कर दें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

रामपुर के लगान को ठीक करने का मसला लगभग ३ साल से शासन के सामने है और ३ साल बीत जाने के बाद अब भी १११ गांवों का मामला बाकी रह गया है, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां का लगान क्यों नहीं कम किया जाता और क्या पोजीशन है ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

यह इतनी जटिल समस्या थी और यह गांव इतने बिखरे हुये थे कि उन को तलाश करने में दिक्कत हो रही थी पिछली बार मैं भी वहां हाजिर हुआ था और अधिकारी भी काफी जागरूक है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) —

प्रदेश के अन्य जिलों में मालगुजारी फिक्स करने का जो आधार है, क्या रामपुर जिले में भी वही आधार अप्लाई होता है या नहीं, और यदि नहीं, तो क्या वहां भी वही आधार अप्लाई किया जायगा ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

जब रियासत हमारे पास आई तो वहां पर लगान कहीं कम था कहीं ज्यादा था और उसको देखकर हमारी सरकार ने यह तय किया कि जहां पर सर्किल रेट के सवाये से अधिक लगान होता था उसको मिनिमाइज कर के एक सवाया कर दिया जाय ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ है। मैंने यह पूछा था जो आधार लगान तय करने का अन्य जिलों में है वही उस जिले में है और जब यह जिला सरकार के कब्जे में आया तो वे ही उसूल बरते गये ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

श्रीमान्, जब लगान तय किया जाता है तो बन्दोबस्त होता है।

श्री अध्यक्ष —

उनका मतलब यह है कि सेटिलमेंट या बन्दोबस्त जो होता है उसके कुछ निर्धारित नियम हैं। जिनके आधार पर लगान या मालगुजारी मुकर्रर होती है तो ये पूछना चाहते हैं कि प्रदेश में जो साधारणतया नियम हैं उन्हीं के आधार पर क्या यहां भी हुआ है ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

सेटिलमेंट तो ६४ में होने वाला है। अब वहां की स्थिति जो खराब है उसको हम म्यूट्रलाइज कर रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

माननीय मंत्री जी ने बताया कि लगान जो है वह फी एकड़ ५ रुपये से ११ रुपये के बीच में है अर्थात इसमें ६–७ रुपये फी एकड़ का डिफरेन्स है। तो जब आप सेटिलमेन्ट कराने को तैयार नहीं हैं तो इस डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है जिससे किसानों को राहत मिल सके ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया हमारे अधिकारी वहां पर गये थे। वहां पर १११ गांव हैं जिनका सवाया के हिसाब से ठीक करना है।

श्रीमती किश्वरआरा बेगम —

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक अमल दरामद हो जायगा ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

वे लोग जून में गये थे। उन्हें यह आदेश दिए गये थे कि एक महीने में ठीक कर दिया जाय। एक महीने का वक्त तो खत्म हो गया है और रिपोर्ट आने वाली ही है।

श्री बे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)

रामपुर जिले में लगान ज्यादा है। यह बिल्कुल निश्चित है और सरकार ने भी माना है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी इसको प्रेस करते आये हैं कि एवरेज रेट वहां का ज्यादा है। तो क्या माननीय मंत्री जी जब तक वे रिवाइज न करें जो आपने ४ आने का सरचार्ज बढ़ाया है उसको हटाने की कृपा करेंगे ताकि एवरेज लगान बराबर हो जाय ?

श्री रामकुमार शास्त्री —

जी नहीं।

रजा बुलन्दशुगर फैक्टरी, रामपुर पर किसानों का बकाया

**५—श्रीमती किश्वरआरा बेगम—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि रामपुर के गन्ना उत्पादकों को १९६५–६६ का कितना रुपया रजा बुलन्द शुगर फैक्टरी, रामपुर के ऊपर है और सरकार ने यह रकम उत्पादकों को दिलाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है और सरकार यह रुपया उत्पादकों को दिलाने का कब तक इरादा रखती है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

प्राप्त सूचनानुसार १-८-१९६६ को रजा बुलन्द शुगर फैक्टरी, रामपुर पर १९६५-६६ सीजन का गन्ने का मूल्य ५८.५३ लाख रुपया बकाया था। गन्ना आयुक्त ने निर्दिष्ट चीनी मिल के विरूद्ध उक्त रकम की शीघ्रातिशीघ्र वसूली के लिये रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है।

श्रीमती किश्वरआरा बेगम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिकवरी आर्डर्स जो सरकार जारी करती है उन पर कब तक अमल होगा और रकम का जो बंटवारा होगा क्या वह केन यूनियन द्वारा होगा या किसानों को दिया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो आर्डर्स दे दिए गये हैं। रुपये के बटवारे का जहां तक प्रश्न है वह हमेशा ही केन यूनियन द्वारा होता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय —

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिकवरी आर्डर्स कब जारी हुए और संबंधित जिलाधीश मिलों की चीनी को अटैच करके किसानों को पैसा क्यों नहीं देते ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

रिकवरी आर्डर का मतलब ही यह है कि वह तुरन्त अमल में आये। जहां तक चीनी को अटैच करने का प्रश्न है चीनी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया रिलीज करती है। आजकल परिस्थिति यह है कि चीनी बहुत ज्यादा है। इसलिये दाम देने में थोड़ी दिक्कत होती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस मिल ने काश्तकारों को पैसा बिल्कुल दिया ही नहीं है इसलिये ५८ लाख रुपया बाकी है, तो क्या कारण है जो इस मिल ने बिल्कुल ही रुपया नहीं दिया, इस बारे में भी कोई अब तक जांच की है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी बात नहीं है। १३५ लाख रु० था जिसमें से ७६ लाख रु० दे दिया। ५८ लाख रु० नहीं दिया जिसके रिकवरी सर्टिफिकेट कलेक्टर ने इश्यू कर दिये।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह मिल नवाब रामपुर की है और क्या यह भी बतायेंगे कि इसके पहले इस की रिकवरी के लिये आदेश आपने पहले भी दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या अमल दरामद हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नवाब रामपुर के कुछ शेयर हो सकते हैं। यह मिल उनकी नहीं है। इस मिल को मार्डनाइज करने के लिये काफी रुपया इस में लगाया गया इससे थोड़ी दिक्कत हो गयी।

श्री रियासत हुसैन—

रामपुर मिल के ऊपर किसानों का रुपया बकाया रह जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि रामपुर रजा बुलन्द फैक्टरी हमेशा अपनी तरफ से किसानों को रुपये की अदायगी करती है

कभी यूनियन के द्वारा नहीं देती। तो क्या मंत्री जी ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि आइन्दा इस फैक्टरी का रुपया यूनियन के द्वारा पेमेन्ट किया जाया करे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना तो मेरे पास अभी नहीं है नोटिस चाहिये। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी दिक्कत यह हो गयी है कि उन की चीनी बिक नहीं रही है और बहुत सा रुपया करीब १ करोड़ मिल को मौडरनाइज करने में लगा दिया और बैंक की गारन्टी नहीं है इसलिये ऐसा हो गया है।

श्रीमती किश्वरआरा बेगम —

जब तक किसानों को रकम मिलेगी तब तक मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि किसानों को सरकार ने क्या सहूलियत दी है और जब तक रकम का बटवारा होगा तब तक किसानों की क्या सहायता सरकार करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

सरकार तो एक ही काम कर सकती है, मिल को पैसा देना है हमने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिये।

श्री रघुनाथसिंह —

मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गन्ना मिलों के द्वारा गन्ना उत्पादकों का बकाया रख लेना एक सामान्य चलन हो गया है जिसकी गूंज आये दिन यहां हुआ करती है, तो क्या कोई ठोस व्यवस्था मंत्री जी करेंगे जिससे इस प्रकार की नौबत ही न आये और गन्ना उत्पादकों को राहत मिले ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

जी हां, ऐसी व्यवस्था हमने की थी और आप ने देखा कि पहले करीब-करीब जितने गन्ने के दाम थे वह सब के सब कृषकों को दिला दिये।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन गन्ना किसानों को कीमतें नहीं मिल रही हैं उनको क्या मंत्री जी उनकी बकाया पर सूद दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? और यदि हां तो किस दर पर उन्हें सूद दिया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

सूद देने का इसमें विधान है और उस का प्रावीजन कर दिया है। साढ़े ७ परसेंट सूद वह देंगे।

श्री उग्रसेन —

इस बात को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश के तमाम गन्ना मिल मालिकों पर करीब ढाई करोड़ रुपया से ज्यादा गन्ना किसानों का दाम बाकी है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रिकवरी सर्टिफिकेट के बाद भी जिन मिलों ने गन्ना किसानों का दाम नहीं दिया तो क्या ऐसी मिलों को अपने नियंत्रण में लेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नियंत्रण में अभी तो लेने की बात नहीं उठती। लेकिन इस बात का प्रयास करेंगे कि गन्ने का दाम जल्दी से जल्दी दिलायें।

बरेली तथा पीलीभीत चीनी मिलों पर बकाया

**६—श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर) तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बतायेगी कि बरेली नगर तथा पीलीभीत की शुगर फैक्टियों पर १९६५-६६ के सीजन का गन्ने की कीमत का कितने लाख रुपया बकाया है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

प्राप्त सूचनानुसार १ अगस्त, १९६६ को निर्दिष्ट चीनी मिलों पर १९६५-६६ सीजन का गन्ने की कीमत की जो रकम बकाया थी वह इस प्रकार है —

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	गन्ने के मूल्य की बकाया रकम (लाख रुपयों में)
१	बरेली	.. ११.९८
२	पीलीभीत	.. ४.२६

**७—श्री हरीश कुमार गंगवार, श्री जगन्नाथ राव तथा श्री राजेन्द्र सिंह —

क्या सरकार को जानकारी है कि गन्ने का मूल्य न मिलने के कारण किसानों में बड़ा असंतोष है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ने की कीमत किसानों को व्याज समेत दिलायेगी?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा —

गन्ना आयुक्त ने उपर्युक्त उल्लिखित बरेली तथा पीलीभीत चीनी मिलों के विरुद्ध ६५-६६ सीजन के गन्ने के मूल्य की बकाया रकम तथा उस पर देय व्याज की वसूली के लिये रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर किया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

यह देखते हुये कि गन्ना कैश क्राप है जिसकी कीमत काश्तकार को तुरन्त मिल जानी चाहिये और प्रदेश में दो तीन फैक्टरीज ऐसी हैं जो गन्ना डालने के बाद तुरन्त पेमेंट कर देती हैं, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जैसे ही काश्तकार गन्ना डाले मिल तुरन्त पेमेंट कर दिया करे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

यह बात सही कि कुछ मिलें ऐसी हैं जो तुरन्त पेमेंट दे दिया करती हैं लेकिन जिनके पास साधन नहीं होते उनको दिक्कत है। गन्ने की हालत यह है कि हम गन्ना मिल को न दिलायें तो दूसरी जगह उसकी खपत नहीं है। इस साल गन्ना ज्यादा पैदा हुआ और चीनी बिकी नहीं इसलिये कुल मिलों की हालत ऐसी हो गयी कि वह पैसा जल्दी नहीं दे सकीं।

श्री जे० पी० मिश्र —

रामपुर, बरेली तथा पीलीभीत में करीब करीब उत्तर प्रदेश की सारी मिलों में काश्तकारों के दाम बाकी हैं करोड़ों पयों में। तो इतनी महंगाई के समय में क्या सरकार कोई ठोस कदम सिद्धान्तों के आधार पर उठा कर यह प्रयन्न करेगी कि बकाया वसूली इसी सीजन में ही जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

सरकार ने इसीलिये ३० परसेंट रिकवरी के आर्डर्स ईश्यु कर दिये हैं।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार उठा लेकिन आपने एक दफा भी मौका नहीं दिया। इसलिये मैं आपके इस रवैये के खिलाफ वाक आउट ५ मिनट के लिये करता हूं

(श्री जगदम्बा प्रसाद ने सदन का परित्याग किया ।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जिस तरह से सरकार दो अथवा ४ रुपया बकाया लगान वारंट तथा कुर्की के जरिये वसूल करती है तो क्या सरकार उसी तरह से रामपुर, पीलीभीत तथा बरेली मिलों के मैनेजर तथा मालिकों को वारंट के जरिये गिरफ्तार करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

गिरफ्तार करने का प्रश्न नहीं उठता। पेमेंट कराने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री राम अधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

कृषक ही एक ऐसा वर्ग है जो सरकार के आदेश पर बिना पैसा पाये मिल को अपना सामान दे देता है तो क्या सरकार सेल्स टैक्स की तरह से उसका बकाया १८ परसेंट सरचार्ज लगवा कर मिल मालिक से पेमेन्ट करायेंगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

काश्तकारों की सुविधा के लिये सरकार हमेशा प्रयत्न करती रहती है। पारसाल एक शुगर मिल से हमने काश्तकारों को गन्ने की पेशगी रकम तक दिलवा दी थी।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्री ऊदल का सवाल यह था १८ परसेंट सरचार्ज बकाया पर सेल्स टैक्स की तरह से सरकार काश्तकारों को भी दिलवाये लेकिन मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर न दे कर गोलमोल उत्तर दिया कि वह किसानों से हमदर्दी रखते हैं। उनसे स्पष्ट उत्तर दिलवाया जाय ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री भीखालाल —

जो मिल मालिकों के खिलाफ रिकवरी सार्टिफिकेट्स जारी किये हैं इससे साफ जाहिर है कि बकाया लगान की तरह वसूली की जाय। मालगुजारी के संबंध में वारन्ट गिरफ्तारी, वारंट कुर्की भी जारी किया जा सकता है। मंत्री जी ने बताया कि वारंट गिरफ्तारी जारी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब किसानों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाता है तो मिलमालिकों के खिलाफ वह क्यों नहीं जारी हो सकता ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

हमारा उद्देश्य यह है कि गन्ने का दाम मिले। गन्ने की स्थिति आज यह है कि परसाल जैसा मैंने बताया हमने प्रयास यह किया था और करीब ६० करोड़ रुपया जो गन्ने का दाम था वह सब मिलमालिकों से दिला दिया था और कोई बकाया नहीं रह गया था। इस साल हालत यह हो गयी कि गन्ना इतना ज्यादा था और चीनी इतनी ज्यादा जमा हो गयी कि वह बिकती नहीं जब तक सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट उसको रिलीज नहीं करती। मिलमालिक बैंक से रुपया ले लिया करते थे लेकिन बैंक से ऐडवान्स की लिमिट भी अब खत्म हो गयी है इसलिये बैंक भी अब रुपया नहीं

देते। गिरफ्तारी करने से अगर रुपया वसूल हो जाय तो उसमें सरकार को कोई एतराज है। यह तो कलेक्टर का काम है और कलेक्टर को हमने कह दिया है कि वसूली करो।

श्री अध्यक्ष—

माननीय जगदम्बा प्रसाद पांच मिनट से ज्यादा सदन से बाहर रहे हैं। उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है। (हंसी)

श्री भानुप्रतापसिंह—

तीन चीनी मिलों का मुख्य रूप से नाम लिया गया जिनके यहां किसानों का रुपया बकाया है। उनमें से एक चीनी मिल को मैं जानता हूं कि उसने कांग्रेस कोष में चुनाव लड़ने के लिये चन्दा दिया है। यदि मंत्री जी को वास्तव में किसानों से सहानुभूति है तो क्या जब तक किसानों का रुपया वसूल न हो जाय जब तक वे कांग्रेस के लिये चन्दा नहीं लेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपको तो यह शिकायत होनी नहीं चाहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि रिकवरी सार्टिफिकेट मिलों के खिलाफ जारी हो गये हैं और दूसरी तरफ उन्होंने यह कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट चीनी को रिलीज नहीं करती है तो हम कैसे रिकवरी सार्टिफिकेट्स के बाद भी दाम मिलने की उम्मीद करें या उस मिल को अटैच कर पायेंगे। तो इस सम्बन्ध में जो अव्यवस्था पैदा हो गयी है उसको दूर करने के लिये मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार से क्या पत्र व्यवहार किया कि गन्ने का दाम किसानों को दिला दिया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो बताया कि हमने प्रयास किया था और सात साल के प्रयास के बाद आपने नतीजा देखा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

इसका कोई उत्तर नहीं आया कि क्या पत्र-व्यवहार सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से किया।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

जो मिलें मिलमालिकों के हाथ में हैं उनकी तो बात दूसरी है लेकिन जो मिलें सरकार के नियन्त्रण में हैं उनका रुपया क्यों नहीं अदा हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो मिलें सरकार के नियंत्रण में हैं और दाम नहीं दे सकी हैं तो यह तो साफ मालूम है कि उनकी कोई ऐसी परिस्थिति है, चीनी नहीं बिकती है या बैंक से रुपया नहीं मिल रहा है जिसके कारण दाम अदा नहीं कर पाये हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी दो बातें बताने की कृपा करेंगे ? पहली बात यह कि रिकवरी सार्टिफिकेट्स जारी करने के बाद उनकी कोई प्रापर्टी अटैच की गयी या और कोई कार्यवाही उस सम्बन्ध में की गयी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? दूसरी मौलिक बात यह है कि आपने कहा कि चीनी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट रिलीज करती है और वह कर नहीं रही है इसलिये पैसा नहीं दिला पाये। तो क्या इतने दिनों के अन्दर उन्होंने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को चीनी रिलीज करने के लिये या डिकंट्रोल करने के लिये लिखा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

जहां तक रुपया वसूल करने का काम है हम कलेक्टर को लिख देते हैं कि वे रिकवरी सर्टीफिकेट इश्यू करके वसूल करें। अब उन्होंने क्या कार्य वाही की है, आप बरेली के रहने वाले हैं, आप उनसे पूछ लें। बहरहाल हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, रिकवरी सर्टीफिकेट ईश्यू हो जाते हैं लेकिन उनकी प्रापर्टी वगैरा के अटैच करने की कोई कार्यवाही नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष--

आपका कहना ठीक है। रिकवरी सर्टीफिकेट तो इश्यू कर देते हैं लेकिन वह चाहते हैं कि जो जिला अधिकारी हैं उनको भी ताकीद होनी चाहिये कि वे रुपया वसूल करने का पूरा प्रयास करें। दूसरी बात यह है कि चीनी रिलीज करने के लिये आपने केन्द्रीय सरकार को लिखा या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जहां तक रिकवरी सर्टीफिकेट की बात है कलेक्टर को आर्डर्स गये कि वे दाम वसूल करने का प्रयास करें और वे करते रहते हैं और यह भी हुआ है कि कभी कभी मिल को अटैच भी कर लेते हैं और कई दफा उन्होंने ऐसा किया है और कोशिश की है कि इधर-उधर से लाकर पैसा देने का प्रयास किया है क्योंकि कोई भी मिल वाला पसन्द नहीं करता है कि उनकी जायदाद अटैच कर ली जाय। सरकार प्रयत्नशील है कि जितनी सहूलियत हो सके दी जाय। कुछ तो बैंक रेट की बात है और रिलीज करने की बात है। समय समय पर हम भारत सरकार को लिखते रहते हैं जिससे गन्ने का दाम वसूल हो सके।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

इसके सम्बन्ध में मंत्री जी ने लिखा है या नहीं ? और लिखा है, तो कब ?

श्री अध्यक्ष --

उन्होंने कहा है कि हम लिखा करते हैं। इसके संबंध में उन्होंने नहीं लिखा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सुबेहा डिस्पेंसरी का भवन

*१--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले के सुबेहा नामक स्थान पर चल रही सरकारी डिस्पेंन्सरी खराब हालत में एक किराये के मकान में चल रही है जिससे वहां के स्टाफ को कार्य में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार ने इस औषधालय के भवन-निर्माण की ओर क्या कार्यवाही की है ?

श्री बंशीधर पांडेय --

जी हां। मकान मालिक से मकान की मरम्मत के बारे में बातचीत चल रही है। साथ ही नयी इमारत बनवाने के लिये जमीन हासिल करने की कोशिश की जा रही है।

* २—श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि उक्त औषधालय के लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है और भवन की लागत के एस्टीमेट सरकार के पास आ गये हैं ? यदि हां, तो इस भवन के निर्माण पर कितना धन व्यय होगा और कब तक कार्य प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

अभी भूमि प्राप्त नहीं की गयी है अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार इस क्षेत्र के पिछड़ेपन तथा विभागीय स्थानीय कर्मचारियों को कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाने हेतु औषधालय, डाक्टर तथा कम्पाउन्डर तथा मरीजों के लिये आवास-गृह बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यदि नई इमारत बनी, तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

प्रश्न १ के उत्तर में बताया है कि उसकी मरम्मत के लिये बातचीत चल रही है लेकिन वह मरम्मत के काबिल नहीं है और यह इतना पिछड़ा इलाका है कि यहां कोई ऐसी इमारत नहीं है जहां यह चल सके और चकबन्दी की तरफ से अस्पताल के लिये जमीन एलाट हो गई है। इसलिये क्या मंत्री जी नई इमारत को बनवाने की कृपा करेंगे जिससे इसका काम चल सके ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मैंने स्पष्ट कहा कि अभी जमीन नहीं मिली है और न हमारे पास धन ही है। लेकिन यह जरूर है कि अगली चौथी योजना में अगर धन मिल सकेगा, तो विचार किया जायगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि चकबन्दी ने अस्पताल की जमीन एलाट कर दी है लेकिन वहां रहने के लिये जगह नहीं है इससे वहां कोई डाक्टर जाने के लिये तैयार नहीं है और १० मील के रेडियस में वहां कोई औषधालय नहीं है, तो क्या मंत्री जी अगली योजना में इसको बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं बड़ा आभारी होऊंगा अगर आप चकबन्दी के बारे में लिख कर देंगे, तो हम विचार करेंगे।

श्री जगदम्बाप्रसाद--

क्या सरकार ऐसे स्थानों पर औषधालय खोलने पर विचार कर रही है जहां १०-१५ मील के अन्दर कोई भी स्वास्थ्य के लिये साधन नहीं हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, वैसे तो अस्पताल हैं ही। और ब्लाकों में भी प्राथमिक चिकित्सा के केन्द्र हैं और ब्लाक ८-१० मील के रेडियस में होते हैं। सरकार विचार करती रहती है और हर योजना में खोलती भी है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

जब अभी माननीय सदस्य रामकिशोर जी ने कहा कि चकबन्दी में जमीन छोड़ी गयी है, तो मंत्री जी को यह कहने की क्या जरूरत है कि जमीन का नम्बर आदि वह भेज दें तो गौर किया

जाएगा। यह तो खुद ही अब उनकी जिम्मेदारी हो गयी है जब कि सवाल आ गया और उसका जवाब आ गया। अब मंत्री जी को स्वयं देखना चाहिये और उस पर उचित व्यवस्था करनी चाहिये। क्या मंत्री जी अब ऐसा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो स्वयं करने को कहते हैं, सिर्फ आपकी थोड़ी सहायता चाहते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

वह जमीन कहां है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। आपने कहा है कि चकबन्दी ने जमीन एलाट कर दी है तो मैं तो सिर्फ आप को श्रेय दे रहा हूं, लोगों को मालूम होगा कि आप बनवा रहे हैं।

नर्सिग असिस्टेंट्स का वेतन

*४--श्री रामअधीनसिंह (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग के नर्सिग असिस्टेंट्स का दिनांक १० अगस्त, १९६५ और ३० नवम्बर, १९६५ का कोई प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

जी हां। प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

*५--श्री रामअधीनसिंह (अनुपस्थित)--

सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग के नर्सिग असिस्टेंट्स का वेतन-क्रम ४०-२-५०-३-६५ के स्थान पर ६०-१-८० करने का आधार क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

नर्सिग असिस्टेंट्स का ६०-१-६५-द०रो०-१-७०-द०रो०-१-७५-द०रो०-१-८० का नया वेतन-क्रम उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

नर्सिग स्टाफ का वेतन

*६--श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नर्सिग असिस्टेंट्स, नर्सिंग आर्डलीज, वेक्सीनेटर और मेडिकल अटेन्डेन्ट्स की क्या-क्या योग्यतायें निर्धारित की गई हैं तथा इनको क्या क्या ट्रेनिंग दी गई है और इनकी क्या-क्या ड्यूटीज हैं, इनको क्या वेतन-क्रम तथा सुविधायें दी जाती हैं ?

*७--श्री गोपीनाथ दीक्षित (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि नर्सिग असिस्टेन्ट्स का मेडिकल अटेन्डेन्स और वैक्सीनेटरों के मुकाबिले नया वेतन-क्रम क्यों रखा गया है ?

*८--श्री गोपीनाथ दीक्षित (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि नर्सिग असिस्टेंट्स का वेतन-क्रम विभाग ने वेतन अभिनवीकरण समिति को क्या रेकमेन्ड किया था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जौनपुर जिले में ब्लाक आर्गनाइजर का वेतन रुकना

*९—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जनपद में सन् १९६४ में कितने ब्लाक आर्गनाइजर, प्रान्तीय रक्षा दल एवं होमगार्ड्स के वेतन रोके गये हैं? उनके रोकने का क्या कारण है?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

१९६४ में एक ब्लाक आर्गनाइजर, श्री परमेश्वरनाथ तिवारी का वेतन वितरण न हो सका क्योंकि वे ८ नवम्बर, १९६४ से १२ दिसम्बर, १९६४ तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। उनके मामले में अन्तिम निर्णय हो गया है और भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

विकास क्षेत्र, छानवे में भ्रष्टाचार की शिकायतें

*१०—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मिर्जापुर विकास खंड, छानवे में प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में १० व्यक्तियों का कोई शिष्टमंडल, दिनांक ३ मार्च, १९६६ को मिर्जापुर में वाराणसी संभाग के आयुक्त से मिला था और एक स्मृति-पत्र दिया? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्मृति-पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी तथा कृपया बतायेगी कि उस पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह सत्य है कि मिर्जापुर जनपद के विकास खण्ड, छानवे के १० व्यक्तियों का एक शिष्ट मंडल ३-३-६६ को वाराणसी मण्डल के आयुक्त से मिला था तथा एक स्मृति-पत्र† दिया था, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। शिकायतों की जांच आयुक्त द्वारा स्वयं छानवे विकास क्षेत्र में की गई थी। जांच रिपोर्ट† की प्रतिलिपि संलग्न है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि छानवे ब्लाक के १० सदस्यों ने जो कमिश्नर के सामने शिकायत की और उन्होंने उसकी जांच की, तो उनमें क्या सभी शिकायतें सत्य से परे हैं या कोई-कोई शिकायत सत्य से परे हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी उसमें कई लोगों की शिकायतों की दरख्वास्तें थी, उनमें से एक श्री गया प्रसाद पांडेय की थी, वह शिकायत १५ चीजों के बारे में थी। उस पर कमिश्नर ने उसके बारे में लिखा है, जो कि वहां के उप प्रमुख की दरख्वास्त २५-१०-६५ की थी कि जांच से मालूम हुआ कि २५-१०-६५ को कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र उप प्रमुख ने नहीं लिखा है, न उन्होंने पत्र लिखा है, न उस पर उनके हस्ताक्षर हैं और न उन्होंने इस सम्बन्ध में शिकायत जिला नियोजन अधिकारी को की है और न उन्हें इस सम्बन्ध में कोई शिकायत है। अब बाकी जो जांच की कमिश्नर ने, उसके बारे में अलग-अलग पढ़ दूं, एक तो छानवे ब्लाक के हेडक्वार्टर के बारे में मामला था....

श्री अध्यक्ष—

इन १५ को अलग-अलग पढ़ने से तो बहुत समय लगेगा, यह तो वह नहीं पूछ रहे हैं।

---

†छापी नहीं गई।

श्री रघुनाथसिंह—

जिस उपप्रमुख ने शिकायत की थी क्या उसने मौके पर शिकायती पत्र नहीं दिया था या कमिश्नर पर कोई दबाव पड़ा जिसकी वजह से उन्होंने जांच रोक दी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कमिश्नर पर दबाव का प्रश्न नहीं है। वे काफी बड़े अधिकारी हैं। वे काफी व्यक्तिगत दिलचस्पी भी रखते हैं और बड़े कड़े आफिसर हैं। २५ तारीख की दरख्वास्त है नहीं, फिर भी जांच जो हुई है वह श्री गया प्रसाद पाठक की दरख्वास्त पर है, शिकायत पर नहीं।

बांसी थाने में परिवार नियोजन विभाग की जांच

*११—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह सत्य है कि वर्ष १९६५ में बस्ती जिले के थाना बांसी में परिवार नियोजन विभाग की जो जीप दुर्घटना के कारण जमा हुयी थी वह जिस काल में थाने में जमा रही उस काल में ६०० मील के लगभग चली ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिस अवधि में जीप थाने में रही, लगभग ५५६ किलोमीटर चलाई गई। दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह कर्मचारी कौन है और इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मलेरिया विभाग के लोग दौरे पर गये हुये थे और जीप को बांसी थाने पर रोक रखा गया क्योंकि घटना हो गयी थी। जब यह अधिकारी ८ या ९ दिन के बाद देखा गया तो ५५६ किलोमीटर ज्यादा चली थी। मुझे भी यह ज्यादा लगता है कि ५५६ किलोमीटर ट्राई करने में ज्यादा चली होगी, इस पर फिर से जांच करवाई जायगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अभी क्या यह पता नहीं चला कि वह कौन अधिकारी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह स्वयं संतुष्ट नहीं हैं, जांच करा लेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत आयी है कि बांसी थाने के दारोगा ने अपने कामों के लिये और शिकार में इसको चलाया ? क्या ऐसी शिकायत मलेरिया या किसी विभाग से उनको मिली ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जब मैंने आश्वासन नेता विरोधी दल को दे दिया है तब जांच करवाऊंगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन इनके लिये दोषी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको किसी विभाग से शिकायत मिली कि वहां के थानेदार ने अपने काम के लिये ज्यादा चलाई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि वे शिकार वगैरह के लिये ले गये।

जोगिया व खेसरहा ब्लाक अधिकारियों का भत्ता

*१२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक जोगिया व खेसरहा, जिला बस्ती में १९६४ व १९६५ में उनके प्रमुख और उनके विकास खण्ड अधिकारियों नें कितना भत्ता लिया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह तो दो ब्लाक्स के अधिकारियों के भत्ते के बारे में है। इससे पता चलता है कि इनके विभाग हिसाब नहीं रखते। हिसाब कहीं जरूर होगा और किसी अधिकारी ने हिसाब देने में देरी की है। क्या मंत्री जी उसके विरुद्ध कोई कदम उठावेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जल्द से जल्द कार्यवाही करने की कोशिश, मान्यवर, उसमें करेंगे।

विकास खंड कल्याणपुर में जांच

*१३—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित), श्री रघुनाथ (जिला बलिया) तथा श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

क्या विकास मंत्री कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १, १३ अप्रैल, १९६६ के उत्तर के सन्दर्भ में बतायेंगे कि जबकि कार्य पूर्ण न होने के बावजूद भी विकास खंड कार्यालय, कल्याणपुर, जिला कानपुर से पूर्ण भुगतान निकाला गया जो सर्वथा अवैधानिक तथा शासकीय आदेशों के विरुद्ध था, तो इस अपराध के सम्बन्ध में दोषी व्यक्ति कौन है और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

खण्ड विकास अधिकारी कल्याणपुर, जिला कानपुर को इस सम्बन्ध में निलंबित कर दिया गया है। अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), कानपुर द्वारा जांच की गई है, जो शासन के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन, कानपुर द्वारा जो जांच की गई है और जो सरकार के विचाराधीन है उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उसमें दो बातों के ऊपर जोर है। एम्प्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम के अन्तर्गत एक कुंआ बनना था। उसमें १२९२ रुपये २२ पैसे जाली वाउचर देकर ले लिये गये। कोई पुराना कुंआ था उसको ही थोड़ा बहुत बनाकर ठीक कर दिया गया। बाद में माननीय विकास मंत्री ने स्वयं इस पर कार्यवाही की। एक बार यह प्रश्न आया था और उसका उत्तर दिया गया था। विकास मंत्री जी ने उस अधिकारी को निलम्बित किया है। उसके बाद लोगों ने मई, ६६ में

इस कुयें को कम्पलीट किया। दूसरा १,४४९ रुपये का है जिसमें फर्जी वाउचर देकर रुपया ले लिया गया। वह रुपया कहीं गया नहीं है। प्रधान ने पास बुक में जमा करा दिया है। दोनों चीजों के बारे में उनकी रिपोर्ट अलग अलग आई है। शासन विचार करने के बाद उस पर जरूर कार्यवाही करेगा।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

यह बी० डी० ओ०, कानपुर जो मुअत्तल किये गये हैं गलत काम करने की वजह से इनके ऊपर सरकार कब तक मुकदमा चलाने की सोच रही है ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट मैंने बड़े गौर से पढ़ी है। उसमें रुपये का गोलमाल कुछ भी नहीं है लेकिन इर्रिगुलरिटी शुरू से आखिर तक है। रुपये के मामले में कहीं भी इरेगुलैरिटी का होना मैं बहुत बड़ा क्राइम समझता हूं। उसके लिये थोड़ी छानबीन की आवश्यकता है उसके लिये मैंने खुफिया आर्डर दिया है। जरा और जांच हो जाय। मैं यह माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि करप्शन के मामले में मैं किसी के साथ रियायत नहीं किया करता।

मेडिकल कालेज, लखनऊ में चिकित्सा यंत्र

*१४—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, लखनऊ में इस वक्त कुल कितने सिस्टास्कोप, लेरिन्जास्कोप और एक्स-रे सेट्स हैं और क्या उनसे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

लखनऊ मेडिकल कालेज के सम्बद्ध चिकित्सालय में १५ सिस्टास्कोप, ३३ लेरिन्जास्कोप और २३ एक्स-रे सेट्स हैं। इनसे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है या नहीं, यह सूचना एकत्र की जा रही है।

*१५—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मशीनों में से कितनी मशीनें कब-कब से बेकार पड़ी हुई हैं और उनको दुरुस्त न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उपरोक्त मशीनों में से ३ सिस्टास्कोप और ४ एक्स-रे सेट्स खराब हैं। सिस्टास्कोप की मरम्मत का कोई प्रबन्ध देश में नहीं है। ४ एक्सरे सेट्स में से एक बहुत पुराना है। जिस कम्पनी ने इसे बनाया था उसके प्रतिनिधियों का कहना है कि अब इस माडेल की मशीन या मशीन के पुर्जे नहीं बन रहे हैं अतः इस मशीन की मरम्मत नहीं हो सकती। एक अन्य सेट की मरम्मत के लिये चिकित्सालय अधिकारी मैन्यूफैक्चरर से लिखा पढ़ी कर रहे हैं। शेष २ सेट्स की मरम्मत के लिये विश्वविद्यालय को अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है जिसका प्रबन्ध वह अभी नहीं कर पाई है। उक्त मशीनें कब कब से खराब हैं, यह सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी निश्चित ढंग से कोई आश्वासन देंगे कि कालेज की जरूरत को देखते हुए जो मशीनरी यहां पर प्राप्य नहीं है, बाहर से मंगाकर कब तक रिप्लेस करेंगे ?

नोट—तारांकित प्रश्न १५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह अटोनामस बाडी है और कायदा यह होता है कि जो उनका बजट होता है और जो खर्च हो ा है, उसका जो अन्तर होता है सरकार उस को देती है। तो विश्वविद्यालय की ओर से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है सेवा निदेशक के द्वारा सरकार के पास। जब विश्वविद्यालय के लोग इस तरफ सरकार का ध्यान दिलायेंगे तो सरकार उस पर बिचार करेगी।

विकास खण्ड, दहगवां से सीमेन्ट वितरण

*१६—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास खण्ड, दहगवां में १९६५ में बाबूराम, ग्राम मोहम्मदपुर गोबरा, भारतसिंह नाघा, भगवानसिंह, बजीरपुर के सीमेन्ट के परमिट विकास कार्यालय में गुम हो गये? यदि हां, तो उनकी सीमेन्ट किस-किस व्यक्ति को दी गई?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं। जहां तक श्री भारत सिंह नाघा व भगवान सिंह बजीरपुर के परमिट का संबंध है, माननीय सदस्य महोदय को विधान सभा के दूसरे सत्र १९६५ के ८वें बुधवार को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर द्वारा सूचना दे दी गई है।

श्री बाबूराम, ग्राम मोहम्मदपुर गोवरा को उस वर्ष ४ बोरी सीमेन्ट का परमिट दिया गया तथा खन्ड विकास अधिकारी के रिपोर्ट के अनुसार उनके नाम से ४ बोरी सीमेन्ट उठाई गई थी।

इलाहाबाद जिले में जनशक्ति योजनान्तर्गत कार्य

*१७—श्री वैजनाथ पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनशक्ति योजना से इलाहबाद जिले की सड़क जो सैदाबाद से सिरसा घाट, ठेल घाट से बरौत व बरौत से बिठौली–दुर्गागंज रोड व जंघई से दुर्गागंज तक तथा धनपुर से बिठौली तक गत वर्ष मन्जूर की गई है वह कब तक पूरी हो जायगी और विलम्ब का कारण क्या है?

श्री राममूर्ति—

प्रत्येक सड़क की स्थिति परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०३–२०४ पर)

*१८—श्री वैजनाथ पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सड़कों पर क्रमशः कितना धन व्यय होगा तथा इनकी लम्बाई कितने मील की होगी? किस विभाग द्वारा देख-रेख रहेगी?

श्री राममूर्ति—

सूचना परिशिष्ट (क) में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०३–२०४ पर)

*१९—श्री वैजनाथ पांडेय—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि हंडिया ब्लाक के अन्तर्गत जन शक्ति योजना द्वारा गुडरी बांध जिसका कि शिलान्यास केन्द्रीय मंत्री, श्री के० एल० राय ने किया है, कब तक बन जायेगा?

श्री राममूर्ति—

इस योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद यदि इस योजना का निर्माण उपयोगी समझा गया तो इसका प्राक्कलन तैयार किया जायगा। तखमीना तैयार हो जाने और प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने पर ही काम शुरू किया जा सकेगा।

विकास खंड, कल्यानपुर में जांच

*२०—सर्वश्री झारखण्डेराय, रघुनाथ, रामसुन्दर शास्त्री तथा श्री रघुवीरराम—

क्या यह सत्य है कि कानपुर जिलान्तर्गत विकास खन्ड, कल्यानपुर से पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत ग्राम लालशाह पुरवा. मजरा ग्राम बिनौर के स्कूल में कुआं तथा अन्य कार्यों को बनवाने हेतु २,५०० रुपये अनुदान का भुगतान फर्जी बिल व वाउचर तथा कम्पलीशन रिपोर्ट के माध्यम से बगैर कुआं तथा अन्य कार्य बनवाये हुये ब्लाक प्रमुख ने विकास खन्ड अधिकारी के द्वारा प्रधान गांव सभा, बिनौर को दिलवा दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि—

(अ) कुआं निर्माण का कार्य किस तिथि को आरम्भ हुआ तथा किस तिथि को पूर्ण हुआ ?

(ब) कम्पलीशन रिपोर्ट किस तिथि को किसने प्रस्तुत की तथा भुगतान किस तिथि को हुआ ?

(स) बिल तथा वाउचर किस-किस सामान के कितने-कितने रुपये के किस-किस तिथि के हैं ?

(द) २,५०० रुपये का व्यय किन-किन मदों में कितने कितने रुपये का होना था ?

(न) इस आरोप के संबंध में विकास मंत्री जी तथा जिलाधीश, कानपुर को जो प्रार्थना पत्र दिनांक २ नवम्बर,१९६५ तथा १६ अप्रैल, १९६६ को प्राप्त हुये उनकी जांच के क्या परिणाम निकले, उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—

कानपुर जिलान्तर्गत विकास खन्ड, कल्यानपुर में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत ग्राम लालशाह का पुरवा, मजरा बिनौर, ग्राम बिनौर के स्कूल में कुआं बनवाने के लिये बिल तथा बाउचर के आधार पर रु० १,२८२-२२ पैसे नगद दिया गया तथा शेष रु० १,२५३-८२ पैसे का चैनपम्प, कृषि यंत्र, कांटेदार तार एवं बीज आदि प्रधान, गांव सभा, बिजनौर को दिया गया।

(अ) कूप निर्माण का कार्य सितम्बर, १९६५ में प्रारम्भ हुआ तथा माह मई, १९६६ को कार्य पूर्ण हुआ।

(ब) कूप निर्माण का निरीक्षण ब्लाक के टेक्निकल असिस्टेन्ट द्वारा किया गया है तथा उन्होंने दिनांक २६-७-६६ को कम्पलीशन रिपोर्ट लगा कर प्रस्तुत की है तथा रु० १,२८२-२२ पैसे का नगद भुगतान दिनांक १७-६-६६ को प्रधान को दिया गया है।

(स) बिल तथा वाउचर निम्नलिखित तिथि एवं सामान के हैं :

क्रम सं०	बिल नं०	दिनांक	सामान का नाम	धनराशि
				रु० पै०
१	—	४–२–६५	चैन पम्प ..	६६३–००
२	१।४११	८–३–६५	कृषियंत्र ..	५०–००
३	३	१२–३–६५	आ० एन कल्टीवेटर	४२–५०
४	१०११	२४–३–६५	कांटेदार तार ..	४३२–३२
५	२८९	१०–३–६५	बीज ..	२०–००
६	२९९	१५–३–६५	बीज ..	४६–००
७	..	३०–३–६५	कूपनिर्माण की कीमत ..	१,२८२–२२

(द) २,५०० रुपये का व्यय निम्नलिखित मदों में होना था : --

	रु०
१—रहट एवं कूप निर्माण	२,०००–००
२—मजदूरी आदि	२००–००
३—हल तथा बैल खींचने हेतु बैल आदि का किराया भुगतान हेतु ..	१००–००
४—फेनसिंह की कीमत	१००–००
५—विविध व्यय बीज, कृषि यंत्र एवं खाद हेतु ..	१००–००
योग ..	२,५००–००

(न) अतिरिक्त जिलाधीश, नियोजन द्वारा जांच पूरी कर ली गई है जो सरकार के विचाराधीन है।

*२१—श्री झारखण्डेराय, श्री प्रेमसिंह तथा श्री रघुवीर —

[५ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

मेरठ क्षेत्र में स्वास्थ्य निरीक्षकों का बकाया भुगतान

*२२—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहायक निदेशक, जन-स्वास्थ्य, प्रथम शाखा, मेरठ के अन्तर्गत विकास क्षेत्रों के स्वास्थ्य निरीक्षकों के एक साल से अधिक पुराने कितने ऐसे भुगतान सरकार के पास रुके हुये हैं जो कि उनके ट्रांसफर एलाउन्स, टी०ए० ट्रेनिंग, टी० ए० मीटिंग, टी० ए० तथा आंशिक वेतन से सम्बन्धित हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बरेली जिला परिषद् को सड़क निर्माण अनुदान

*२३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली जिला परिषद् को विगत तीन वर्षों में अलग-अलग कितनी रोड ग्रांट व पुल निर्माण ग्रांट दी गई और उनका उपयोग जिला परिषद ने कहां कहां किया?

श्री राममूर्ति —

तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २०५ पर)

सहकारी बीज भंडार बिल्वा में अनियमिततायें

*२४—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि २५ अप्रैल, १९६६ अथवा इसके आसपास बरेली के नियोजन अधिकारी ने सहकारी बीज भंडार, बिल्वा (बरेली) पर अचानक छापा मार कर बीज की बोरियों का भारी गबन तथा अन्य गम्भीर अनियमिततायें पकड़ीं ? यदि हां, तो सुपरवाइजर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जिला नियोजन अधिकारी, बरेली ने मौखिक रूप से सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, बरेली को बताया था कि सहकारी बीज भन्डार, बिल्वा पर धान की कुछ बोरियां कम मालूम पड़ती हैं।

अतः सहायक निबन्धक ने बीज भन्डार के स्टाक की जांच करायी और जांच में ७०—७० क्वीन्टल धान की कमी पाई गई। बीज वितरण में विभागीय नियमों का उल्लंघन भी सम्बन्धित सीड स्टोर सुपरवाइजर ने किया है। सुपरवाइजर पर चार्जेज लगा कर २९ जुलाई, १९६६ को जवाब तलब किया गया है।

रायल होटल के सामने कोआपरेटिव की अधूरी इमारत

*२५—श्री कमला सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायल होटल के सामने कोआपरेटिव महकमे की जो इमारत अशोका कम्पनी को बनाने के लिये दी गयी थी उसमें अदालत ने क्या फैसला झगड़े के संबंध में १९६६ में दिया है और इस बीच इस इमारत की देख-रेख में इंजीनियर तथा चौकीदार रखने में कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री बनारसीदास—

रायल होटल के सामने भवन का निर्माण यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन द्वारा कराया जा रहा था। सन् १९६६ में अशोका बिल्डर्स (प्रा०) लि० तथा यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन के बीच निर्णित मुकदमों का विवरण इस प्रकार है :

(१) जिला एवं सेशन जज के न्यायालय में यूनियन द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में की गई शिकायत की कार्यवाही रोकने के निषेधादेश को दिनांक १—६—६६ को जज द्वारा रद्द कर दिया गया है।

(२) आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पर २—५—६६ को हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण पत्रादि सिविल जज के न्यायालय में ११—५—६६ को जमा कर दिये हैं, जहां उक्त अवार्ड को रूल आफ दी कोर्ट बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

इमारत की देख-रेख के लिये दो चौकीदार नियुक्त हैं जिन पर १-१-६४ से अब तक ४,९८४.०८ रु० व्यय हुआ है।

जब तक इमारत बनती रही इंजीनियर इमारत बनवाने का काम करता रहा। काम बंद होने के बाद इंजीनियर तमाम मुकदमों में टेक्निकल परामर्श देता है जो मुकदमों की सफल पैरवी के लिये आवश्यक है। उस पर १-१-६४ से अब तक १९,५०० रु० व्यय हुए हैं जो मुकदमों की गुरुता को देखते हुए सार्थक है।

क्षेत्र विकास अधिकारी, मंझनपुर के विरुद्ध शिकायत

*२६—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास अधिकारी, मंझनपुर, जिला इलाहाबाद के विरुद्ध ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर से शिकायती-पत्र, दिनांक २१ दिसम्बर, १९६५ को जिला नियोजन अधिकारी, इलाहाबाद को मिली है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राममूर्ति—

जी हां, क्षेत्र विकास अधिकारी, मंझनपुर के विरुद्ध श्री नाथूराम शिक्षक, एम० एल० ए० के दिनांक २१-१२-६५ के एक नोट के साथ एक शिकायती-पत्र जिला नियोजन अधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ था। इस शिकायती-पत्र में केवल पांच व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे। शिकायत मुख्य रूप में यह थी कि क्षेत्र विकास अधिकारी, मंझनपुर ऋण, अनुदान तथा सीमेन्ट आदि के वितरण में अनियमिततायें बरतते हैं और इनका आचरण ईमानदारी का नहीं है। शिकायतों की जांच जिला कृषि अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा कराई गई। जिला कृषि अधिकारी ने जांच करके अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार शिकायतों में कोई तथ्य नहीं था। अतः क्षेत्र विकास अधिकारी मंझनपुर के विरुद्ध अन्य कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं हुआ।

इलाहाबाद जिले में चेचक

*२७—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रयाग, इलाहाबाद जिले में चेचक की बीमारी जोरों से फैल रही है? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इलाहाबाद जिले में चेचक का अब विशेष प्रकोप नहीं है।

चेचक की रोकथाम के लिये निरोधक अभियान पूरी तौर से जारी है और इस वर्ष १६ जुलाई तक २,७६,९६२ टीके लग चुके हैं।

इलाहाबाद में अवैध गांजा भांग बेचने वालों की गिरफ्तारी

*२८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में दिनांक ८-९ तथा १० जून, १९६६ को कई स्थानों पर नाजायज गांजा-भांग बेचने वालों को छापा मार कर गिरफ्तार किया गया? यदि हां, तो कितने स्थानों पर तथा कितना-कितना भांग-गांजा पकड़ा गया और उस में कितने लोग पकड़े गये?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, इलाहाबाद में दिनांक ८ तथा ९ जून, १९६६ को कई स्थानों पर छापा मारकर नाजायज नशीली वस्तुएं बेचने वाले १४ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनका सम्पूर्ण विवरण संलग्न है।

दिनांक १० जून, १९६६ को न कोई तलाशी हुई और न कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २०६–२०८ पर)

[१० अगस्त, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री रियासत हुसैन—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२—श्री नाथूराम शिक्षक—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[५वें बुधवार के लिये प्र० सं० ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ग्राम पंचायतें

*४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि विकास खन्डों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों एवं न्याय-पंचायतों के कार्यक्षेत्र में वृद्धि की जा रही है, और इनका भी नये सिरे से परिसीमन किया जा रहा है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

*५–६—श्री रियासत हुसैन—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७—श्री भगवानदीन—

[५वें शुक्रवार के लिये प्र० स० ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८—श्री उल्फतसिंह यादव—

[६ठे शुक्रवार के लिये प्र० सं० ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९–१०—श्री उग्रसेन—

[१वें बुधवार के लिये प्र० सं० ५४–५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*११—श्री शीतलप्रसाद—

[५वें बुधवार के लिये प्र० सं० ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सहकारी बैंक, लखनऊ की शाखाओं को बंद करना

*१२—श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निर्देशानुसार अपने मुख्यालय, लखनऊ शाखा को छोड़कर

राज्य की अपनी सभी शाखाओं को बन्द करने का फैसला किया है ? यदि हां, तो अन्य शाखाओं के माध्यम से अब तक जो रुपया बांटा गया है वह कितना बाकी है और उसकी वसूली किस तरह से आगे होगी तथा जो चार सौ कर्मचारी प्रभावित होंगे उनके संबंध में अब तक क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री बनारसीदास---

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की केवल ४ शाखायें जिले की सहकारी समितियों को ऋण देने का कार्य कर रही हैं । शेष शाखायें केवल अमानतें एकत्रित करने के लिये हैं । इन ४ शाखाओं का १७३ लाख ५७ हजार रुपया अल्पकालीन ऋण तथा ५८ लाख ९९ हजार रु० मध्यकालीन ऋण का सोसाइटियों पर लगा हुआ है । इस धनराशि की वसूली को कोई समस्या नहीं है इसलिये कि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक इस तमाम धनराशि को स्थानीय जिला सहकारी बक को हस्तान्तरित कर देगा और उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की इन शाखाओं से संबंधित सभी सहकारी समितियां संबंधित जिला सहकारी बैंकों की सदस्य बन जायेंगी । इस तमाम धनराशि की वसूली हस्तान्तरण के पश्चात जिला सहकारी बैंक करेगी । इन शाखाओं के बन्द होने से केवल १६२ कर्मचारी प्रभावित होंगे । जिनको संचालक मंडल ने अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर खपाने का निश्चय किया है ।

मथुरा बाजार के सहकारी सुपरवाइजर के खिलाफ शिकायत

*१३---श्री सुखदेवप्रसाद---

क्या सरकार बताने की करेगी कि गोन्डा जिला में हर्रैया विकास क्षेत्र के अन्दर कितनी लार्ज साइज सोसाइटीज हैं और उनमें कितने सुपरवाइजर ऐसे हैं जो ३ साल से अधिक से हैं ?

श्री बनारसीदास---

गोंडा जिले के हर्रैया विकास क्षेत्र में २ (दो) लार्ज साइज सोसाइटीज मथुरा बाजार एवं गुगौली है । उनमें एक सुरपरवाइजर ऐसा है जो तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहा है ।

*१४---श्री सुखदेवप्रसाद---

क्या यह सत्य है कि मथुरा बाजार में श्री लल्लनधर दुबे के विरुद्ध कई चार्जेज लगे हैं, साथ ही फरहत अली, तकिया निवासी ने ३ अगस्त, १९६५ को सहकारिता अधिकारी, गोंडा' रजिस्ट्रार, लखनऊ एवं विकास क्षेत्र अधिकारी शिवपुरा को दिया है फिर भी ७ वर्ष से यहीं पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास---

मथुरा बाजार क्षेत्रीय सहकारी समिति में कार्यरत सहकारी सुपरवाइजर, श्री लल्लनधर दुबे पर कोई चार्जेज नहीं लगे हैं ।

उक्त सुपरवाइजर के विरुद्ध अनुचित ढंग से तावानी सूद वसूल करने से संबंधित श्री फरहत अली का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है । सुपरवाइजर का समिति से स्थानान्तरण आदेश ३१ जुलाई, १९६६ को कर दिया गया है । अब वह अपना चार्ज दे रहे हैं ।

*१५-१७---श्री ज्वालाप्रसाद---

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद जिले में तालाबों से सिंचाई करने का सुझाव

*१८—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद में तालाबों को गहरा करके उनमें एकत्र पानी का उपयोग सिंचाई के लिये किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उनकी पूर्ण रूप रेखा क्या है ?

श्री राममूर्ति—

इलाहाबाद जिले में तालाबों को गहरा करके उनमें एकत्र पानी का सिंचाई के हेतु उपयोग की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

जिला परिषद् अस्पतालों का प्रान्तीयकरण

*१९—श्री उग्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री देवरिया, गोरखपुर, बस्ती के जिला परिषद् के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण चतुर्थ योजना में करने जा रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

क्षेत्र विकास अधिकारी, कनेली के विरुद्ध शिकायत

*२०—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि श्री तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कनेली, जिला इलाहाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक २३ जुलाई, १९६५ को अथवा उसके आसपास कनेली विकास क्षेत्र अधिकारी के आचरण के विरुद्ध कोई शिकायत जिलाधीश, इलाहाबाद को मिली ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, क्षेत्र विकास अधिकारी, कनेली के विरुद्ध श्री तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कनेली, जिला इलाहाबाद के प्रधानाचार्य का एक शिकायती-पत्र दिनांक २३-७-६५ को प्राप्त हुआ था । शिकायतें मुख्य रूप में विद्यालय की भूमि पर दो कमरों के निर्माण, माल विभाग के कागज से हायर सेकेन्डरी स्कूल का नाम कटवा कर केवल स्कूल का लिखवाना, अनियमित रूप से सीमेन्ट का वितरण आदि थीं । इस शिकायती-पत्र की जांच कराई तथा इस जांच के परिणाम स्वरूप शिकायतों में कोई तथ्य नहीं पाया गया । अतः क्षेत्र विकास अधिकारी, कनेली के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी परिसीमन आयोग का आदेश†

वित उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य के संसदीय एवं विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी परिसीमन आयोग का आदेश संख्या १५ को डिलिमिटेशन कमीशन ऐक्ट, १९६२ की धारा १० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

प्रार्थना-पत्रों पर अंग्रेजी में आदेश लिखने के संबंध में सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव परसों दिया था और उसके लिये आपने कहा था कि उसे आप आज लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

जी हां । कई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनायें हैं । उनमें एक माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी की भी है, और दो माननीय काशीनाथ जी की हैं। कुंवर श्रीपालसिंह जी की शिकायत यह है कि १२-४-६६ को माननीय गिरधारी लाल जी ने लिखित आश्वासन दिया था कि आगे अब वह हिन्दी में लिखने का प्रयास करेंगे, उस आश्वासन के आधार पर आपके कहने पर मैंने अपने प्रश्नों का उत्तर उपस्थित करने पर बल नहीं दिया । अब आपकी शिकायत यह है कि इस आश्वासन को देने के बाद उन्होंने अपना आश्वासन भंग कर दिया और श्री उमरावसिंह वल्द राम सहाय व खेमसिंह वल्द हुलसी, निवासी मकिनपुर असदलपुर, परगना अमरोहा, पो० छजलेट, जिला मुरादाबाद के नलकूपों की दर में छूट देने के प्रार्थना-पत्रों पर ४-५-६६ को तथा श्री बद्री प्रसाद ओझा, नजीराबाद रोड, पो० कोटद्वार, गढ़वाल के प्रार्थना-पत्र पर २६-४-६६ को अपने आदेश अंग्रेजी में लिख दिये । अतः विशेषाधिकार भंग होने का प्रश्न उठता है ।

अब विशेषाधिकार के संबंध में मेरा निवेदन पिछली मर्तबा भी यह था कि जहां तक मेरा प्रश्न है और इस सदन की अपेक्षा का प्रश्न है, हम लोग सब यह आशा करते हैं कि मंत्रिमंडल अपना कार्य हिन्दी में करे । किन्तु सदन के सामने अगर कोई लेख अंग्रेजी में आये, अगर कोई पत्रावली हमारे सामने अंग्रेजी में आये तो कदाचित् विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है । अगर वह आपस में अंग्रेजी में बातचीत करें और अंग्रेजी में लिखा-पढ़ी करें तो क्या विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है इस पर माननीय कुंवर श्रीपाल, आप अपनी बात कह लीजिये ।

*कुंवर श्रीपालसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अपना कार्य चाहे अंग्रेजी में करें अथवा किसी और भाषा में, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, परन्तु जब मैंने प्रश्न किया था और वह प्रश्न स्वीकार कर लिया गया अल्प सूचित तारांकित प्रश्न करके, तो यह तय हो गया कि वह सदन की प्रापर्टी हो गयी । आपने उसे स्वीकार कर लिया था और उसका उत्तर देना उनका काम था । चूंकि आप सदन में यह बात कई मर्तबा कह चुके हैं, उसके अतिरिक्त २२ अप्रैल, १९६१ को चन्द्रभानु गुप्त जी जब मुख्य मंत्री थे तो कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ था कि मंत्रिपरिषद् के लोग टिप्पणी और आदेश हिन्दी में लिखेंगे । उसके आधार पर १ जून, १९६१ को माननीय चन्द्रभानु गुप्त का एक परिपत्र मंत्रिमंडल के हर एक सदस्य के पास पहुंचा । उसके आधार पर माननीय गिरधारी लाल ने यह सोचा कि अगर इन प्रश्नों के उत्तर में हाउस में मुझे कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पत्रावली में अंग्रेजी में लिखा है तो आपके रिमार्क सुनने पड़ेंगे जैसा कि दो दिन पहले मेरे प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में शांतिप्रपन्न जी को आपने सुनाये थे और उसी सिलसिले में फिर एक परिपत्र जारी किया गया था अंग्रेजी में, उस समय भी आपने कहा था'। तो उन्होंने उस चीज से बचने के लिये कि हाउस में उनकी हेटी न हो और हाउस में वह न आवे, उन्होंने आश्वासन दिया और कुछ बातें हुई हैं उनको मैं सदन में नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वह आपसे भी और मुझ से भी व्यक्तिगत हुई थीं, परन्तु जो लिखित चीज है वही कहूंगा, टेलीफोन वगैरह की बात नहीं कहूंगा । तो उस चीज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से बचने के लिये उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि आइन्दा इसका प्रयास करेंगे और आपने भी विश्वास किया और मैंने भी विश्वास किया कि एक माननीय सदस्य होने के नाते जब लिख कर दे रहे हैं तो जरूर करेंगे। उसके बाद, मेरी इत्तला है कि उन्होंने एक भी फाइल पर लिखने का प्रयास नहीं किया। इसके माने यह होते हैं कि आपको और एक सदस्य होने के नाते मुझको गुमराह किया और मैं चूंकि उनकी बात को हाउस में ले आना चाहता था और मेरा प्रश्न मंजूर हो चुका था इसलिये वह हाउस की संपत्ति हो गयी, तो इसलिये उन्होंने इस हाउस को गुमराह करने का प्रयत्न किया और अध्यक्ष महोदय, आप जो यहां अध्यक्ष हैं तो आपका एक अलग व्यक्तित्व नहीं है। आप अध्यक्ष के नाते सदन के हर एक कागजात और हर एक बातों के रखवाले हैं। जब आपने उसे मंजूर किया और वह सदन की प्रापर्टी हो गयी और उसका उत्तर देने के लिये उन्होंने अपने को बचाने का प्रयास किया और उस प्रयास में गलत आश्वासन दिया—गलत आश्वासन देना हाउस के लिये अवमान हुआ और धोखा देकर जानबूझ कर गुमराह करने का उन्होंने प्रयत्न किया है, यह मेरा जवाब है।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको आप विशेषाधिकार समिति में भेजें ताकि वहां हर एक चीज की जांच हो सके कि उन्होंने क्यों इस प्रकार का आश्वासन दिया और इस प्रकार का काम किया।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, आपने जो प्रश्न अभी उठाया था कि माननीय मंत्री जी जब निर्देश दें अपने सरकारी अफसरों को या जनता को लिखें तो उसमें अगर वह हिन्दी के अलावा किसी भाषा का प्रयोग करें तो विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है या नहीं। सदन ने स्वीकार किया है कि सदन की भाषा हिन्दी है और यहां कोई कागज अंग्रेजी में नहीं आ सकता। मैं आपसे निवेदन करूं कि यह एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। राज्यभाषा अधिनियम उत्तर प्रदेश में बना, उसके चिथड़े उड़ा दिये इस सरकार ने। अभी तक इन्होंने अपने कामकाज की भाषा हिन्दी नहीं की।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप और कुछ कह रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं जो कहना चाहता हूं यह उसकी भूमिका है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई माननीय मंत्री यदि वे बाहर भी काम करते हैं—अपने घर के कार्य के अलावा और प्राइवेट कैपेसिटी में पत्र लिखने के अलावा—अगर कोई भी काम करते हैं तो सरकारी काम में हिन्दी का उन्हें प्रयोग करना चाहिये। यह जो उन्होंने पत्रों पर रिकमेंडेशन, अनुशंसा या कुछ लिखा है यह सरकारी कामकाज है, कोई मित्र को पत्र नहीं लिखा है, न कुटुम्ब को पत्र लिखा है, तो मेरा निवेदन यही है कि सरकार अपना कोई भी काम, राज्यभाषा बनने के बाद, हिन्दी का अधिनियम बनने के बाद, अपने किसी भी पत्र को सिवाय उसके कि जो प्राइवेट कैपेसिटी में हो जिसका राज्य से कोई संबंध न हो, कोई परिपत्र जारी नहीं कर सकती, कोई फैसला नहीं कर सकती। आज एक निश्चित प्रश्न हमारे सामने उठाया गया है, अभी तक उठाया नहीं गया था, इसलिये मैं कहता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है, इसको आप विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें।

श्री अध्यक्ष—

मेरा जो प्रश्न था उस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हिन्दी के बारे में जितनी बातें कही जा चुकी हैं उनमें मैं पूर्णतया सहमत हूं और मैं उस संबंध में अपनी भावनाओं को व्यक्त भी कर चुका हूं। सारा प्रश्न तो यह है कि यद्यपि यह अपेक्षित है और सरकार से आशा भी की जाती है कि वह राज्य भाषा को प्रतिष्ठित करने के लिये प्रत्येक कदम उठाये। यह उनका कर्त्तव्य है और उसका उनको पालन करना चाहिये। लेकिन मेरी कठिनाई यह है कि यह उनसे अपेक्षित

होते हुये भी, चूंकि विचाराधीन कार्यवाही सदन से संबंधित नहीं थी, इस कारण उस पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठ सकता। मैं समझता था कि इस पर कुछ प्रकाश डाला जायेगा, किन्तु इस पर प्रकाश नहीं पड़ा।

कुंवर श्रीपालसिंह--

उसी के बारे में मैंने निवेदन किया कि किस तरह से वह सदन से संबंधित हुआ। उन्होंने उसको जानबूझ कर चूंकि छिपाने का प्रयास किया, आश्वासन देने के बाद भी सदन को गुमराह किया गया, इसलिये वह प्रश्न उठता है। जब वह सदन की संपत्ति हो गयी तो उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न हो जाता है। उन्होंने गलत आश्वासन देकर आपके द्वारा सदन को धोखा दिया...

अध्यक्ष--

यह सब तो आप कह ही चुके हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

एक मेरा निवेदन श्रीमन्, सुन लें। आपका यह कहना तो सही है कि राज्य भाषा अधिनियम बनने के उपरान्त, सरकार को हिन्दी में काम करना चाहिये। किन्तु विधान सभा के बाहर नियम विहित काम न हो तो उसे देखना मेरा काम नहीं। इस विधान सभा में कितने ही अधिनियम बनते हैं, पता नहीं उन सबके अनुकूल सब काम होता है या नहीं। किन्तु माननीय श्रीपालसिंह जी ने जो बात रखी मैं उस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि पिछली बार यहां सदन में अंग्रेजी में टिप्पणी लिखने पर एतराज किया गया था। किन्तु वह विधान सभा में प्रश्नों के उत्तर से ही संबंधित था। मंत्री जी के खेद प्रकट करने पर आपके मध्यस्थ होने के कारण यहां वह प्रश्न नहीं उठ सका। तो श्रीमन्, आपकी मध्यस्थता इसमें हुई। मैं समझता हूं कि दुबारा यह जो हुआ है इसमें आपकी मध्यस्थता का अवमान हुआ है। फिर आपके आदेशों को भी मंत्री जी ने ठुकरा दिया है और आश्वासन के बावजूद माननीय सदस्य को धोखा दिया है। इन सब बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। निश्चय ही यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन गया है।

श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)--

आप इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोगों की भावनाओं का मैं आदर करता हूं और यह फिर आग्रह करता हूं कि मंत्रिपरिषद् को अपना कार्य हिन्दी में करना चाहिये लेकिन उसकी अवहेलना में जब तक कि हमारे सदन के सामने वह पत्रावली न आये, तब तक इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में सम्मति देना मैं समझता हूं कि वह सदन की प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं है।

विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति की सिफारिश के विपरीत लगाये गये उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, १९५३ को अवैध घोषित किये जाने के सम्बन्ध में अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब एक दूसरा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने उठाया है वह इस प्रकार से है, मैं पढ़े देता हूं :--

"उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, १९५३ को बनाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के जुडिशियल सचिव एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अवमान का

प्रश्न उपस्थित करने की अनुमति चाहता हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा निर्मित प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६३–६४) ने अपने तृतीय प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, १९५३ में संशोधन करने की सिफारिश की थी और इन न्यायिक सेवा नियमों (१९५३) को भारतीय संविधान की धारा २३५, २२७, २३३ और २३७ के उपबन्धों के प्रतिकूल ठहराया है। यदि हमारे प्रतिनिहित विधायन समिति की सिफारिशों और संशोधनों को उत्तर प्रदेश सरकार का सम्बद्ध विभाग मान लिये होता तो सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में अपने ८ अगस्त के फैसले में उच्चतर न्यायिक सेवा को "अनकांस्टीट्यूशनल" घोषित करने की आवश्यकता न होती। सर्वोच्च न्यायलय द्वारा इस घोषणा के उपरान्त गत दस, बारह सालों में जितने में भी जिला जजों की नियुक्तियां हुई हैं सभी अवैध हैं और इस प्रकार उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियम बनाने वाले अधिकारी ने संविधान की मंशा के विरुद्ध आचरण करके प्रदेश की न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त न होने का षड़यन्त्र कर के उत्तर प्रदेश विधान सभा का अवमान किया है।"

इस संबंध में सरकार से मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह जरूर चाहूंगा कि जो प्रतिवेदन समितियों द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किय जाते हैं, उस पर यह आशा की जाती है कि सरकार ध्यान देगी और उन पर ध्यान देकर हमें अवगत करावेगी कि उन्होंने क्या कार्यवाही की। परन्तु हम पिछले ४ सालों से अनुभव करते रहे हैं कि प्रतिवेदनों पर सरकार ध्यान ही नहीं देती, किन्तु इस सदन में उसके ऊपर चर्चा भी नहीं होती और सरकार उसके लिये समय निर्धारित नहीं करती। हम आशा करेंगे कि इस पर सरकार ध्यान देगी कि हमारी समितियों की रिपोर्ट पर सादर विचार किया जाय और उस पर चर्चा करने के लिये सरकार समय निर्धारित किया करे।

अब माननीय काशीनाथ जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या विशेषाधिकार का प्रश्न किसी अधिकारी के विरुद्ध जो इस सदन के बाहर है, उठाया जा सकता है, अगर उन्होंने कोई गलत राय कायम की है ?

एक सदस्य—

जरूर।

श्री अध्यक्ष—

अगर जरूर, तो एक प्रश्न बड़ा जटिल उत्पन्न होगा कि सरकारी अधिकारियों की गलतियों से या अनकांस्टीट्यूशनल बात करने से यदि विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है तो जो कानून यह सदन पास करता है और अदालतों द्वारा अनकांस्टीट्यूशनल घोषित किया जाता है तो सदन की क्या हालत होगी ?

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, आपने दो सवालों को रख कर कंपयूज कर दिया है। सदन बहुत सोच समझ कर कोई कानून पास करता है। उसके बाद भी यदि उच्च न्यायालय द्वारा उसे अल्टरावायर्स कर देता है तो इसमें सदन के मान मर्यादा की कोई बात नहीं पैदा होती। जो हाईकोर्ट का काम है, या जो उच्च न्यायालय का काम है, अपने जुरिस्डिक्शन के मुताबिक वे काम करते हैं। यह सवाल बिलकुल साफ है कि हमारे इस आदरणीय सदन द्वारा बनाई हुई प्रतिनिहित विधायन समिति ने एक फैसला दिया। सन् ५३ में यहां एक जुडिशियल सर्विस रूल बना। उस सम्बन्ध में हमारी प्रतिनिहित विधायन समिति ने जिसके सदस्य श्री बजभूषण शरण जी थे और माननीय कमला सिंह जी सदस्य थे, उस समिति ने जो इस उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा बनाई गई थी, एक फैसला दिया। उसका वह फैसला उच्च न्यायालय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

के जस्टिस सुब्बाराव का जो फैसला हुआ इसमें दोनों की एक राय है कि आर्टिकिल २३५ के खिलाफ यह जुडिशियल सर्विस रूल बना है। प्रतिनिहित विधायन समिति की रिपोर्ट में है कि यह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। इसकी दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं "उच्च न्यायालय इस चुनाव समिति द्वारा तैयार की गई सूची राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करेगा। यह २३५ व २३६ के उपबन्धों को अतिक्रमण करता है।" ठीक यही फैसला जस्टिस सुब्बाराव ने जो चुनाव समिति पहिले बनाई है उसका है। जुडिशियल सेक्रेटरी उसके सचिव होंगे। इससे जो जज की नियुक्ति होगी वह अवैधानिक है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सवाल यह है कि जो हमारी कमेटी बनती है और उस कमेटी का जो निर्णय होता है अगर सरकार या उसके विभाग उसे एन्फोर्स नहीं करते हैं तो आपके पास कौन सा हथियार है कि आप सदन के निर्णयों को लागू करवायें.....

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन कर रहा था कि संक्षिप्त बहस हो।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मैं २३५ धारा पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

उससे हम सहमत हैं कि गलत नियम बनें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, २३५, २२७ और २५० इन तीनों अनुच्छेदों में हमारी सदन के प्रतिनिहित विधायन समिति ने भी वही निर्णय लिया था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि जितने जजों की नियुक्ति होती रही, वही सारी अवैधानिक है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि हमारे पास क्या हथियार है कि जो हमारे निर्णय होते हैं उनको सरकार या सरकार के संबंधित विभाग उनको पालन करें?

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, १९५३ में कुछ नियम बने। उसके बाद वे सदन की मेज पर रखे भी गये होंगे। उस समय यदि कोई प्रश्न उठाना था तो हमारी विधान सभा के सदस्यों को अधिकार था कि उस सम्बन्ध में प्रश्न उठाते और ठीक करने की कोशिश करते। जब हमारी विधान सभा ने भी नियम स्वीकार कर लिये तो उसके बाद उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही जिससे वह अवैधानिक डिक्लेयर हुआ, उन अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। जो चीज आई, वह हमारे सामने आई। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी ने अगर कोई फैसला दिया तो वह सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता था। इसलिये वह विशेषाधिकार का प्रश्न अब नहीं बनता है।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

मैं, श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के नियम २४७ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें दिया गया है कि--

समिति का प्रतिवेदन--यदि समिति की राय हो कि ऐसा कोई विधान पूर्णतः या अंशतः रद्द कर दिया जाना चाहिये या किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिये तो वह उक्त राय तथा उसका कारण सदन को प्रतिवेदित करेगी। यदि समिति की राय हो कि किन्हीं आदेशों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से सम्बन्धित कोई अन्य विषय सदन की सूचना में लाया जाना चाहिये तो वह उक्त राय तथा विषय सदन को प्रतिवेदित कर सकेगी ।" श्रीमन्, यह जो डेलीगेटेड कमेटी की राय थी वह सदन के सामने प्रतिवेदन के रूप में रखी गई और जो अधिकारी सम्बन्धित थे उनको भी कमेटी के सामने बुलाया गया और उनसे भी परामर्श किया गया । वह सहमत हुये कि डेलीगेटेड कमेटी की राय थी तो सहमति के बाद उन्होंने भी इस बात को माना कि इसमें संशोधन होना चाहिये और जो नियम बने हैं वे गलत हैं । ऐसी स्थिति में जब डैलीगेटेड कमेटी के सामने उक्त अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि इसका संशोधन होना चाहिये और सरकार से उसे ठीक करायेंगे-तो उस वक्त जब कि सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया और उसके बाद भी ठीक नहीं कराया। और अब सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्चर पास हो गया और उस अधिकारी ने जिस ने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी के सामने स्वीकार किया कि गलत काम हुआ है और कहा कि वह रद्द होना चाहिये और कोशिश की गई नियम रद्द कराने की । लेकिन सदन में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो यह कमेटी का अवमान है और इस तरह से वह सदन का भी अवमान है ।

श्री कुमार करुणाकृष्ण नायर (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह प्रश्न निर्णय के लिये है कि विशेषाधिकार की अवहेलना कब हुई । वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई है या उससे पहले हुई है । उसके कारण हुई है, कब हुई है यह प्रश्न आपके सामने निर्णय के लिये है । जो कुछ काम हुआ वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं पहले हुआ और अगर विशेषाधिकार की अवहेलना हो गई तो वह उसी वक्त हो गई और उसी वक्त सदन कोई कार्यवाही कर सकता था । अब आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वह काम गलत सिद्ध हुआ, उस का मतलब है कि वह गलत हुआ लेकिन इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष--

अब इसको समाप्त किया जाय । यह बहस संक्षेप में होती है जिनको मैं सुनना चाहूं वही बोल सकते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

अभी गंगवार जी ने कहा कि रूल्स बने और वे सदन के सामने आयें और उसके माने यह हुये कि हमने उनको स्वीकार किया । अभी आपने स्वयं कहा कि नियमों पर विचार होना चाहिये लेकिन वह नहीं हुआ । इसके माने यह नहीं हैं कि नियम स्वीकार किये गये इसलिये विशेषाधिकार का सवाल बन सकता है । इसके माने होंगे कि रूल्स जो बने हैं वह गलत हैं ।

(श्री दीपनारायणसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप अब बैठ जायं ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

मैंने खुद मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न रखा था और आपने उस पर निर्णय देने के लिये कहा था.....

श्री अध्यक्ष--

वह तो आज की बात है ।

तो इसमें वैसे तो मैं माननीय नायर जी और श्री गंगवार जी से सहमत हूं । अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि एक तो हाईकोर्ट ने वह बहस नहीं मानी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मानी

[श्री अध्यक्ष]

है तो क्या इस दृष्टि से हाईकोर्ट ने भी विशेषाधिकार की अवहेलना की ? ऐसी बात नहीं है । दूसरी यह तो राय का प्रश्न है, विचार वैभिन्य होता है । अगर किसी दशा में समिति की राय से असहमति हो तो अधिकारी के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता । इसमें कोई अनकांस्टीट्यूशनल बात नहीं हुई है क्योंकि सदन ने उस राय को अंगीकार नहीं किया किसी संकल्प द्वारा । इसलिये यह अस्वीकृत किया जाता है ।

मैं सरकार से फिर कहना चाहता हूं कि माननीय काशीनाथ जी ने इसमें जिस चीज पर बल दिया है वह विषय अवश्य ही ध्यान देने के योग्य है और वह यह है कि हमारी समितियों की रिपोर्ट पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये और वह सरकार की अलमारियों में घुनों द्वारा न खाई जायं । मैं चाहूंगा कि उन पर समय समय पर अवश्य वार्ता और चर्चा हो, यह मेरा निश्चित मत है ।

जिलाधीश, बलिया के कथित आदेश से श्री काशीनाथ मिश्र की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब श्री काशीनाथ मिश्र ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है । उनकी शिकायत यह है कि श्री केशव दयाल अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बलिया ने आपको अकारण ही गिरफ्तार करवाया, दफा १४४ में और दफा १८८ में उनके ऊपर मुकदमा चलवाया और वे छूट भी गये । इस बात से सिद्ध होता है कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल अकारण हुई और उनके अधिकारों की अवहेलना हुयी है । पहले भी मैंने निवेदन किया था कि इस विषय में निश्चित रूप से यह तय हो चुका है और इसके लिये काफी संख्या में निर्णय भी हो चुके हैं कि जब तक यह सिद्ध न हो कि मैलाफाइडी अर्थात् दुर्भावना से प्रेरित होकर किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया हो, इस नियत से कि वह सदन में न जा सकें या इस नियत से कि वह अपना साधारण विधायनी कार्य न कर सकें तो उस दशा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है । मैंने उनसे यह कहा था कि प्रस्तुत प्रकरण में यह सिद्ध नहीं होता है । तो उन्होंने कहा कि जो निर्णय अदालत का हुआ है, उसको देख लें जिससे यह सिद्ध हो जायगा कि यह मैलाफाइडी था । उन्होंने हमारे सामने जो फैसला हुआ है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भेजी है और उसके आधार पर माननीय काशीनाथ जी का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी मैलाफाइडी थी ।

(श्री काशीनाथ मिश्र से) अब आपको क्या कुछ और कहना है ?

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, हमको यह कहना है कि बलिया के जिलाधीश ने जो आरोप-पत्र (कम्पलेन्ट) लगाया था उसके खिलाफ मैंने जुडीशियल अफसर (बांसडीह), जिला बलिया, श्री इम्तियाज मुहम्मद के यहां प्रार्थना-पत्र दिया । उन्होंने लिखा है कि दफा १४४ जारी करने की आवश्यकता नहीं थी और जिले में ऐसी परिस्थिति नहीं थी । ऐसा मालूम होता है कि उनको हैरस करने के लिये दफा १८८ में गिरफ्तार किया गया । उन्होंने यह भी कहा है कि इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, कोई अशान्ति भंग नहीं की थी । तो अगर एक विधान सभा के सदस्य को बिना किसी आफेन्स के गिरफ्तार किया जाय और सरकार का जुडीशियल अफसर (न्यायिक अधिकारी) यह कहता हो कि कोई जुर्म नहीं किया तो हमारा जो यह १०–१५ दिन तक अनलाफुल कन्फाइनमेंन्ट हुआ है, उसका निराकरण कहां होगा ? हुआ यह कि गत २८–६–६६ को मैंने उस समय के जिलाधीश, बलिया के खिलाफ भ्रष्टाचार, धांधली और गैर कानूनी बातों का विवरण देते हुये एक छपा हुआ खुला पत्र माननीया मुख्य मंत्री के नाम भेजा था । उससे उन्हें पर्सनल दुश्मनी हो गयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थी और वे चाहते थे कि बदला लें । १० और ११ की रात को जब मैं सोया हुआ था तो मुझे चारपाई पर ही गिरफ्तार कराया गया। मैंने इन सारे आरोपों को बताते हुए उन के खिलाफ एक खुला पत्र भी जिले में बांटा था और जैसा कि मैंने अभी कहा, मुख्य मंत्री के पास भी भेजा था । अब उनका ट्रान्सफर फतेहपुर में हो गया है और वे वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं । तो मेरा यह कहना है कि जब यह बात न्यायलाय से सिद्ध हो चुकी है तो मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है और इसे विशेषाधिकार समिति में भेज दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी छूट गये। इसके लिये बधाई देता हूं, और साबित नहीं हुआ मुकद्दमा। लेकिन जो आपने प्रतिलिपि मुझे दी है उससे यह स्पष्ट नहीं है कि आपने कभी यह कहा हो कि दुर्भावना से, दुराशय से प्रेरित हो कर मुझे पकड़ा गया.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

अपने बयान में हमने कहा है ।

श्री अध्यक्ष—

अब बयान आपका मेरे सामने नहीं है । मैं तो इस समय फैसला पढ़ रहा हूं इसमें कहा है कि "The accused has stated in his statement that the order u/s 144 Cr. P. C. was not promulgated in accordance with law." अर्थात् १४४ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत जो आदेश जारी हुये, थे वह नियमानुकूल या विधि सम्मत नहीं थे, "वैयर नाट इन अकार्डेन्स विद ला "। दूसरी बात यह है कि इस सम्बन्ध में जिस रूप से सूचना प्रसारित होनी चाहिये उस रूप से नहीं की गई और तीसरी बात यह कि अगर यह मान भी लें कि धारा १४४ के अन्तर्गत कोई आदेश प्रसारित किया गया, तो वह परिस्थितियां मौजूद नहीं थीं, वह परिस्थितियां विद्यमान नहीं थीं, जिन परिस्थितियों में, जिन सर्कम्स्टांसेज में ऐसा आर्डर धारा १४४ के अन्तर्गत दिया जा सकता है । यह तीन बातें कहीं थीं और तीनों पर अदालत ने यह फैसला किया कि—"that the order u/s 144 Cr. P. C. was not promulgated according to law." यह उन्होंने स्वीकार किया । और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि "It has been argued by the accused before me that the existence of emergency is a condition precedent for the issue of an order u/s 144 Cr. P. C....." जैसा मैंने निवेदन किया कुछ परिस्थितियां आपातिक विद्यमान होना परमावश्यक है पूर्व इसके कि धारा १४४ के अन्तर्गत कोई आदेश हो और उन्होंने कहा कि यह परिस्थितियां भी थी ऐसा सिद्ध नहीं होता । मुझे शंका है कि ऐसी परिस्थिति नहीं थी और इन आधारों पर आप को छोड़ा है। तो मैलाफाइडी या जो बातें अब कही जाती हैं वह इसमें नहीं हैं । साथ ही साथ माननीय काशीनाथ जी ने वह विज्ञप्ति नहीं.....

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

इस से ज्यादा मैलाफाइडी और क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष—

जब आप अध्यक्ष होंगे तो आप तय कर लीजियेगा । मैं तो यही समझ रहा हूं ।

मेरा निवेदन यह था कि मौलिक चीज यह है कि हमारे निर्णयों में यह कहा गया, गलत या सही। यह दूसरी चीज है, हो सकता है कि माननीय दीपनारायण सिंह ठीक कहते हों । लेकिन

[श्री अध्यक्ष]

नियम यह है कि दुराशय की प्ली ली जाय और वह अदालत में सिद्ध हो जाय, तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है, अन्यथा नहीं उठता । इस निर्णय को ध्यान में रखते हुये हम विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना को स्वीकार करने में असमर्थ हैं ।

अब एक और माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने माननीय राज्यपाल के विरुद्ध दिया है. . . .

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

इसको स्थगित कर दीजिये कल के लिये ।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये हम केवल उन्हें बधाई दे सकते हैं । लेकिन यह स्वीकार नहीं हो सकता इस वास्ते कि. . . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय राज्यपाल जब हमारे संविधान को लगातार तोड़ते जायेंगे तो हमारे पास क्या रेमेडी है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं बता रहा हूं । राज्यपाल हमारे नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं हैं। नियम २८९ या किसी में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध इस सदन में कुछ नहीं कहा जा सकता है । इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुये राज्यपाल के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता ।

अब प्रश्न यह है कि माननीय काशीनाथ मिश्र की व्याकुलता कैसे दूर हो ? अगर आप व्याकुल हैं तो राष्ट्रपति. . . . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

आप श्रीमन्, सदस्यों की व्याकुलता दूर करने में लगेंगे तो हम लोग भी व्याकुल होंगे ?

श्री अध्यक्ष—

राज्यपाल महोदय के विरुद्ध आप प्रेसीडेन्ट महोदय के सामने यह शिकायत रख सकते हैं और प्रेसीडेन्ट उस सम्बन्ध में निर्णय दे सकते हैं क्योंकि "ही होल्डस आफिस ड्यूरिंग दी प्लेजर आफ दी प्रेसीडेन्ट, दी अप्वाइंटिंग अथारिटी ।"

श्री काशीनाथ मिश्र—

प्रस्ताव में हमने यही कहा है कि यह प्रस्ताव प्रेसीडेन्ट को भेज दिया जाय ।

अनेक सदस्य—

बधाई आप ने इनको किस कारण दी ?

श्री अध्यक्ष

यह बधाई इसलिये कि उनके विचार ओरिजिनल हैं ।

इसमें पढ़ लीजियेगा । राष्ट्रपति के पास आप जा सकते हैं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास अनेक सूचनायें आई हैं । श्री टम्बेश्वरप्रसाद तथा श्री रक्षपालसिंह की सस्ते गल्ले की दूकानों से सम्बन्धित एक सूचना आयी है । इसे मैं खाद्य मंत्री के पास भेज रहा हूं । माननीय लखीसिंह की सूचना मथुरा जिले में अधिक वर्षा के सम्बन्ध में है उसे मैं माननीय राजस्व मंत्री के पास वक्तव्य के लिये भेज रहा हूं । माननीय केशरीप्रसाद, भगवानदीन, रामसुन्दर पांडेय की एक सूचना हाहानाला बांध, जिला आजमगढ़ में घाघरा नदी के किनारे बाढ़ एवं कटाव से बचने के सम्बन्ध में है जिसे सिंचाई मंत्री के पास अविलम्ब ध्यान आकर्षित करने हेतु भेज रहा हूं ।

इसी प्रकार माननीय बनवारीलाल विप्र की एक सूचना है जिसमें यह जिक्र है कि कबाल टाउन्स में सिटी बस में कंडक्टर्स द्वारा १२ नये पैसे के स्थान पर १३ नये पैसे वसूल किये जा रहे हैं, इसे मैं परिवहन मंत्री के पास भेज रहा हूं ।

सत्यनारायण जी की जो सूचना है वह कल की सूचना के विरुद्ध है । इसे मैं अस्वीकार कर रहा हूं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैंने यह कहा है कि तालाबन्दी हो रही है और वहां विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है और केवल शब्द जाल में पड़ कर अगर आप इसे अस्वीकार कर देंगे तो फिर इसका निराकरण कैसे होगा ?

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, चौधरी देवीदत्तसिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मुझे आज सदन को एक दुखद समाचार देना पड़ रहा है । इसी सदन के पुराने विधायक देवीदत्त जी की अलीगढ़ में कल यकायक मृत्यु हो गयी । इस समय वहां बाढ़ आयी हुई थी । बाढ़ग्रस्तों की सहायता हेतु वह अथक परिश्रम कर रहे थे और वहीं परिश्रम करते हुये उनकी मृत्यु हो गयी । अलीगढ़ के वह नामी कार्यकर्त्ता थे । देहाती इलाके की सेवा के लिये वह मशहूर हैं और उसी देहाती इलाके की सेवा करते हुये एक वर्कर की गौरवमय मृत्यु हुई है उसके लिये तथा उनके शोक संतप्त परिवार के लिये हम सहानुभूति प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस अच्छे तथा कर्मठ वर्कर की आत्मा को शान्ति प्राप्त हो ।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं तथा अपने दल को जो भावनायें माननीय मुख्य मंत्री ने व्यक्त की हैं, उनसे सम्बद्ध करते हुये निवेदन करूंगा कि हम सचमुच इससे बड़े दुखी हैं कि हममें से एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता उठ गया है । जिसने अपने कर्त्तव्य तथा निष्ठा द्वारा सार्वजनिक जीवन का उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया है हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी संवेदना को संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा की जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन तथा विरोधी दल के नेता ने जो उद्गार प्रकट किये हैं उनके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आग्रह करता हूं कि उनके शोक संपप्त परिवार को हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा की जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

माननीय मुख्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है मैं अपने तथा अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, आखिर में जनता की सेवा करते हुये उनकी जान गयी, यह उनकी महानता का परिचायक हैं । मैं चाहूंगा कि आप हमारे दल की ओर से हमारी संवेदना उनके संतप्त परिवार-तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

माननीय स्वर्गीय देवीदत्त की मृत्यु की सूचना से हम सभी लोग बहुत दुखी हैं । माननीय नेता सदन ने और माननीय विरोधी दल के नेता तथा अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब का जो देहावसान हुआ है वह सम्मान के साथ-साथ एक गर्व की बात है । जनसेवा में जीवन का अर्पण करना महानता का परिचायक है और इस प्रकार जो उन्होंने अपने जीवन का सदुपयोग मानवता के लिये किया, वह हम सबके लिये एक आदर्श की बात है । इन भावनाओं के साथ मैं माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं में जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे अपने आपको और अपने दल को सम्बद्ध करते हुये आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी अ र से उनके संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना को पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवीदत्त के उठ जाने की बात से कि वह जनसेवा करते हुये इस संसार को छोड़ गये, हमें बड़ा दुख है । एक पुराना साथी आज हमारे बीच में नहीं है । एक, एक करके हमारे पुराने साथी जा रहे हैं । हमें इसके लिये बड़ा दुख और खेद है, परन्तु सिवाय इसके कि हम अपनी संवेदना प्रकट कर सकें और कुछ कर भी नहीं सकते । हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे निर्दलीय दल की तरफ से हमारी संवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं अपने और अपने दल को, माननीय नेता सदन के विचारों से सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि आप उस संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचा दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अपने आपको इस सदन द्वारा प्रदर्शित भावना से सम्बद्ध करते हुये केवल इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूं कि जिन्दगी से उन्होंने अपनी एक देश सेवा की राह दिखलायी और मौत से भी वे एक आदर्श वसीयत छोड़ कर गये, यह बड़े महत्व की बात है । उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में हम एक मिनट खड़े हो कर मौन रहें ।

(सब सदस्य अपने-अपने स्थान पर एक मिनट के लिये खड़े हुये ।)

मंत्रियों के लिये आचार संहिता पर चर्चा की मांग

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, एक हमने पत्र भेजा था आपके पास, कदाचित मिला हो । मैंने अभी तक उसके बारे में कोई प्रार्थना की नहीं । कल आपने कहा भी था कि जो मंत्रियों के लिये आचार संहिता बनी है उसके बारे में चर्चा होने के लिये कल बात हुई । आपने कहा था कि हम विचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करेंगे और हमने एक पत्र भी दिया। यह जो आचार संहिता बनी है, इस पर सभी सदस्यों ने विचार व्यक्त किये कि इसमें कोई सैंक्शन नहीं है, केन्द्रीय सरकार की है, यह हम पर लागू नहीं हो सकती। दूसरे यह कान्फीडेन्शल है। तीसरे यह बात भी नहीं बतायी कि जो प्रापर्टी की लिस्ट मंत्री लोग देंगे, कौन मशीनरी होगी जो उसकी तसदीक करेगी? वे स्वयं ही सब कुछ करेंगे और स्वयं ही जज बन जायेंगे। मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि कल इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। जब यह सदन के सामने रखी गयी तो यह सदन की प्रापर्टी हो गयी। तब हम उस पर विचार कर सकते हैं इस लिये कि उससे सारा जन समाज सम्बद्ध है, हमारे मंत्रिगण संबंधित हैं और सारे सरकारी अधिकारी भी उससे प्रभावित होंगे जसा उस कोड का आचरण होगा। तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उस पर थोड़े समय तक डिस्कशन करने का अवसर दें ताकि हम भी अपनी राय उस संबंध में दें और उस प्रकाश में यदि कुछ सुधार हो सकता है उस कोड के अधीन तो हो और हमारी राय मानी जाय और उसमें वजन हो। इस पर मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। आप कृपया इस पर अपना आदेश दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी विषय पर आपको लिखकर भेजा है उसके संबंध में निवेदन यह है कि यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जब आपका कोड़ आफ कंडक्ट आ गया है तो उस पर विचार करें कि मंत्रिमंडल के लोगों ने उसका उल्लंघन किया है या नहीं? यह आवश्यक हो गया है इसलिये हमने कल नोटिस भेजा था और जसा कि मैंने कल निवेदन किया था कि इसका अर्थ यह हो गया कि सदन की जो प्रापर्टी हो गई उस पर विवाद हो सकता है। आपने कहा था कि यह हाइपोथेटिकल है। जब कोई चीज आयेगी तो आप उस पर निर्णय देंगे। इसलिये हमने इसे अब नियमानुसार भेजा है और आशा है कि आप इस पर अपना निर्णय देंगे कि इस पर विचार किया जा सके।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैंने निवेदन कर दिया था कि . . .

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

पहले मुख्य मंत्री बोल लें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मुख्य मंत्री जी के बोलने से पहले ही सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं होगा। इसके बाद सुनेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

इससे क्या फायदा है? मैं व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद उठाइये। देखिये, व्यवस्था का प्रश्न कोई नहीं है। यहां पर जो प्रस्ताव रखा गया है . . . .

श्री चन्द्रबलीसिंह—

यही मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के मुताबिक आप यह सवाल ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जब समय आये तो पूछ सकते हैं। अब आप कृपया बैठ जाइये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैंने कल ही सदन को अवगत करा दिया था कि यह कोड आफ कंडक्ट हमारा बनाया हुआ नहीं है, केन्द्रीय सरकार का बनाया हुआ है। उन लोगों का आग्रह था कि लोगों की इंफ रमेशन के लिये फ्लोर आफ दि हाउस पर रख दें। इसलिये हमने भेज दिया है। इसमें परिवर्तन कुछ नहीं कर सकते हैं, वह केन्द्रीय सरकार करेगी। किसी को सुझाव देना हो तो वह दे दें, उनको केन्द्रीय सरकार को भेज देंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इसमें परिवर्तन का सवाल नहीं है। सदन के सामने उपस्थित करने का क्या तात्पर्य था जब केवल रख दिया जायेगा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ? मैं समझता हूं कि यह सदन का घोर अपमान है अगर सदन अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकता है। आपको हम इसका औचित्य बता रहे हैं। उन्होंने कांफिडेंशियल रखा, सब अपनी बातें हैं और डिसकशन भी नहीं होना है तो उसक रखने से लाभ क्या है ? सदन में जो चीज रखी जाती है, उसका तात्पर्य यह है कि वह चीज सदन की प्रापर्टी हो गई सदन उस पर चर्चा कर सकता है, सदन उस पर विचार कर सकता है और यदि आवश्यकता हुई तो संशोधन दिये जायेंगे, नहीं तो परामर्श करने की आवश्यकता क्या है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

माननीय मुख्य मंत्री ने जो यह बात कही कि 'मैंने लोगों की जानकारी के लिये यह बात सदन की मेज पर रखी है।' तो वह माननीय सदस्यों के पास डाक से भी सूचना भेज सकती थी, यदि उन्हें इस पर विवाद करने की अनुमति नहीं देना था। सदन की मेज पर रखने का मूल आशय ही यह है कि वह चीज सदन की हो गयी और सदन उस पर विचार विमर्श कर सकता है। इसलिये इस पर हमें विवाद करने का पूरा अधिकार है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा निवेदन यह है कि अध्यक्ष पीठ से जो निर्णय दिये गये हैं समय-समय पर, उसे निर्णयों के संकलन में आप देखें, पृष्ठ २३६ पर। "२९ मार्च, १९५४ को श्री राजनारायण ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर भाषण करते हुए मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिये वितरित एक रिपोर्ट का जिक्र किया। इस पर श्री गेंदासिंह ने एक वैधानिक आपत्ति उठाई कि 'क्या यह उचित है कि ऐसी रिपोर्ट जो कांग्रेस कमेटी को देने के लिये प्रकाशित की जाय, वह यहां टेबिल पर रखी जाय ?"

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सुनने दीजिये, इतना शोर मत कीजिये, नहीं तो मैं रोक लूंगा और अपने कमरे में निर्णय दे दूंगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्री अध्यक्ष ने इस पर मन्तव्य दिया कि 'इस पर इस समय विचार नहीं हो रहा है, लेकिन गवर्नमेन्ट ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यह आपकी सूचना के लिये है और आप इसका इस्ते-

माल कर सकते हैं।' श्री अध्यक्ष ने पुनः श्री गेंदासिंह द्वारा स्पष्टीकरण चाहने पर कहा, 'यह तो दूसरा प्रश्न है कि इसको कांग्रेस पार्टी के सामने पेश करना चाहिये या नहीं करना चाहिये। लेकिन अगर टेबिल पर रखा गया है, तो यह मान लेना चाहिये कि यह रिपोर्ट आपके प्रयोग के लिये है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।'

श्री अध्यक्ष—

श्री गेंदासिंह द्वारा स्पष्टीकरण चाहने पर अध्यक्ष ने कहा, "यह तो दूसरा प्रश्न है कि इसको कांग्रेस पार्टी के सामने पेश करना चाहिये या नहीं करना चाहिये, लेकिन अगर टेबिल पर रखा गया है, तो यह मान लेना चाहिये कि यह रिपोर्ट आपके प्रयोग के लिय है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।" ठीक है, तो आप इसक द्वारा क्या कहना चाहते हैं? आपके कहने का आशय क्या है, आप इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं?

श्री कल्पनाथसिंह—

यह सूचनार्थ है और यदि माननीय सदस्य इसको किसी बात की पुष्टि में कहना चाहें तो कह सकते हैं। यह मंत्रियों क लिये कोड आफ कान्डक्ट बना हुआ है और उसका इस्तेमाल हो सकता है। उसका कोटेशन हो सकता है और इस प्रकार वह इस्तेमाल हो सकता है किन्तु इस सदन में उस सिलसिले में इस व्यवस्था को देखते हुए कोई चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि माननीय सदस्यगण जो सुझाव दग उसको हम भेजेंगे, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे हाउस के अन्दर सुझाव लगी, यह बात निश्चित है। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो निर्णय दिया है उससे और स्पष्ट हो जाता है कि इस पर बहस करने का अधिकार हमको है क्योंकि अब यह सदन की संपत्ति हो गयी है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है और उसके लिये खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या ६ बार गिनवा ली गयी है और आज अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सबसे ज्यादा आदमी हैं। आप चाहते हैं कि आदमी बाहर चले जायं इसलिये जानबूझकर दूसरे विषय पर समय देकर उसको टालते जा रहे हैं, यह पूरा विश्वास हम लोगों को हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे बड़ा अफसोस है। अगर यह बात है तो माननीय नेता विरोधी दल, यह विषय समाप्त है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरा कहना तो आप सुन लें, यह ठीक नहीं है कि इसको समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप इनकी बातों का समर्थन करते हैं और फिर यह भी कहते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इसमें सिर्फ एक गलतफहमी की स्थिति पैदा हो रही है। आप इसको किसी दूसरे वक्त ले लीजिये, मैं उनकी बात का समर्थन नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप चन्द्रबलीसिंह जी की बातों का समर्थन करते हैं?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

नहीं, मैं समर्थन नहीं करता हूं ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

उन्होंने एक बार कह तो दिया कि वे समर्थन नहीं करते हैं आप बारबार उनसे क्यों कहलवाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जब वे समर्थन नहीं करते हैं तब उनकी बात सुनने तो दीजिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरी सिर्फ यह प्रार्थना है कि फिर से इस विषय को किसी और समय लिया जाय, समाप्त न किया जाय । आपने कहा विचार समाप्त । तो समाप्त नहीं, इसपर विचार स्थगित कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, कल इस पर विचार होगा ।

बलरामपुर बिजली कम्पनी में बिजली सप्लाई की अनिश्चितता के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब बलरामपुर बिजली कम्पनी के अव्यवस्था वाले विषय पर वक्तव्य होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

यह काफी बड़ा वक्तव्य है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

क्या यह सदन का मत है कि इसको पढ़ा हुआ माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री से) आप वक्तव्य पढ़िये ।

विद्युत उप मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

इस क्षेत्र में दो पावर स्टेशन हैं एक डीजल पावर स्टेशन बहराइच में है, दूसरा बलरामपुर में स्टीम पावर स्टेशन है जिन्हें भूतपूर्व बलरामपुर, राज इलेक्ट्रिक सप्लाई, कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड से ले लिया गया है । बहराइच का डीजल स्टेशन द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में जिला बहराइच तथा गोन्डा के राजकीय नलकूपों को अन्तरिम रूप से, जब तक रिहन्द से यह क्षेत्र सम्बद्ध न हो, बिजली देने के लिये बनाया गया था । तब से इस क्षेत्र की विद्युत की आवश्यकता कई गुना अधिक बढ़ गई है । भूतपूर्व बलरामपुर राज इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी इस क्षेत्र के १६००/१८०० के० डब्लू० तक के सीमित भार की पूर्ति करती थी । नियंत्रण हटा लेने पर इस क्षेत्र की बिजली की मांग बढ़कर करीब दुगनी हो गई है । अतएव अब इस क्षेत्र की अधिकतम मांग ५,५०० के० डब्लू० की है ।

पहले सुल्तानपुर से सोहावल तक, और फिर गोन्डा तक ६६ के० वी० लाइन बनाने का प्रस्ताव था ताकि रिहन्द पावर स्टेशन से बिजली यहां तक लाई जा सके । लेकिन यह स्कीम बाद में

छोड़ दी गई। कुछ वर्षों के बाद यह फिर अनुभव किया गया कि सुल्तानपुर होकर गोन्डा तक लाइन बनाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है और अब इलाहाबाद से सुल्तानपुर और अयोध्या होते हुए १३२ के० वी० लाइन गोन्डा तक बनाने की योजना है। इस पारेषण लाइन में दो बड़ी नदियों की क्रांसिग पड़ती है। पहली इलाहाबाद में गंगा नदी पर और दूसरी अयोध्या में घाघरा नदी पर। नदियों की इन क्रांसिग तथा इस लाइन के सब स्टेशन के संयंत्रों के लिये विदेशी मुद्रा के मिलने में देरी होने के कारण इस लाइन तथा सब स्टेशन के दिसम्बर, १९६७ तक पूरी होने की आशा है।

इस क्षेत्र की बढ़ी हुई आवश्यकता की अविलम्ब पूर्ति के हेतु घाघरा नदी पर ३३ के० बी० की एक फेयर वेदर क्रांसिग का निर्माण रोनाही पम्पिग स्टेशन के निकट किया गया, ताकि गोन्डा सब स्टेशन को सोहावल सब स्टेशन से मिलाकर सोहावल की बिजली गोन्डा तक लाई जा सके। यह व्यवस्था जून के मध्य तक लागू रहती थी, चूंकि जैसे ही पानी बरसना शुरू हो जाता, इस क्रांसिग को तोड़ना पड़ता था। इस वर्ष भी जून के मध्य में इस क्रांसिग को तोड़ना पड़ा था। पिछला वर्ष, वर्षाभाव का वर्ष होने के कारण बलरामपुर पावर स्टेशन की मशीनों को बिलकुल ही नहीं बन्द होने दिया गया, और मशीनों की ओवरहालिंग तक नहीं की जा सकी। इसी प्रकार, बहराइच के डीजल स्टेशन की मशीनें भी बिना रोके चलाई जाती रहीं ताकि नलकूपों तथा उद्योगों को पूरी मात्रा में बिजली दी जा सके। मशीनों को लगातार बिना रोके हुए चलाने का नतीजा यह हुआ कि पिछले महीने ३००० के० डब्लू० की क्षमता वाली एक सबसे बड़ी मशीन में प्रकम्पन होना शुरू हो गया और उसे सफाई तथा ओवरहालिंग के लिये बन्द करना पड़ा। इसके अतिरिक्त २००० के० डब्लू० की १९४८ में लगाई गई मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। ३००० के० डब्लू० के क्षमता वाली मशीन अब ओवरहाल करके ५ अगस्त, १९६६ को फिर से चलाई गई है। तब से इस क्षेत्र की बिजली की सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और आम तौर से रात में सभी को बिजली दी जाती है। दिन के समय में अब भी उद्योगों को बिजली पारी लगा कर देना पड़ता है कुछ से कहा गया है कि आप सुबह बिजली लें तथा दूसरों को शाम को बिजली दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र को बिजली जिसमें नलकूपों को बिजली दी जाती है अब पहले की तरह दी जाने लगी है। आशा की जाती है कि जैसे ही काफी पानी बरस गया इस क्षेत्र के सभी प्रकार के भारों को बिला पारी लगाये ही पूरी मात्रा में बिजली दी जा सकेगी। इसमें उद्योगों को दी जाने वाली बिजली भी शामिल है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, रिहन्द से बिजली गोन्डा तक लाने के लिये १३२ के० बी० लाइन तथा सब स्टेशन का निर्माण दिसम्बर, १९६७ तक पूरा हो जायेगा। लेकिन अगले जाड़े तथा गर्मियों में बिजली की पूरी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये बस्ती से गोन्डा तक ३३ के० बी० लाइनों को लगाया जा रहा है ताकि गोरखपुर से गोन्डा तक कुछ बिजली लाई जा सके। इसके अतिरिक्त सोहावल गोन्डा को मिलाने वाली ३३ के० बी० लाइन को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि सोहावल से और अधिक बिजली गोन्डा लाई जा सके। मऊ से आजमगढ़ तक एक १३२ के० बी० लाइन का निर्माण किया जा रहा है और इसके आगे आजमगढ़ से टांडा तक ३३ के० बी० लाइन का ताकि टांडा का ४००० के० डब्लू० का भार मऊ से दिया जा सके और सोहावल में बाकी रहने वाली बिजली को गोन्डा लाया जा सके। इन व्यवस्थाओं के नवम्बर, १९६६ तक पूरा होने की आशा है और उसके बाद गोन्डा तथा बहराइच की बिजली की स्थिति काफी हद तक सुधर जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास माननीय विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' और माननीय गिरधारीलाल की लिखी हुई सूचना आयी है, जिन्होंने वे सदस्य थे जिन्होंने उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे कि पुनः विचार करने के बाद उससे वे अपने को अलग करते हैं, डिसअसोशिएट करते हैं। अब यह प्रस्ताव है . . . .

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक मोशन नो-कानफिडेन्स का मूव होने जा रहा है कि उसके लिये आप अनुज्ञा दें। जब वह अनुज्ञा लेने के लिये खड़े होंगे उसके माने यह हैं कि वह उसके पक्ष में वोट देते हैं और यह हमारे सदन का निश्चित मत है कि १ बजे से २ बजे तक कोई मतदान नहीं होगा। इसलिये इस वक्त मतदान होना अवैध है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी आपने स्वयं १ बजे से २ बजे के अन्दर इस पीठ पर बैठकर डिवीजन किया है और मेरे प्रस्ताव पर ही कराया है। मैं माननीय शरण जी को बतला दूं कि अध्यक्ष जी ने उस दिन कहा था कि हालांकि कनवेंशन है कि इस बीच में डिवीजन न हो, लेकिन चूंकि डिवीजन मांगा गया है तो करवाउंगा। अगर यह न निकले तो मैं जो सजा आप चाहेंगे वह मंजूर करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अगर मैं आपको बुलाता तो आप बोलते। मैं मुनासिब समझता तो आपको बुलाता, मगर आप बिना इजाजत खड़े हो गये। आपने यह नहीं समझा तो मैं क्या बताऊं? अगर मुझे माननीय शरण की बहस से संतोष हो जाता तो मैं आपसे पूछता। जिसके विरुद्ध मेरा मत होता है, मैं उससे ही पूछता हूं, आप बिला बजह खड़े हो गये।

वृजभूषण जी, १ और २ के बीच में कोरम का प्रश्न नहीं उठना चाहिए और अगर कोरम का प्रश्न कोई उठा दे तो फिर उस कोरम की दृष्टि से सदन कोरम बनाये, बिना कोरम के सदन चल नहीं सकता। इस किस्म की बात भी जरूर हमने अंगीकार कर ली कि सदन में इस बीच में वोट न लिया जाय। लेकिन अनुज्ञा एक ऐसा विषय है कि जिसमें मैं चाहूंगा कि सरकारी पक्ष में कोई बात न उठायी जाय। यह वोटिंग नहीं है।

श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव अनुज्ञा के लिये पेश करना चाहता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि माननीय होतीलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, विधान सभा को उपाध्यक्ष पद से हटाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल का हूं इसलिये मेरे दिल में जो उपाध्यक्ष महोदय की निष्पक्षता के संबंध में उदगार हैं वे हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के लोग भी हमारी बातों का पुरजोर समर्थन करते हैं तो हम भी इस फैसले पर पहुंचते हैं कि बिना इन्हें हटाये समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

व्यवस्था का प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विद्ड्रा कर लिया है और उसके लिये आपने एनाउन्स कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य उसमें नहीं है।

एक सदस्य—

रामचन्द्र विकल जी ने अभी विद्ड्रा नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे खड़े हो जायं। (गिनती कराने के उपरान्त)

अनुज्ञा के पक्ष में ९६ सदस्य हैं, अतएव सदन ने इस प्रस्ताव को रखने की अनुज्ञा दी।

(तालियां)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन कर दूं कि यह जो अनुज्ञा सदन ने प्रदान की है वह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस सदन में उपाध्यक्ष महोदय को जिस प्रकार कार्यवाही का संचालन करना चाहिये, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बहस के लिये कम से कम दो दिन का समय दें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं यह कहना चाहती हूं कि एक दिन के लिये ही यदि हम इस प्रश्न पर विवाद रखें तो अच्छा होगा।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिना आपके आदेश के या बिना आपसे पूछे खड़े होकर एक प्रस्ताव कर दिया। जब आप उसके बारे में उनसे पूछें तो उनको अपनी बात कहनी चाहिये। आप इस पर व्यवस्था दीजिये कि क्या कोई सदस्य बिना आपकी आज्ञा के इस प्रकार भाषण दे सकता है?

श्री अध्यक्ष—

जिस तरह से बिना मेरे बुलाये हुए माननीय केशरीप्रसाद पाण्डेय खड़े हुए हैं, उससे कम उन्होंने गलत काम किया है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अपनी बात कही है।

श्री अध्यक्ष—

आप अनियमित बातें कर रहे हैं। अब इसके लिये मैंने पहले घोषित किया था कि आज बहस होगी, किन्तु राज्यपाल महोदय के आदेश के अन्तर्गत आज वित्तीय कार्य होगा, इसलिये इस पर कल बहस होगी। एक दिन इसके लिये काफी होगा और यह कल ११ तारीख को लिया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैं आपकी आज्ञा से कुछ निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहस के लिये दो दिन का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह विषय समाप्त हो गया। आप अब कृपया बैठ जायं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

दो दिन का समय बहस के लिये होना चाहिये....

(व्यवधान)

१९६६-६७ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं पहले सामान्य विवाद हो जाय। साढ़े ३ बजे तक सामान्य विवाद हो, फिर उसके बाद ५ बजे तक अनुदानों को लिया जाय।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदानों....

श्री अध्यक्ष—

साढ़े ३ तक सामान्य चर्चा होगी, उसके बाद कटौती के प्रस्ताव रखे जायेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

ठीक है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश आज अनेकों समस्याओं के बीच से होकर गुजर रहा है। कल सायंकाल यहां बताया गया कि अवमूल्यन के कारण इस वर्ष के बजट पर १२ करोड़ रुपये का अधिक भार पड़ने वाला है। आज प्रदेश के सामने नाना प्रकार की समस्यायें हैं कोई एक समस्या हमारे सामने आज नहीं हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया है, वे स्वयं उसका समर्थन नहीं करते, उसके समर्थन में वे कुछ कहना भी नहीं चाहते। आज माननीया मुख्य मंत्री एक समस्या हैं, श्री के० के० दास और उनके कर्मचारी एक समस्या हैं, यह मंत्रि मंडल एक समस्या है,यह योजना एक समस्या है, जो कर्जा हम ले रहे हैं वह एक समस्या है और उपाध्यक्ष महोदय भी एक समस्या है, महज आप ही एक रह जाते हैं जो समस्या नहीं हैं। सदन में आपको छोड़ कर बाकी सभी समस्यायें बनी हुई हैं और वे गले तक आ गयी हैं। इसलिये मैं आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आप यह देखें कि माननीया मुख्य मंत्री अपने मंत्रियों की हैसियत को छिपाना चाहती हैं इस सदन से। आखिर क्यों? यह सदन यह तो चाहता नहीं कि हमारे मंत्रिगण गरीब हो जायं या उनकी हैसियत में कमी आ जाय, बल्कि सदन यह चाहता है कि वे अपने पदों का दुरुपयोग करके कदाचित जो अनुभव करके लाभ उठाना चाहते हैं, वह न उठाने पावें। मैं कहता हूं कि आज तो मंत्रियों की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव होना चाहिये था कि इस कोड को सख्त से सख्त हमारी विधान सभा हमारे लिये बनावे। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र के मंत्रियों के लिये कोड बनाया है, उसी तरह से यहां के मंत्रियों के लिये यहां की विधान सभा सख्त से सख्त कोड बनावे ताकि अपने पदों का दुरुपयोग करके कोई अपनी संपत्ति को न बढ़ा सके।

(इस समय १ बजकर २६ मिनट पर, अधिष्ठाता श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुए।)

मुझे तो यह बात सुनकर शर्म आयी जब इस सदन के ही एक सदस्य ने कहा कि माननीया मुख्य मंत्री पर दबाव डाला जा रहा है तो माननीया मुख्य मंत्री कहती हैं कि नहीं, नहीं। आप अखबारों को पढ़ें, उसी से मालूम हो जायगा कि माननीया मुख्य मंत्री रात ११ बजे तक गुप्ता जी और त्रिपाठी जी के यहां चक्कर लगाती रहीं और १० बजे तक मंत्रियों के घरों के चक्कर लगाती रहीं, ऐसी कमजोर तो ये मुख्य मंत्री हैं जिनके पीछे इस प्रजातंत्र के युग में ४-६ आदमी भी नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे आपस में बातचीत न करें, जरा शान्त रहें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीया मुख्य मंत्री के लिये सरकारी कर्मचारी कहते हैं मुर्दाबाद। इनको निकाला जाय। अभी आपके सामने एक मिसाल पेश हुई कि एक कलेक्टर का २४ घंटे के अन्दर इसलिये तबादला किया गया चूंकि उन्होंने वहां किसी व्यक्ति को अवैधानिक ढंग से बन्द कर दिया था और यहां कलेक्टर थाने पर जमानत लेने गया, उसके लिये कोई पूछने वाला तक नहीं है, यह सरकार की नाक के नीचे हालत है।

अभी हमारे सामने एक सप्लीमेन्टरी बजट पेश है, मैं यह नहीं कहता कि सप्लीमेन्टरी बजट क्यों आया, सप्लीमेन्टरी बजट आना चाहिये। लेकिन अगर आप इस बजट पर दृष्टिपात करें तो आपको मालूम होगा कि बजट क्या है। इसमें ४ बजट केन्द्रीय सरकार की सहायता से संबंधित हैं जिनमें गोबर गैस प्लान्ट आदि भी हैं। दो का संबंध अनुसन्धान से है। एक दुर्भिक्ष सहायता के लिये हैं, एक नेहरू पर्वतारोहण अनुसन्धानशाला से संबंधित है और ५६ अनुदान ऐसे हैं जिन अनुदानों में केवल मात्र इतना है कि यह बचत होने वाली है, चूंकि पुराने बजट में यह अनुदान है, इसलिये इसको हमने रखा है। आप देखें जैसा मैं कहता हूं कि अभी कागज की स्याही सूखने भी न पायी थी, अभी बजट पास हुये कुछ दिन हुये हैं। यहां तक कि कुछ विभाग के पास इसके सैंक्शन की सूचना भी न पहुंची होगी कि तुम्हारे विभाग के लिये इतना अनुदान है, क्योंकि फरवरी तक तो इसकी नौबत ही नहीं आती और ३१ मार्च तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसी साल ३१ मार्च, को प्रदेश का करोड़ों रुपया बैंक की हड़ताल होने की वहज से यूटिलाइज होने से रह गया, तो अभी कागज की स्याही सूखने भी न पाई और इनकी बचत शुरू हो गयी। मेरा कहना यह है कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने चेतावनी दी कि झूठा बजट बनाना छोड़ो, रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी झूठे वायदे बन्द करो, और अगर आज देश व प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी देखी जाय तो इस बजट के द्वारा इस प्रदेश का एक झूठा चित्र हमारे सामने रखा गया है, झूठे वायदे किये गये हैं, यह केवल दिखलावा मात्र है कि हमने फलां-फलां बात मान ली और इस प्रदेश के अन्दर हमने करोड़ों रुपये की बचत कर दी।

श्रीमन्, मैंने मंत्री जी द्वारा बजट पेश करते समय ही कहा था कि इस बजट में १५ करोड़ रुपये की बचत होगी लेकिन मंत्री ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार से मिले हुये अनुदान को जो आय की रकम के रूप में दिखलाया गया है यह भी झूठा है, और केन्द्र से अधिक रुपया देने का आपके बजट में प्रोविजन है। आपने अपने बजट में क्या प्राविजन किया है? माननीय मंत्री जी ने उस समय वायदा किया कि आज जब यहां सप्लीमेंटरी अनुदान आयेगा तब पुनरीक्षित अनुदान भी प्रस्तुत करेंगे। मैं आशा करता था कि सप्लीमेन्टरी अनुदान में पुनरीक्षित अनुदान भी प्रस्तुत करेंगे। परन्तु कोई जिक्र नहीं। मंत्री जी से कोई मतलब नहीं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने आपको कुछ उस रूप में रखा है जैसा माननीया सुचेता कृपालानी ने कहा कि वेतन बढ़ने जा रहा है लेकिन केन्द्र से सहायता मिलने जा रही है वह छिपाई हुई है। क्या वायदा है यह नहीं बताते। तो क्या विधान सभा कोई ऐसी सभा है, यह कोई कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी है जो विकल जी को छोड़कर सब हाथ उठा दें। यह तो ऐसी सभा है जो सारे दोषों का निराकरण करती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो गलत चित्र रखा है उसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन्होंने वायदा क्या किया था कि जब हम अपने अनुमान रखेंगे तो यह भी रखेंगे कि जो भूमि भवन कर वगैरह लगाये गये हैं इस इजेंन्सी में संतुलन के लिये, उनको हटा लेंगे। कल मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र ने कहा है कि प्रदेश किसी भी स्थिति में सुरक्षा नियमों का उपयोग न करें। ऐसी बात नहीं है। माननीय वित्त मंत्री को चाहिये कि अब भी वे गलती को परिमार्जित कर सकते हैं। घोषणा करने के लिये बहुत समय है वे कर सकते हैं। एक और मजेदार बात, माननीय अधिष्ठाता महोदय, चल रही है कि दो मंत्रालयों के अनुमान में २० लाख टन का अन्तर है। मंत्री योजना के कहते हैं कि २० लाख टन अधिक होगा और योजना मंत्रालय कहता है कि बीस लाख टन कम होगा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको बता दूं कि पिछले चार वर्षों में जो सप्लीमेन्टरी बजट प्रस्तुत हुये उसमें प्रस्तुत-कर्ता को पन्द्रह मिनट मिले। इसलिये पन्द्रह मिनट ठीक हैं। मैं समझता था कि आपको इस संबंध में जरूर पता होगा फिर भी तीन चार मिनट और मैं आपको दे दूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अधिष्ठाता महोदय, १५ मिनट और दे दीजिये। मेरा निवेदन यह है कि दो आंकड़े एक बात के लिये प्रस्तुत हो गये। मैं नहीं समझ सकता कि हमारा आधार क्या है। इस संबंध में माननीय मेंदासिंह जी ने कहा कि यह तो डर्बी की लाटरी हो रही है जिसके हाथ में जो पुस्तक पड़ जाय वही वह मान ले और कहते हैं कि पन्द्रह दिन में आंकड़े दूंगा कि कौन से आंकड़े सही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन आंकड़े सही हैं, क्या चाहती है सरकार। सरकार अब और किन आंकड़ों को आधार रूप में मानेगी। एक माननीय रामसहाय जी की कमेटी बनी। १५ दिन कौन कहे, पन्द्रह महीने में भी रिपोर्ट आने वाली नहीं है। यह अत्यन्त लज्जा की बात है सरकार के लिये। आप देखें कि क्या इस सप्लीमेन्टरी बजट से हमारे सामने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कोई सही चित्र आया है? ६६–६७ की वार्षिक योजना का कोई चित्र आया है? कदाचित आप देखें कि कोई चित्र सामने नहीं आया है। क्या पोषण के लिये ही कोई विशेष योजनायें बनाई हैं या किन्हीं व्यक्तियों की सहायता के लिये कुछ योजनायें काट रहे हैं? वह कौनसी योजनायें हैं जो काट रहे हैं जिनकी हमने स्वीकृति दी थी? काटेंगे नहीं तो बचत कैसे होगी। पास कौन सी हो रही हैं और किनके लिये जिन्होंने चाटुकारिता में सारा जीवन बिता दिया है उन्हें पैसा देने के लिये। इन योजनाओं का कोई जिक्र नहीं है जो नीतियों द्वारा स्वीकृत हुई हैं। कदाचित सरकारी कर्मचारियों के बारे सौ रुपये की प्रतीक मांग, यह सब घपला है। केन्द्रीय सरकार कह रही है कि हम डिग्री कालेजों के लिये सेंट परसेंट देंगे लेकिन यहां सारा मामला घपले में पड़ा हुआ है। इस सरकार को कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। सारे झूठे वादे घोड़े की रफ्तार से इनके चलते रहेंगे क्योंकि इन्होंने कह दिया कि अभी एक सप्लीमेंटरी बजट और लावेंगे। क्या यह बचतों का एक, प्रारूप प्रस्तुत किया जायगा? अगर इस सप्लीमेन्टरी बजट से काम नहीं हो सकता है तो जनवरी–फरवरी का सप्लीमेन्टरी बजट भी कोई काम नहीं कर सकता है।

इस बढ़े हुये भ्रष्टचार, बढ़ी हुई समस्याओं में यह बजट हमारे सामने क्या प्रस्तुत करता है? इस बजट में नया पुलिस ट्रस्ट ३ लाख १८ हजार रुपये का बन रहा है। एक ट्रस्ट को दूसरे ट्रस्ट की जेब काट कर ट्रांसफर हो रहा है। सैनिकों का सन् ४२ का पोस्ट–वार रिकांस्ट्रक्शन फंड सरकारी अधिकारियों के पेट में हज्म हो गया। माननीय दास साहेब सोचें कि करोड़ों रुपये की जायदाद व सम्पत्ति केवल सैकड़ों रुपये में ही चली जावे, सैनिक स्कूल के पास १।। करोड़ रुपये की अपनी संपत्ति है। वह बिला किसी आधार के दूसरे ट्रस्ट की जेब में क्यों जावे? अगर सन् ४२ की बैनीफिशरी आज नहीं रह गये हैं जबकि विदेशों के लिये हमारे सैनिक लड़ते थे, तो क्या आज हमारे अपने सैनिकों के लिये जो हमारे स्वतंत्र देश के लिये लड़े हैं, उनके लिये कोई रुपया नहीं है? पुलिसवाले जिन्हें ३लाख १० हजार देना है उसे १।। कराड़ में से दीजिये। क्या वह किन्हीं निश्चित मंत्रियों की कंस्टीट्यूएंसीज के लिये सुरक्षित योजना है? इन ट्रस्टों के संबंध में जिनमें पराजित कांग्रेसियों को आप प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, आप क्यों बढ़ाते चले जाते हैं और लेजिस्लेचर के सामने वे रकमें क्यों नहीं आती हैं?

शिक्षा के बजट में सैनिक स्कूल सोसाइटी को रुपया दे दिया जाय कोई आपत्ति नहीं है। सैनिक स्कूल प्रदेश में हर जिले में चलाये जावें। लेकिन जो काम सरकार नहीं कर सकती है उसे उसके कर्मचारी निजी रूप में कैसे कर सकते हैं? गवर्नर साहेब की आज्ञा होने से कौन से सुरकाब के पर उसमें लग जाते हैं कि उस रुपये का दुरुपयोग नहीं होगा? सब कोई मानते हैं कि उन ट्रस्टों ने २, ३ करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

दिल्ली में एक ट्रस्ट बन रहा है जय प्रकाश जी की नीतियों के अन्तर्गत गांधी जी के नाम से। इस प्रदेश में लेकिन कुछ नहीं चलना है। इस सरकार को गांधीजी की नीतियों की जरुरत नहीं है। यहां तो लाठी और गोली की जरुरत है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन देने के लिये तैयार हैं, सिफारिश करता है, लेकिन इस सरकार के पास हमारे शिक्षकों के लिये एक पैसा नहीं है। कवाल टाउन्स में पढ़ाने वालों के लिये एक पैसा नहीं है। हमारे चूहेमार मंत्री ने योजना रखी है कि चूहे खाओ। गोबर का प्लान्ट चल रहा है लेकिन चपाती तभी पकेगी जब कि अमरीका का गेंहूं आवेगा। कृषि में उत्पादन की योजना किस चीज की है? तम्बाकू की। तरकारी, बेहन सब खत्म हो गये, केवल तम्बाकू रह गया। कनज्यूमर्स स्टोर्स खोलने की सरकार बात करती है लेकिन जब उत्पादन ही नहीं होगा तो इन स्टोर्स के लिये सामान कहां से आवेगा? बुलन्दशहर में एक नयी मिल बन रही है। बीबी बच्चों के बाद अब खानदान का नम्बर है। बुलन्दशहर मिल को १८ लाख रुपया दिया जा रहा है। इटावा की मिल ने आज तक बैलेन्स शीट ही नहीं बनाई। अगर विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में २९ सोसाइटियां रजिस्टर्ड हैं तो सरकार कहती है कि नहीं। कंट्रोल्ड गुड्स जो इस सरकार के अन्तर्गत हैं उनको भी सारे भारतवर्ष में सहकारिता वालों को देने की नीति सरकार ने निश्चित की है। लेकिन यहां प्राइवेट दूकानदार भी रहेंगे। आप देखें, अधिष्ठाता महोदय, कि ब्लैक मार्केट के सजायाफता लोग भी छूट गये हैं। उन पर विशेष कृपा हो गई दिल की धड़कन के कारण।

सहकारी रजिस्टर्ड सोसाइटीज को बहुतों को लाइसेंस ही नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ १८ लाख रुपये की रकम ऐसी मिल को दे देते हैं जो कि अभी बनी भी नहीं है, पता नहीं कि वह चलेगी भी या नहीं। हो सकता है कि किसी हारे हुये मंत्री को डाइरेक्टर बनाना हो।

अधिष्ठाता महोदय, आप भी जरा गौर करें कि कमिश्नर्स की ४२ पोस्ट्स हमारे प्रदेश में हैं। पहले तय हुआ था कि ये पोस्ट्स टूटेंगी और कुछ कम भी की गईं। लेकिन सरकार ने पल्टा खाया और फिर बढ़ाना शुरू कर दिया और बढ़ते-बढ़ते आज ४२ हो गई हैं, १०--५ नहीं, ४२। अगर कमिश्नर्स की छटनी ही तो कुछ आभास हो कि नीचे भी छटनी होने वाली है। इतने अधिक कमिश्नरों की कतई आवश्यकता नहीं है।

विदेशी सामान के उपयोग से जब तक हम मुड़ते नहीं, और इसके साथ मूल्यों को बढ़ने से जब तक हम रोकेंगे नहीं, जो कि उत्पादन बढ़ाकर ही हो सकता है, या मूल्यों को नियंत्रण करने से हो सकता है, जब तक यह नहीं होता है तब तक इस सरकार से देश का भला नहीं हो सकता है। जब अर्थ-व्यवस्था को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, तो जसे ८ लाख रुपया खाली अमरीका का दूध बांटने के लिये रखा है, जिससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, यही बातें होती रहेंगी। हो सकता है कि केन्द्रीय योजनायें अमरीका और रूस के आधार पर हों लेकिन हमारी प्रदेशीय योजनायें उनसे स्वतंत्र होनी चाहिये। वह बात इस प्रस्तुत बजट में नहीं है। इसलिये मैं इस का विरोध करता हूं।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपनेता विरोधी दल को इस बात की शिकायत है कि यह अनुपूरक अनुदान इस सदन में क्यों प्रस्तुत किया गया, यह परम्परा गलत है। आप स्वयं सोचें कि जब सरकार के काम बढ़ेंगे, नियोजन के काम बढ़ेंगे और जब उनके लिये खर्चे की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी, तो निश्चय है कि सदन के सामने अनुपूरक अनुदान आयेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनार्थसिंह]

इस बात की शिकायत है कि सरकारी पक्ष की ओर से यह जनहित में खर्च क्यों किया जा रहा है और इस के लिये यह अनुपूरक अनुदान क्यों मांगा जा रहा है। उनका यह तर्क हमें कुछ जंचता हुआ नहीं मालूम पड़ा। उनके भाषण से मालूम होता है कि कटौती के प्रस्ताव की जो परम्परा है उसके अनुसार भी वह नहीं चले। माननीय सदस्य ने अपने कटौती के प्रस्ताव में लिखा है कि शिकायत करना और सुझाव देना। शिकायतें तो उनके भाषण में हमें बहुत सुनने को मिलीं लेकिन सुझाव एक भी नहीं मिला। अगर कोई सुझाव आया हो तो हमें आप बतायें। कोई ऐसी बात उनके भाषण में नहीं मिली जिससे कि मालूम होता कि किस दिशा में वह शासन को ले जाना चाहते हैं। उन के दल के क्या विचार हैं ऐसी कोई चीज उन्होंने सदन के सामने नहीं रखी। सहकारिता का विरोध किया गया और कहा गया कि उसमें पैसा ज्यादा दिया जा रहा है। उनके दल की यह कोई नई बात नहीं है। यह तो पुरानी बात है और माननीय सदस्य का दल तो सहकारिता का विरोधी है ही।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

ऐसी बात नहीं है, सहकारी खेती के अलावा हमारा सहकारिता में पूरा विश्वास है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि बीच में स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बैठें।

श्री कल्पनार्थसिंह—

उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को अगर यह सरकार सहायता देती है और प्रोत्साहन देती है और मूल्यों का नियंत्रण करती है तो यह तो सरकार की सफलता है और सही दिशा में एक उचित कदम है। रोज इसकी चर्चा सदन के भीतर और बाहर जनता में होती है कि मूल्यों पर नियंत्रण रहना चाहिये और उस के लिये ज्यादा से ज्यादा सहकारी संस्थायें खोली जायं और उनके माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं का उचित वितरण हो। मैं नहीं समझता कि किसी सदस्य को इससे विरोध होना चाहिये। मैं इस अनुदान का तहेदिल से स्वागत करता हूं और मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक जनता इस के पक्ष में है और वह चाहती है कि जिस तरह से सहकारी संस्थायें आज शहरों में कार्य कर रही हैं उसी तरह से देहात में भी उपभोक्ता भंडार खोले जायं ताकि किसान मजदूर जो १–२ रुपया मजदूरी पाते हैं उन को भी उपभोक्ता वस्तुयें सस्ते दामों पर मिल सकें। अगर इन सहकारी समितियों के द्वारा चीजों के वितरण का प्रबन्ध हो जायगा तो मैं समझता हूं कि इससे सरकार का ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का भी कल्याण होगा और सरकार का यह एक ऐसा कदम होगा जिसके लिये सारे प्रदेश की जनता सरकार को शाबासी देगी। अगर प्रदेश में विकास के काम होंगे, सड़कें आदि बनेंगीं, बांध बनेंगे तो उस में खर्च तो होगा ही। सब अपने अपने क्षेत्र की बात करते हैं, हम रोज कहते हैं कि राप्ती के किनारे कोठा सेसिमरी तक बांध बनाया जाय और अगर सरकार उस का कार्य करे तो फ्लड कंट्रोल के लिये पैसा चाहिये। हम रोज कहते हैं कि हमारे इलाके में बिजली जाय, रोज प्रश्नों के द्वारा और अन्य तरह से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं लेकिन इस सब के लिये सरकार को खर्च की आवश्यकता होती है। हमारे यहां २५–३० गांव बचाने के लिये बेरिया बांध बन रहा है, सरकार को उस के लिये पैसा लगाना होगा, पैसा जादू से नहीं आ जायगा। सदन को पैसे की मंजूरी देनी पड़ेगी। इसी तरह से सड़कों की बात है जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सन् ६२ में एक रामजानकी रोड अयोध्या से जनकपुर तक जाती है, उस का बहुत सा हिस्सा बना हुआ है, कुछ हिस्सा बढ़हलगंज से आगे का बचा हुआ है। उस पर राप्ती नदी पर पुल बनाने की जरूरत पड़ेगी तो अगर इन कामों को पूरा करना है तो कहां से रुपया आयेगा? जब यह सड़क बन जायगी तो यह एक ऐतिहासिक महत्व की होगी। बस्ती जिले से गोरखपुर, देवरिया और जनकपुरी तक का रास्ता हो जायगा। ऐसे कामों के करने के लिये

अगर सरकार रुपया मांगती है तो मैं नहीं समझता कि सदन के किसी माननीय सदस्य को कोई एतराज होना चाहिये। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कटौती का प्रस्ताव पेश करने पर कैसे काम चल सकेगा। इन कामों के लिये सरकार को पैसा चाहिये और इसे रुपया देने में किसी भी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिये यहां पर विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि सरकार का रुपया व्यर्थ की बातों में और फजूलखर्ची में जाता है लेकिन अगर उनके द्वारा कोई उचित सुझाव दिया जाता तो कुछ समझ में आता।

यहां पर कहा गया कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहिये लेकिन कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये ट्यूबवेल के लगाने की जरूरत होती है। हमारी ही तहसील बांसगांव में ट्यूबवेल की बहुत जरूरत है तो अगर उनको लगाना होगा तो रुपया कहां से आयेगा। आज जो प्राइवेट किसानों को अपने निजी ट्यूबवेल्स लगाने की सुविधा दी जा रही है, पंपिंग सेट लगाने के लिये उन पर सरकार द्वारा जो छूट दी जा रही है, तो यह सारा का सारा खर्चा किस बात के लिये है। यही तो सरकार की ओर से किसानों द्वारा उत्पादन बढ़ाने का पहला कदम है। कल भी यहां पर अव-मूल्यन के संबंध में चर्चा करते समय माननीय सदस्यों ने कहा था कि देश में उत्पादन बढ़ाने की जरुरत है। तो प्रश्न है कि उत्पादन कैसे बढ़ें। उत्पादन बढ़ाने के लिये बिजली की आवश्यकता होती है, कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है और दूसरे रा मैटिरियल की आवश्यकता होती है, इन सब में खर्चा होता और सरकार को रुपये की जरूरत होती है।

दूसरे हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये मिलें खड़ी करनी पड़ती हैं। यदि सहकारिता के क्षेत्र में कोई मिल बुलन्दशहर में खड़ी की जाती है और हम गोरखपुर के रहने वाले हैं तो हमें यह कहने का अधिकार नहीं है कि वहां पर क्यों लगायी जा रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्राइवेट सैक्टर में इन मिलों को हटाओ, सोशलिस्ट पार्टी के जो २-४ बचे हुये लोग हैं वे भी यही कहते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में हो और राष्ट्रीयकरण हो और दूसरी ओर इस प्रकार इनका विरोध किया जाय। अगर हमारी सरकार इन मिलों को सहकारिता क्षेत्र में दे दी रही है और पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में ले रही है तो मैं नहीं समझता कि इसमें माननीय सदस्य को कोई एतराज होना चाहिये यह भी तो हो सकता है कि एक्जीक्युशन के प्वाइन्ट पर मतभेद हो लेकिन कहां कौन-कौन सी मशीनरी लगाये, कहां से कौन-कौन सी जमीन ली जाय ये बातें सिद्धान्त रूप में आपके समाजवाद के दृष्टिकोण की द्योतक नहीं हैं। यह समाजवादी कदम नहीं है, यह कहना निहायत गलत होगा और मैं समझता हूं कि स्तवतंत्र पार्टी या जनसंघ या और दूसरे जो समाजवादी विरोधी लोग होंगे वे अगर इसका विरोध करते हैं तो करें, लेकिन बाकी मानगीय सदस्यों को जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं इस प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करना चाहिये।

*श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आपके आसन के प्रति और सम्मानित सदस्यों के प्रति आदर का भाव रखते हुये चूंकि माननीय कल्पनाथ सिंह ने कहा है कि जो खास बातें हों वह एक-एक करके गिनायें.....

श्री अधिष्ठाता—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि साधारणतया सदस्य १० मिनट बोलेंगे।

श्री गयाप्रसाद—

श्रीमन्, जितना माननीय कल्पनाथ सिंह बोले हैं उतना समय मुझे भी दिया जाय, मैं ज्यादा नहीं चाहता।

माननीय कल्पनाथ सिंह जी से कहूं कि इस प्रदेश में जब केन्द्र से यह तय हुआ कि देश में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ और उसकी रोकथाम के लिये केन्द्र से एक नियम बना और उस के तहत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गयाप्रसाद—]

में यह आदेश हुआ कि प्रदेश में भी विजिलेंस कमीशन का निर्माण किया जाय, तो पहले तो हमारे मुख्य मंत्री ने बहुत दिनों तक इसको टाला और काफी समय नष्ट कर दिया, झगड़े हैं, परिणाम स्वरूप शुरू में वह नहीं बना। लेकिन अंततोगत्वा जब बनाने पर तैयार हुई मुख्य मंत्री तो कोई ईमानदार अधिकारी आने के लिये उस पद पर तैयार नहीं हुआ और बहुत मुश्किल से एक अधिकारी आये और जिनकी ईमानदारी की ख्याति प्रदेश भर में है। एक विजीलेंस कमीशन बना। उसके पश्चात् एक दूसरा सवाल उस के साथ जोड़ा गया जिससे उस विजिलेंस कमीशन के कोई माने नहीं रह गये। सवाल यह जोड़ा गया कि जिन मामलों को सरकार विजिलेंस कमीशन में भेजना चाहे, विजिलेंस कमीशन उन्हीं मामलों की जांच करेगा और जब विजिलेंस कमीशन कोई रिपोर्ट देगा किसी अधिकारी के प्रति कोई कार्यवाही करने के लिये तो सरकार अगर चाहेगी तो कार्यवाही करेगी अन्यथा नहीं करेगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के एक नाटक की रचना इस प्रदेश में विजिलेंस कमीशन के नाम से की गई। अब दो, तीन उदाहरण आपके सामने रख दूं।

एक श्री एस० सी० रावत हैं, डी० एस० पी० यह मेरठ में चार्जशीट किये गये और विजिलेंस कमीशन में इन का मामला गया। कमीशन ने इन के खिलाफ ऐडवर्स रिपोर्ट दी लेकिन यह कानपुर में पोस्ट हुये। इनके ऊपर कोई कार्यवाही इसलिये नहीं की गई कि एक वहां मर्डर केस राम दुलारी का हो गया। उस मर्डर केस में इसी डी० एस० पी० ने उस मामले को हश अप करने का सारा प्रबन्ध किया और वह केस हश अप कर दिया। एक मामूली नौकर को फंसा कर के इंस्ट्रीज के डायरेक्टर, श्री ए० बी० मलिक ने श्रीमती राम दुलारी के मर्डर का चार्ज उसके ऊपर लगाया।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपका ध्यान....

श्री गयाप्रसाद—

श्रीमन्, फैसला मेरे पास है, कोर्ट में मामला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

कोर्ट के मामले से मैं भयभीत नहीं हूं। उसके रहते हुए आप कह सकते थे या नहीं कह सकते थे। लेकिन किसी बाहर के आदमी का नाम लेना जो अपने को यहां डिफेन्ड न कर सके, उचित नहीं है। अभी परसों लोक सभा में एक विस्तृत रूलिंग लोक सभा के अध्यक्ष की हुई इसी विषय पर। तो यह उचित नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह तो जुडिशियल प्रोनाउन्समेन्ट हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें वह स्वयं सक्षम हैं, कह सकते हैं।

श्री गयाप्रसाद—

फैसले की नकल मेरे हाथ में है और उसको पढ़ने में मैं समझता हूं कि इस सदन में कहीं रुकावट नहीं है। तो एक इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर थे, और उस डी० एस० पी० ने एक फाल्स स्टोरी उस मर्डर की बनायी और एक नौकर को फांसा। मैं दो बातें कहूंगा। एक तो डिफेन्स के बारे में है। चपरासी ने अपने डिफेन्स में यह प्लीड किया कि हमने मर्डर नहीं किया बल्कि श्री ए० बी० मलिक ने किया। दूसरी बात यह कही कि मलिक साहब ने दो बार किये गोली

से और वह औरत मर गई और प्रौसीक्यूशन ने कहा है कि एक ही गोली चलायी गयी और वह औरत मर गई और गोली नौकर ने चलायी और यह घटना सर्वेन्ट्स क्वार्टर्स के बीच में हुई। और डिफेन्स ने यह कहा कि वह घटना मलिक साहब के बंगले से सट कर हुई है। सारी की सारी बातें डिफेन्स की जज साहब ने मान लीं और सही मानीं और जो प्रौसीक्यूशन था उसकी सारी बातों को गलत माना। मलिक साहब उसमें गवाह थे, तो उनकी बातों को असत्य मान कर अदालत ने निर्णय दिया कि डिफेन्स ने जो बात कही है वह मुनासिब और विश्वासनीय है। ऐसी हालत में मलिक साहब पर दूसरा मुकदमा सरकार को कत्ल का चलाना चाहिये था तो क्या सरकार इसके लिये तैयार है? इसी तरह से एस० पी० फैजाबाद हैं, एस० पी० सिंह उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चला और विजिलेन्स कमीशन में भेजा गया और उसने एडवर्स रिपोर्ट दी। जहां तक मुझे मालूम है वह एक भूतपूर्व मंत्री से संबंधित हैं।

तीसरा केस है एस० सी० श्रीवास्तव का जो सी० ओ० जौनपुर हैं। उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले की जांच हुई और विजिलेंस कमीशन ने एडवर्स रिपोर्ट दी लेकिन वह भी एक मंत्री से संबंधित हैं। इन मामलों पर सरकार ने कोई कार्यवाही इन अधिकारियों के विरुद्ध नहीं की। इसी तरह से एक डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ चार्जेज हैं। एक आर० टी० ओ० श्री वर्मा हैं उनके खिलाफ भी चार्जेज हैं। सब से बड़ा चार्ज मुजफ्फरहसन साहब के खिलाफ है। जज साहब ने इस्तीफा भी दे दिया लेकिन ११ महीने होने को आये दूसरे जज की नियुक्ति नहीं हुई बावजूद इसके कि ७ बार सदन में आश्वासन दिये गये। सरकार कृपा कर बतायेगी कि कब वह दूसरे जज की नियुक्ति करेगी? इसी प्रकार में एक दूसरा उदाहरण रख दूं। एक पुस्तिका छप कर मेरे पास आई। इस पुस्तिका में एक आर० टी० ओ० इलाहाबाद के आर० टी० ओ० श्री बी० एन० गुप्ता को चिट्ठी लिखते हैं कि अगर वह उनको अपनी मातहती में बुलालें तो इससे दोनों को फायदा होगा। एक बात बड़े आश्चर्य की है कि श्री के० के० श्रीवास्तव का ट्रान्सफर, ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ने अथवा मुख्य सचिव ने, किसी ने भी नहीं किया। मुख्य मंत्री ने टेलीफोन पर एक माननीय सदस्य के कहने से वह ट्रान्सफर कर दिया क्योंकि वह सदस्य उनके इर्द गिर्द २४ घंटे बैठे रहते हैं और उस ट्रान्सफर के लिये उनको ५ हजार रुपया मिला। क्या ऐसी भ्रष्ट सरकार को यह सदन एक पैसा भी सप्लीमेन्टरी बजट में देने को तैयार होगा?

मेरा यह भी विनम्र निवेदन है कि सुचेता जी का क्या है जो घड़ी के पेंडुलम की तरह कभी त्रिपाठी की गोद में और कभी गुप्ता की गोद में बैठ जाती हैं और ४, ६ एजेन्ट उनके इर्द गिर्द रहते हैं। उनकी इतनी ही पार्टी है और उन्हीं के बल पर मुख्य मंत्री यहां बनी बैठी हैं और तिकड़म का राज्य चला रही हैं। ऐसी भ्रष्ट सरकार को हम एक पैसा भी सप्लीमेन्टरी बजट में देने को तैयार नहीं हैं।

*श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)---

मान्यवर, मुझे बड़ा दुःख होता है जब यह सरकार इस प्रदेश की जनता से या इस विधान सभा में पैसे की मांग करती है यह कहकर कि हमें यह काम करना है, वह काम करना है। ऐसे वायदों के साथ जब पैसा मांगती है तो मुझे बड़ा दुःख होता है। यह आज की बात नहीं है, यह तो जब से योजनायें चलीं तभी से इसके यह वायदे चले आ रहे हैं। मैं आपके सामने संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि आया रुपये की कमी की वजह से आज देश की हालत गरीबी की तरफ बढ़ रही है या किसी और कारण से। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन्होंने १६६ करोड़ रुपया खर्च किया जिससे १६५ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई, यानी १ रुपया प्रति व्यक्ति की आमदनी हुई। दूसरी योजना में २८८ करोड़ रुपया खर्च किया और प्राप्ति हुई १७८ करोड़ रुपये की। सम्भवतः यह भी १ रुपया प्रति व्यक्ति ही आमदनी हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामअधार कनौजिया]

है और यह योजना ५०२ करोड़ से संभवतः बढ़ कर ५६५ करोड़ रुपये की हो गयी है। प्राप्ति की क्या हालत है यह पुस्तकें स्पष्ट कर देंगी। अब देखना यह है कि पहली पंचवर्षीय योजना में १६६ करोड़ खर्चे कर के १ रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी हुई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २८८ करोड़ रुपये जब खर्च किये तब भी आमदनी वही रही। शेष रुपया किस कार्य में खर्च हुआ, वह किधर गया? मैं सीधा आरोप इस सरकार पर लगाता हूं कि यह सरकार भ्रष्ट है, नीयत इसकी खराब है, खुदगर्जी में पड़ी हुई है, गद्दी से चिपकी हुई है। इसकी चोटी केन्द्र में जाकर दब गयी है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रदेश की जनता का नेतृत्व करने के काबिल नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो ५६५ करोड़ रुपया खर्च हुआ फिर भी यह निश्चित है कि आज देश गरीब है, अन्न की आवश्यकता है, दूसरे देशों से अन्न मंगाते हैं तब इस देश और प्रदेश की जनता का पालन पोषण करते हैं। इस प्रदेश की जो ६.६२ करोड़ जनता है, जो देहात की रहने वाली है, जिसका मुख्य कार्य खेती करना है और शेष जनता को खिलाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लिये हुए हैं, आज उसी खेती के कार्य के लिये बजट में क्या अनुपात रह गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में २१८.७७ करोड़, यानी ३४ रुपया प्रति टिलर खर्च किया गया है और ५ प्रतिशत जो शहरों में रहने वाले हैं, जो उद्योगधन्धों में लगे हुए हैं, जिनकी आबादी ९६ लाख है उन पर ५४.६६ करोड़, यानी ५७.६ रुपया प्रति व्यक्ति खर्च करने की योजना है। मैं नहीं समझता कि वास्तव में इनकी नीयत अन्न पैदा करने की है या इस देश को इन्होंने पहले ही विदेशियों के हाथ बेच डालने का ऐग्रीमेन्ट बना लिया। इसलिये मुझे विवश होकर कहना पड़ता है कि इस सरकार को एक पैसा भी देना बहुत ही गलत कदम उठाना होगा।

इस संबंध में मैं एक और उदाहरण रखता हूं। यहां पर कपास की पैदावार बढ़ाने के लिये एक योजना बनी। उस योजना के अन्तर्गत पिछले १४ वर्षों में क्या खर्च हुआ और क्या प्राप्ति हुई उसका संक्षेप में विवरण यह है। १४ वर्षों में ५०–५१ में २१.४९ लाख रुपया खर्च किया, ५१–५२ में ४.७९, ५७–५८ में ५.४९ लाख रुपया खर्च किया और ६१–६२ में १२.२१ लाख यानी कुल ४३.९३ लाख रुपया खर्च करने के बाद ५१ से लेकर ५६ तक इनकी प्राप्ति का टारजेट था ७० हजार गांठ और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसके लिये ये धन्यवाद के पात्र हैं। ५६–५७ से लेकर ६०–६१ तक १ लाख १० हजार गांठों का लक्ष्य था जिसमें से ६५ हजार प्राप्त कर सके। इसी तरह से ६१ लेकर ६४ तक १ लाख १० हजार गांठ का लक्ष्य था जिसमें से ६१ हजार प्राप्त कर सके। इसका तात्पर्य यह है कि पहली योजना से लेकर दूसरी योजना के अन्त तक जो इनका वार्षिक लक्ष्य था वह नीचे गिरता गया। लेकिन इसके अतिरिक्त खर्च कितना किया? ५६ से लेकर ६१ तक १२.७९ लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान लिया और ६१ से ६४ तक २१.२३ लाख का अनुपूरक अनुदान लिया। इसलिये इसको देखकर अनुपूरक बजट में जो यह मांग करते हैं, मैं समझता हूं कि उसका देना व्यर्थ है।

अब मैं आपके सामने बिजली के बारे में बताना चाहता हूं। आपने इतनी बड़ी योजना बनाई यू० पी० को फीड करने के लिये। आज हमारे कृषक बिजली की कमी की वजह से एक एक बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं। उसके ट्यूलवेल चलते नहीं हैं लेकिन रिहन्द डेम की बिजली का आधे से ज्यादा हिस्सा इस गवर्नमेन्ट ने अलम्यूनियम फैक्टरी और टाटा, बिड़ला को २५ साल के दस्तावेज पर प्रदेश की इतनी बड़ी संपत्ति को बेच डाला है और उसे प्राप्ति होगी केवल १.९९ नये पैसे, जिसको लोग फेंक देते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश की सरकार अपने देश की हालत का दिन व दिन खराब करती चली जा रही है। इसलिये मुझे विवश होकर कहना पड़ता है कि इस सरकार का एक पैसा भी देना देश के साथ तथा जनता के साथ कुठाराघात करना है। इसलिये मैं पूर्ण रूप से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मंत्री जी ने जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये बता दूं कि इस समय सामान्य विवाद है, कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री माताप्रसाद--

मान्यवर, मैं सबसे पहले सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी सामान्य बजट में कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन सदस्य लिया जायेगा। लेकिन अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हुई। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार ने जो बचन दिया था उसको पूरा करे क्योंकि जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजन सदस्य नहीं होगा तब तक हरिजनों की समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं ।

दूसरी चीज, मान्यवर, मैं हरिजन कल्याण विभाग की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। करीब ९० लाख रुपये की इसमें व्यवस्था की गई है । मैं समझता हूं कि कुछ गड़-बड़ियों की वजह से पिछली बार वह बजट में नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार यह रखा गया है, इसलिये यह स्वागत की चीज है। छोटे क्लासों के बच्चों की स्कालरशिप रुकी हुई थी, छठवीं से दसवीं क्लास तक की रुकी हुई है अब तक और दशमोत्तर कक्षाओं की भी स्कालर-शिप रुकी हुई है। दसमोत्तर कक्षाओं की स्कालरशिप के वितरण के तो आदेश चले गये हैं, लेकिन नीचे की कक्षाओं के अभी तक नहीं गये हैं, जिससे उनको कठिनाई हो रही है। उन्हें वर्ष के प्रारम्भ में पुस्तक आदि खरीदने पर काफी व्यय करना पड़ता है और स्कालरशिप न मिलने के कारण उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं समझता हूं सप्लीमेन्टरी बजट जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाए, जिससे शीघ्रातिशीघ्र उनको पैसा मिल जाय और उनकी परेशानियां दूर हो जायं ।

लैन्ड मार्गेज बैन्क में भी बहुत सी बातें लिखी गई हैं। ३-४ साल पहले जब यह स्कीम शुरू हुई थी, तो यह स्कीम ३ लाख रुपये से शुरू हुई थी, इस समय कई करोड़ रुपये की यह योजना है और बड़े अच्छे ढंग से चल रही है और सफल हो रही है। मैं समझता हूं इतनी अच्छी योजना ब्लाकों में ब्लाक स्तर पर भी होनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसके द्वारा सुविधायें दी जानी चाहिये ।

तीसरी चीज की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पर्ती और बंजर जमीन जो है, उसकी तरफ । राजस्व मंत्री के सभा सचिव ने एक बार यहां जबाब देते हुए बताया था कि अब परती जमीन साढ़े बारह एकड़ तक या उससे अधिक की जमीन वालों को भी दी जा सकती है। मान्यवर, पंचायतों में परती और बंजर भूमि के दिये जाने में बड़ी गड़बड़ी की जाती है। बड़े-बड़े किसानों को और प्रधान के आदमियों को जिनके नाम से जमीन नहीं होती है परन्तु जिनके खानदान में बहुत जमीन होती है, ऐसे लोगों को भूमिहीन करार देकर जमीन दे दी जाती है। उनके लड़कों, स्त्रियों और रिश्तेदारों के नाम जमीन लिख दी जाती है। और जब कि यह व्यवस्था भूमिहीनों के लिये ही की गई है कि उन्हें ही जमीन दी जाए। ऐसी अवस्था में भूमिहीनों और छोटे काश्तकारों को जमीन नहीं मिल पाती है। जब यह व्यवस्था सरकार ने कर दी है कि साढ़े बारह एकड़ तक या उससे ऊपर के जो किसान हैं उनको भी जमीन दी जाय, तो अब तो यह व्यवस्था और भी पहले से ज्यादा बिगड़ गयी है और अब तो यह कह दिया जायगा कि भूमिहीनों की दरख्वास्त ही नहीं आयी हैं इसलिये उन्हें नहीं दी गयी है । इस व्यवस्था का मैं घोर विरोध करता हूं। यह देख लेना चाहिये, यदि उनके पास कोई जमीन न हो, तभी उनको दी जानी चाहिये। मैं खेतिहर मजदूरों की तरफ

[श्री माताप्रसाद—]

भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार ने यहां पर औद्योगिक मजदूरों के लिये तो व्यवस्था की है, लेकिन खेतिहर मजदूरों की तरफ सरकार का ध्यान बिलकुल नहीं जा रहा है, मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ भी जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आदरणीय सदन का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि अवमूल्यन के बाद जिस तरह का पूरक बजट आना चाहिये था वह नहीं आया। ५२ से ६०–६१ तक के बजट का सिलसिलेवार विश्लेषण करने के बाद पता चलता है नान-प्लान पर अधिक रुपया खर्च करते रहे हैं बजाय प्लान आइटम्स पर। और उसके कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ी ६३–६४ के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ और प्लान आइटम्स पर ज्यादा खर्च होने लगेगा। चाहिये तो यह था कि अवमूल्यन के बाद ऐसा बजट आता जिसमें नान प्लान पर कोई खर्चा न होकर प्लान आइटम्स पर सब खर्चा किया जाता तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता और हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती। लेकिन माननीय गया प्रसाद जी ने ठीक ही कहा है कि यह सरकार ऐसे दलदल में फंसी हुई है और इसके बड़े-बड़े अधिकारी और मंत्री लोग एक पैसा षड़यंत्र बनाये बैठे हैं जिससे उत्तर प्रदेश का सारा शासन यह समझ बैठा है कि यह ऐसा चाहे जैसे खर्च करो। जितने मुहकमें हैं उनके ऊपर से नीचे तक और ऊपर सब से ज्यादा भ्रष्टाचार है। विजिलेंस कमीशन बना हुआ है। उसकी सिफारिशें ताक पर रख दी जाती हैं।

मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि १८ सालों में उत्तर प्रदेश के अन्दर इतना अधिक भ्रष्टाचार के फैलाने वाला कोई मुख्य मंत्री नहीं हुआ। गोविन्दवल्लभ पन्त के जमाने में भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में आया। अगर पन्त के जमाने में भ्रष्टाचार १ था तो डा० संपूर्णानन्द के जमाने में वह २ हो गया, गुप्ता जी के जमाने में ४ हो गया और माननीया सुचेता कृपालानी के जमाने में ८ हो गया। वह अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से बढ़ा है। मुख्य सचिव के० के० दास ने सारा काम यही बना रखा है कि बड़े-बड़े अफसरों को अपने चंगुल में फांस रखो। माननीय गया प्रसाद जी ने ठीक कहा है कि श्री विय विल्सन रोडवेज के जनरल मैनेजर हैं। विजिलेंस कमीशन ने के० के० दास को चिट्ठी लिखी कि इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन उसको दबा दिया गया, शायद उनकी कोई रिश्तेदारी लगती है। दूसरे अधिकारी है, बी० पी० वरुण, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। पुष्पा जान्सन नामक लड़की को देहरादून से भगाने के सिलसिले में विजिलेन्स कमीशन ने कहा और के० के० दास से कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने और इनको प्रोजीक्यूट करने का आदेश दिया जाय। लेकिन उनको नहीं लिया गया। न उनको मुअत्तल किया गया और न उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी।

एक बात और, गाजियाबाद-दिल्ली रोड पर परमिट नहीं दिया जा सकता। यह उत्तर प्रदेश सरकार का कंसीडर्ड निर्णय है और सरकार की पालिसी बन चुकी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है कि इस रूट पर किसी को परमिट नहीं देना चाहिये। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ, हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ के० के० दास के अनुसचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, एस० एन० गांगुली ने आर० टी० ओ० मेरठ को चिट्ठी लिखी। यह आर० टी० ए० एक क्वासी जुडीशियल बाडी है। मैं माननीया मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आर० टी० ए० के क्वासी जुडीशियल बाडी होते हुए एस० एन० गांगुली ने किस हैसियत से उनको डी० ओ० लिखा। और यह नहीं उसको लिखकर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को गलत बताया। जब यह वरुण को मालूम हुआ तो उसने दिल्ली के प्रशासन को चिट्ठी लिखी। मगर बाद को वह चिट्ठी वापस ले ली गयी। यह सारी बातें फाइल में हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अथारिटी मेरठ, द्वारा मिस्टर दया शंकर श्रीवास्तव, मिस्टर रास, मिस्टर अली हसन को टेम्परेरी बस परमिट्स ४-४ महीने के लिये दिया गया और उसके लिये उसने ५० हजार रुपये की रिश्वत के० के० दास को दी। आज उत्तर प्रदेश का सब से उच्च अधिकारी दिल्ली-गाजियाबाद रूट पर गवर्नमेन्ट की पालिसी के खिलाफ हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बस के परमिट को बेंचता है तो ऐसी करप्ट सरकार और उसके अधिकारी कैसे उत्तर प्रदेश के शासन को चला सकते हैं और कैसे कोई ला ऐन्ड आर्डर इस प्रदेश में कायम रह सकता है। जब उत्तर प्रदेश का सबसे उच्च अधिकारी इस तरह से भ्रष्टाचार में मशगूल होगा तब तो यह सरकार जरूर ही इस तरह का सप्लीमेन्टरी बजट पेश करेगी ही, उसके लिये चारा ही क्या है। कहीं पर गाड़ी खरीदने के लिये, कहीं मोतीलाल मेमोरियल अस्पताल के लिये कुछ खरीदना है उसके लिये, पता नहीं कितना नान-प्लान खर्चा है, सब किया जा रहा है। व्यक्तिगत संस्थाओं को पैसा देना और उससे पैसा कमाना इनका काम है। यह व्यक्तिगत संस्थाओं को पसा देते रहते हैं। ताकि लोग उनके इर्द गिर्द जमा रहें और उनसे अपना हिसाब किताब करते रहें। मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इस आदरणीय सदन के सदस्यों के अन्दर कुछ भी लज्जा और हया बाकी है और यह समझते हों कि उत्तर प्रदेश का शासन सही रास्ते पर लाने की आवश्यकता है तो उसका एक ही तरीका है कि जो अनुपूरक बजट आज सदन में पेश किया गया है उसको कतई स्वीकार न किया जाय।

मैं केवल एक बात की तरफ इशारा ही करना चाहता हूं कि ये जो बड़े-बड़े अफसर मैंने अभी बतलाये हैं और जिनका नाम लिया है ये सब प्रास्टीक्यूशन से संबंधित हैं। यह मेरे पास चिट्ठी है और उनके फोटो भी छपे हैं। इनके नाम हैं मोती, पन्ना, जरीना। इन औरतों ने ये चिठियां लिखी हैं। जब इस तरह के बड़े-बड़े अफसर आपके यहां इस तरह से अय्याशी करते हों और आराम की जिन्दगी बिताते हों तो उनके शान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार इसी प्रकार से भातखन्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ को निर्माण के लिये धन देती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि गान्धी अध्ययन संस्थान, राजघाट वाराणसी को आवर्तक अनुदान दिया गया है। यह अच्युत पटवर्धन की संस्था है। इनको इसलिये दिया गया है कि ये लोग राजनीति से अलग हो रहे हैं तो इनको इसी कारण अनुदान दिया जाता है कि उनका पेटपालन होता रहे और वे कांग्रेस की मदद करते रहें। यह राजघाट का संस्थान भी इसी तरह का है जिनमें इनके दलाल काम करते हैं। जो सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से दलाली का काम करते हैं उनको यह सरकार २५, ३० हजार रुपया हर साल दिया करती है। गान्धी जी का वे नाम लेते रहते हैं और कांग्रेस सरकार की दलाली का काम करते रहते हैं। जब चुनाव आयेगा तो इनकी दलाली वह करेंगे। इनके नाम पर वह जनता से वोट मांगने जायेंगे और गान्धी जी का नाम लेकर इनकी मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा इस तरह से ये लोग खाते रहते हैं। डा० सीताराम जी सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाते हैं और उसके लिये बहुत सा रुपया भी व्यय करते हैं। यह बताया था कि २ लाख उसके लिये खर्च किया गया लेकिन मैं पूछता हूं आपने कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने रखा? अगर आप किसी स्टेशन पर रोटी खाने बैठ जायं तो हजारों की संख्या में बच्चे आपके पास रोटी मांगने के लिये इकट्ठा हो जायेंगे। कभी आपने इस संस्कृति की तरफ ध्यान दिया है? सब से बड़ा और सब से पहला आपका काम यह है कि इन बच्चों को भूखों मरने से रोकिये, चोरी करने से रोकिये, घूस खोरी औरभ्रष्टाचार को रोकिये। जहां पर बेरोजगारी हो, लोगों को खाना, कपड़ा न मिलता हो, जहां पर औरतें बिना कपड़े के गांवों में दिखाई देती हों वहां पर उस संस्कृति की तरफ ध्यान न देकर शान्ति प्रपन्न शर्मा और डा० सीताराम का ध्यान रवीन्द्रालय की नाटक लीला पर जाता है वहां पर यह प्रजातन्त्र नहीं चल सकता है। जो आज रोटी के लिय मुहताज हैं उनकी तरफ ध्यान कतई नहीं है। मैं इस माननीय सदन के सदस्यों का ध्यान और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो अनुपूरक बजट आया है यह अगले चुनाव को मद्देनजर रखकर बनाया गया है जिसमें १ करोड़ रुपया के लगभग जितनी इस तरह की संस्थायें हैं उनको बांटा जायगा ताकि अगले चुनाव में इनको वोट देने का

[श्री काशीनाथ मिश्र]

प्रचार करें। इसलिये मैं माननीया सदस्यों से कहता हूं कि इस अनुपूरक बजट को कतई पास न करें तभी हम जनता के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकते हैं।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

अधिष्ठाता महोदय, जो बजट इस सदन में प्रस्तुत है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं इस सरकार ने अच्छे अच्छे कल्याणकारी कार्य किये हैं पिछले १८ वर्षों में, और उन की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं, उन का स्वागत करता हूं, लेकिन आप के द्वारा मैं आदरणीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार चाहे कोई भी हो उसमें अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं अगर आप बुराइयों को देखते हैं तो उसके साथ अच्छाइयों को भी देखें। आप भी इस सरकार क एक अंग है और इसलिय जहां तक सरकार की अच्छाइयों और बुराइयों का संबंध हैं उनके लिये आप भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। सरकार के विरोधी पक्ष का कर्त्तव्य है कि वह समय-समय पर चेतावनी देता रहे। मैं तो हरिजन सहायक विभाग के अधिकरियों और उस विभाग के मंत्री को बार बार बधाई देता हूं जिन्होंने ९० लाख रुपया हरिजन विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति का रखा है। (एक आवाज--सही है) अगर यह सही है तो आया कहां से ? लखपतराम जी जैसे सदस्य बहुत योग्य बनते हैं। भारत के महान विद्वान डाक्टर अम्बेदकर जैसे व्यक्ति, जिनको राष्ट्रपति ने मनु पद प्रदान किया उसी कुल में हमारे डाक्टर सीताराम जी जैसे विद्वान पैदा हुये हैं और उन्होंने हरिजन विद्यार्थियों के लिये ९० लाख रुपये की व्यवस्था की है। उस के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जहां तक आपन सांस्कृतिक प्रोग्राम की बात कही उसके लिये रोज पास मांगे जाते हैं माननीय शान्तिप्रपन्न जी से। अगर आप इस प्रकार की आलोचना हमारे वित्त मंत्री जी की करते तो ठीक था। आज बिक्री-कर को लकर व्यापारियों में बड़ा भ्रष्टाचार है।

श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

रविन्द्रालय के पास वही मांगते होंगे, यहां कोई पास नहीं मांगता।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना भाषण जारी रखिये।

*श्री हरीसिंह--

वह जनसंघी हैं और उन का कर्त्तव्य है कि चाहे कोई हो, उसके बीच में वह बोल दें। वह तो सरमायादारों की पार्टी है, शोषणकर्त्ताओं की पार्टी है जो मजदूरों और किसानों का खून चूसते हैं। अगर कोई कम्युनिस्ट या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वाला कहता है तो मैं समझता। तो मैं कह रहा था कि बिक्री-कर में इतनी धांधली है इसको वित्त मंत्री जी गौर से सुनें और नहीं तो इस्तीफा दें। आप बिक्री-कर को सोच समझ कर लगावें। आज इससे व्यापारी परेशान है, छोटा दूकानदार परेशान है और इस का आप के अधिकारियों को झा ज्ञान नहीं है। आप इस पर विचार करें और वहां पर योग्य अधिकारियों की नियुक्ति करें ताकि वहां पर फैलता हुआ करप्शन मिटे।

(इस समय ३ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, आप यहां आसीन हैं और आपके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की अनुज्ञा माननीय अध्यक्ष ने दे दी है। तो आप कैसे बैठ सकते हैं ? यही परम्परा रही है.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।)

श्री उपाध्यक्ष--

कायदा यह है कि जिस समय अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस होगी उस वक्त मैं यहां नहीं रहूंगा ।

श्री उग्रसेन--

माननीय खेर साहब के खिलाफ जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो वह नहीं आये, डिप्टी स्पीकर माननीय रामनारायण त्रिपाठी आये, आप अपने सेक्रेटेरियेट से पूछ लीजिये । कम से कम जो परम्परा है उसको तो कायम.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह संसदीय प्रणाली नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

आप तो परम्परा डालें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं डालना चाहता तो स्वयं चाहता, आपके कहने की जरूरत नहीं है ।

श्री हरीसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे उग्रसेन जी से ज्यादा जनहित की बातें करने वाला जनसंघ में तो कोई है नहीं, लेकिन जब मेरा जैसा व्यक्ति बोल रहा हो तो उन्हें अध्यक्षपद पर कटाक्ष नहीं करना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपसे मतलब नहीं था, मुझसे था । आप नाराज न हों, बोलिये ।

श्री हरीसिंह--

इस प्रदेश में यह सही है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि हरिजनों ने अपने द्वारा, अपनी मेहनत से या परिश्रम से कोई एक प्राइमरी स्कूल भी बनाया हो, जितनी उन्नति हुई आपके परिश्रम से हुई है, लेकिन बख्शीदास जाटव हाई स्कूल की बात मैं आपसे कहता हूं कि महज हरिजनों के पैसे से वह बिल्डिंग बनी और एक बस्ती नहीं, १९५२ में ही एक बापू बस्ती बनी और आज उसकी बिल्डिंग्स मौजूद हैं और सरकार के पैसे से शिक्षा दी जा रही है । लेकिन सरकार के कर्मचारियों ने यह किया कि एक टीचर नहीं भेज सके जब कि बार बार निवेदन किया गया । जहां तक हरिजन समस्या का सवाल है जितनी उन्नति सरकार ने की है, जिसमें आप लोग भी पार्टनर हैं, इस दबे वर्ग को उठाया है यह सही है । मगर जनसंघ वाले सिवाय शोषण करने के और कुछ रहे ही नहीं । जहां तक सरकार का संबंध है हम कहते थे कि १८ फीसदी रिजर्वेशन सरकार पूरा करे, लेकिन नहीं कर सकी । यह भी कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक नुमाइंदा भेजेंगे, पता नहीं उसकी पूर्ति क्यों नहीं हुई । वैसे कांग्रेस अपनी ईमानदारी पर कायम है और अपनी गलती भी स्पष्ट कह देती है, लकिन आपम हिम्मत नहीं है कि अपनी बुराई कर सकें । चाहे जितनी हड़ताल करवाओ देश का अपमान करवाओ, लकिन सरकार तो चाहेगी कि कारखाने चले, सरकार को टैक्स मिले, जनता को चीजें मिलें । आप तो हड़ताल ही कराते हैं । (लाल बत्ती होने पर) मेरा टाइम तो उग्रसेन जी न ले लिया.....

श्री उपाध्यक्ष--

दो मिनट और है, आप बोलिये । वह समय काट दिया ।

श्री हरीसिंह---

१८ फीसदी रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ। इसी सदन में बार-बार कहा गया कि जो योग्य आदमी हो उसको योग्यता के अनुसार काम दे दिया जाय। आप ईमानदारी से करना नहीं चाहते। इसलिये मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि वह भूमिहीनों को वह भूमि जो पड़ी हुई है वह वितरित करे। उनको खाद और पानी दें। चम्बल की घाटी में जो भूमि पड़ी हुई है और उसे ठीक कराकर यदि भूमिहीन हरिजनों को दे दिया जाय तो उससे सरकार की मालगुजारी भी बढ़ेगी और कृषि की पैदावार भी बढ़ेगी। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दें। अभी तक हरिजनों को एक इंच भी भूमि नहीं मिली जब कि उनके लिये यहां विधेयक तक पास हो चुका है। इसीलिये मैं कहता हूं कि प्रदेश का बटवारा होना चाहिये। टैक्स हम देते हैं, सड़कें दूसरी जगह बनती चली जा रही हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप गरीबों की ओर ध्यान दें, जमीन का बटवारा करें, और १८ फीसदी का रिजर्वेशन पूरा हो।

(श्री ऊदल का नाम पुकारा जाने पर।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

मैंने अपना नाम भेजा था, आप कृपया देखें, आपके पास मेरा नाम होगा (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं जिसे समझूंगा, बुलाऊंगा।

श्री लखपतराम शर्मा ---

आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिये, अगर आप यह दे दें, तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको मैं काफी समय दे चुका हूं, बीसों बार आपको बोलने का अवसर दे चुका हूं। (व्यवधान) कल आप बोल लीजिए, चाहे अपोजीशन से सारा टाइम आप ही ले लीजिये। (व्यवधान)।

श्री लखपतराम शर्मा---

श्रीमन्, एक बात आप करें कि इसी बात पर टंडन जी की तरह से आप इस्तीफा दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं टंडन जी नहीं हूं, मैं होती लाल हूं।

श्री उग्रसेन---

टंडन जी भी उसी कुर्सी पर बैठते थे जिस पर आप बैठे हुये हैं, तो उस कुर्सी की तो थोड़ी सी इज्जत रखें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह ठीक है, लेकिन मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं। टंडन जी बहुत बड़े आदमी थे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

माननीय उग्रसेन जी, टंडन जी ऐसी गलती कर सकते थे तो ये क्यों वैसी गलती करें ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, तीन पंचवर्षीय योजनायें बीत जाने के बाद आज इस प्रदेश की जो हालत है वह सचमुच में बहुत ही खराब है। अरबों रुपया खर्च करने के बाद अगर इस प्रदेश का मूल्यांकन जनता की जिन्दगी के हर क्षेत्र में किया जाय तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज भी इस प्रदेश के लोग हर तरह की परेशानियों से ग्रसित हैं। आज एक-एक सवाल को लिया जाय तो उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा कृषि का है और यहां की पैदावार, यहां की जमीन इतनी अच्छी है और उसके बाद भी आज हालत यह है कि खाने के मामले में भी, अन्न के मामले म भी उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। अगर आप आंकड़े देखें तो मैं गिनाना नहीं चाहता हूं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सन् १९०१ से लेकर आज तक—गेहूं की पैदावार, जौ की पैदावार, मटर की पैदावार फी एकड़ घटती चली जा रही है। इसकी जिम्मेदारी सरकार के ही ऊपर आती है क्योंकि सरकार इन्तजामकर्त्ता है। मान्यवर, आज इस सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा किसान ही परेशान किया जाता है। आज बिजली का रेट ज्यादा करके किसानों को लूटा जा रहा है। बिरला को पौने दो पैसे फी यूनिट बिजली दी जाती है। जबकि किसानों को कहीं ३७ पैसे, कहीं २७ पैसे और कहीं २१ पैसे फी यूनिट बिजली पानी के ट्यूबवेल के लिये दी जाती है। इस साल सरकार ने फर्टिलाइजर का रेट २५ प्रतिशत बढ़ा दिया है। पूंजी तिरों को कर्जा साढ़े ४ से लेकर ५ प्रति सैकड़ा सूद पर दिया जाता है जबकि वह टाइम पर वसूल भी नहीं हो पाता, सूद को कौन कहे, मूलधन भी नहीं मिल पाता, वहीं किसानों को ९ रुपये फी सैकड़ा सूद पर कर्जा दिया जाता है। पहले तकावी के रूप में जो सहायता सरकार से मिलती थी उसका रेट भी सरकार ने बढ़ा कर ९ रुपया सैकड़ा कर दिया है। इसलिये मैं समझता हूं कि आज की सरकार किसानों की सबसे ज्यादा विरोधी सरकार है, इसके द्वारा किसानों का भला नहीं हो सकता।

शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा है। उत्तर प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा निरक्षरता है। आज १४ साल तक स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। आज लड़कियों की शिक्षा की हालत यह है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी क्षेत्र में आने वाले उत्तर प्रदेश के १४ पूर्वी जिलों में सिर्फ एक डिग्री कालेज बनारस में है और कहीं पर नहीं है। देहातों में लड़कियों की शिक्षा के लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। पूरे देश के अन्दर करीब २७ करोड़ निरक्षर लोग हैं उसमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोढ़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर जितने अंधे हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के अंधों की है, भीखमंगों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है।

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो यह दावा करती है कि हमन हर क्षेत्र में जनता को ऊंचा उठा दिया, यह कहना गलत है। टी० बी० वालों की संख्या दुनिया से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और हिन्दुस्तान में भी सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप जिन्दगी के हर क्षेत्र में देखें तो उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है।

यदि आप सारे बजटों को देखें तो उससे मालूम होगा कि पुलिस का बजट इस राज्य में बढ़ता जा रहा है। इसको पुलिस राज्य कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में पुलिस के लोग गये और वहां डकैती डाली और डकैती में पकड़े गये। पुलिस वालों को इन्हीं केसेज में बरेली और देहरादून में सजायें हुईं। पुलिस चोरों और डकैतों से मिलकर डकैतियां डालती है और तमाम भले लोगों को आज रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। अभी अभी-आपने बांदा में देखा। पुलिस ने बांदा में जो गुन्डागर्दी की उसका जीता जागता नमूना आपके सामने है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज का यह राज्य पुलिस का राज्य है। इस पुलिस राज्य में किसी क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई है।

[श्री ऊदल—]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। यह क्यों कहता हूं ? यह इसीलिये कहता हूं कि किसानों से मालगुजारी की वसूली ९८ प्रतिशत होती है और पूंजीपतियों पर जो टैक्स या इन्कम टैक्स है और जो दूसरी एक्साईज ड्यूटीज है उनको सरकार वसूल नहीं करती और वहीं पूंजीपतियों से मिल कर उनसे चन्दा लेती है। आज जितने उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मालिक हैं सबके ऊपर लाखों रुपया बकाया है और सब मिलकर के हमारा अपना खयाल यह है कि पांच करोड़ से ऊपर किसानों की गन्ने की कीमत मिल मालिकों पर बकाया है लेकिन यह सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती। जहां किसान एक रुपया नहीं देता वहां किसान को पकड़ कर हवालात में बन्द किया जाता है और दूसरी तरफ चीनी मिल मालिकों को छूट दी जाती है। उनके खिलाफ न कुर्की की कार्यवाही होती है और न वारेन्ट निकाले जाते हैं। उनके साथ हमेशा सरकार का भाई चारे का व्यवहार होता है। इसलिये मैं कहता हूं कि आपकी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आज कीमतों को ही देखें। कितनी कीमतें बढ़ गई हैं। टार्च सैल, दियासलाई और पनामा सिगरेट की कीमतों को ही देखें। जितनी चीजें हैं सबकी ही कीमतें बढ़ गई हैं और जनता की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। सरकार ने कोई रास्ता नहीं निकाला। सरकार कहती है कि पन्द्रह परसेन्ट कीमतें बढ़ी हैं परन्तु मेरा अपना कहना है पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा कीमतें अवमूल्यन के बाद बढ़ गई हैं। सरकार का प्रशासन, सरकार की सी० आई० डी० और सारी कांग्रेस सरकार निकम्मी और भ्रष्ट हो चुकी है। यह उत्तर प्रदेश में रहने लायक नहीं है इसीलिये मैं इस सप्लीमेंटरी बजट का विरोध करता हूं। सरकार को एक पैसा भी नहीं देना चाहिये।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो अनुदान प्रस्तुत है उस पर जो बहस हो रही है उस बहस से कुछ ऐसा प्रतीत सा हो रहा है कि शायद यह जो हमारी सरकार है, उससे बुरी सरकार संसार में हो नहीं सकती। जितना कन्डमनेशन किसी भी सरकार का हो सकता है कि वह सारा कन्डमनेशन इस सरकार का इस सदन में हो रहा है और हर सदस्य यह सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या यह जो आलोचना हो रही है, क्या वह सत्य है ? मैं यह सोचता हूं कि जो आलोचनायें हैं उनसे यदि मैं जरा नीचे जाता हूं तब मुझे यह कहना पड़ता है कि किसी देश में किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार के लिये कामयाबी के जो साधन हैं यदि वह प्राप्त न हों तो वह चाहे कितनी ही बढ़िया से बढ़िया सरकार हो और उसके विचार चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हों वह कामयाब नहीं हो सकती। तीन साधन उसके कामयाबी के बताये गये हैं। पहला साधन तो यह है कि किसी भी प्रजातंत्र सरकार की कामयाबी के लिये यह जरूरी है कि वहां की जनता में जड़ विश्वास न हों, चेतनता हो और उसी के साथ-साथ वहां जनता ला एबाइडिंग होनी चाहिये। मेरी मनशा यह है कि वहां के साधारण मनुष्यों के दिल में वहां के कानून के प्रति श्रद्धा, इज्जत और आस्था होनी चाहिये जैसी कि यूनान में सुकरात के लिये थी। अगर वहां के जन साधारण में वहां के कानून और ला के प्रति इज्जत होगी तो यह साधन सरकार को प्राप्त होगा।

दूसरा साधन जो किसी सरकार की कामयाबी के लिये लाजमी है वह यह है कि प्रजातांत्रिक सरकार के विरोध में जो दल हो वह सरकार की सजगता के साथ आलोचना करे लेकिन इस के साथ ही साथ उस में यह गुण भी होना चाहिये कि विरोधीदल हमेशा इस बात को अपने खयाल में रखे कि कल वह भी सरकार बना सकता है, अगर वह कल को सरकार की हैसियत में बैठेगा तो जो आलोचनायें वह कर रहा है आगे चलकर वह कभी उसके रास्ते में तो नहीं आयेंगी। इस बात को हमेशा विरोधी पक्ष को समझकर आलोचना करना चाहिये। अगर इस प्रकार की आलोचना होती है तब तो विरोध सही है लेकिन अगर केवल विरोध के लिये विरोध

होता है तो वह विरोधी दल प्रजातांत्रिक सरकार के लिये एक साधन न होकर एक रोड़ा होगा। अगर किसी सरकार के विरोध में ऐसा विरोधी दल है तो मैं तो सरकार की तारीफ करूंगा कि वह इस साधन के न होते हुये भी अपना काम चला रही है।

तीसरा साधन जो हर एक प्रजातन्त्र सरकार की कामयाबी के लिये जरूरी है वह यह है कि उसकी सिविल सर्विसेज ऐसी होनी चाहिये जो कि सरकार की ओबीडियेंन्ट हों यानी उसके कहने को मानें। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसमें 'ओबीडियेंस आफ ला' हो 'नाट आफ पर्सन' हो। किसी आदमी का वह कहना न मानें बल्कि जो कानून सरकार बनाये उनको वह मानें और उनकी अवहेलना किसी प्रकार न करे। तो अगर यह तीनों साधन किसी प्रजातंत्र सरकार के पास मौजूद हैं तब तो वह अपना काम चला सकेगी अगर इस में एक भी साधन न होगा तो वह सरकार फेल हो जायगी। आज जनता में ला के प्रति उतना आदर नहीं है जो होना चाहिये, इसी तरह से विरोधी दल के लोग जो जनतंत्र में आस्था रखते हैं वह यह समझें कि हम भी कभी सरकार बना सकते हैं और वह जिम्मेदारी की बातें करें। इसी तरह से हमारी सिविल सर्विसेज आज भ्रष्टाचार से भरी हैं तो सरकार का इस में इतना दोष नहीं है जितना कि विरोधी पक्ष वाले कहते हैं। यह तीनों साधन इस तरह से आज हमारी सरकार के पास नहीं हैं, न जिम्मेदार अपोजीशन है, न हमारे पास ला एबाईडिंग जनता है और न हमारी सिविल सर्विसेज ही ऐसी हैं कि जो ओबीडियेंन्ट हों। तो इन तीनों साधनों की गैरहाजिरी में, एक गैर जिम्मेदार अपोजीशन के होते हुये, एक ब्यूरोक्रेसी के होते हुये, कानून की इज्जत न करने वाली जनता के होते हुये किस तरह से यह सरकार अपने काम को चला रही है, इस सब को देखकर आप उसके विषय में अपना निर्णय करें।

हमारी सरकार ने इनमें जो कार्य किये हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिये। अगर किसी को हर बार यह कहा जायगा कि तुम निहायत ही बुरे हो तो वह हतोत्साहित हो जायगा। यही हालत हमारी सरकार की न हो जाय। अतः जितने हमारी सरकार ने अच्छे कार्य किये हैं उनको भी देखना चाहिये।

अब मैं सदन के सामने उन ३ चीजों को रखना चाहता हूं जो हमारी सरकार ने किये हैं, भले ही यहां पर कुछ भी क्रिटिसिज्म हो कि पानी की तरह रुपया बहाया गया और बरबाद किया गया। पहला कार्य जो हमारी सरकार ने किया वह यह है कि हमने अपने देहाती जनता में एक बहुमुखी जागृति पैदा की है। इस जन जागृति से वहां की जनता का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा उठा है। जहां पर पहले समय में मिडिल पास लड़के नहीं मिलते थे और हाई स्कूल पास को बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था वहां पर आज ग्रैजुएट्स काफी संख्या में मिलते हैं। जहां पर पहले साइकिलें भी देखने को नहीं मिलती थीं वहां पर आज साइकिलें और मोटर साइकिलें देखने को मिलती हैं। जहां पर सिवाय कच्चे मकानों के और कुछ नहीं था वहां पर आज पक्के मकान बन गये हैं और आकाश छूने वाली इमारतें बन गयी हैं और जहां पर खद्दर के कपड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं पहनते थे वहां पर पेंट और सूट पहननेवाले मिलते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता कि यह सब जगहों पर नहीं हो पाया है लेकिन जहां सरकार के पास साधन थे, वहां पर यह हुआ और जहां पर सरकार के पास साधन नहीं थे वहां पर नहीं हो पाया। जहां पर नहर हैं, ट्यूबवेल्स हैं और जहां पर विकास के कार्य हुये हैं वहां पर यह प्रगति हुयी है लेकिन जहां पर ये साधन नहीं हैं कुछ प्रगति नहीं हुयी है। हम मानते हैं कि वहां पर लोगों को तकलीफ है, दिक्कतें हैं। ये चीजें साबित करती हैं कि वहां पर साधन थे, वहां पर कार्य हुये हैं लेकिन जहां पर लैम्प नहीं जला है वहां पर अंधकार है। यह सब हमारी सरकार की जन जागृति से हुआ है जो सरकार ने हमारे देहातों में पैदा की है।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सूरज की रोशनी सदैव धीरे-धीरे पड़ती है और उसके धीरे-धीरे पड़ने पर ही प्रभाव हुआ करता है। हमारी सरकार ने सिंपिल लिविंग और हाई थिंकिंग का ऊसूल रखा है। चाहे हम कितने भी पैसे वाले हों या बड़े-बड़े महलों में

रहने वाले हों लेकिन कांग्रेसी सरकार ने सीधा सादा रहने का आदर्श रखा है । इन सबका प्रबल प्रभाव होता है । आपने लाल बहादुर शास्त्री और डा० संपूर्णानन्द की जीवनी में पढ़ा होगा कि वे कितना सादा जीवन व्यतीत करते रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त आज हमारी एजूकेशन में उन्नति हुयी है । हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ी हैं । इसका भी हमारी सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है ।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)---

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अनुपूरक बजट पेश करके कुछ और रुपये का मांग की है । इस संबंध में जो माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका में समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

कटौती का प्रस्ताव नहीं, यह जनरल डिबेट है ।

श्री खेमचन्द--

सरकार ने जो पैसा मांगा है हमें सरकार के औचित्य और अनौचित्य को दखना पड़ता है । में यह मानता हूं कि सरकार को कार्य करने पड़ते हैं । यह भी ठीक बात है कि पैसे की जरुरत पड़ती है । और अगर प्रदेश में नये व्यय आ जाते हैं तो भी सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है । और ये अनुपूरक बजट आते हैं । किन्तु मान्यवर, जिन मांगों को रखा जाता है उन क संबंध में सरकार ने कितनी परवाह की है इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है । जहां तक में समझता हू सरकार न कुछ अपनी जो मांगे रखी हैं उनमें ज्यादातर मांग ऐसी हैं जिनका औचित्य ही समझ में नहीं आता है । उदाहरणार्थ एक है कृषि संबंध अनुदान १,३०० रु० का । उसका औचित्य क्या है ? एक कृषि निरीक्षक थे उन्हें वेतन नहीं दिया गया । वह अदालत में गया और हाई कोर्ट से उसके मुआफिक फैसला हो गया तब सरकार ने उसे रुपया दिया । यह सिद्ध करता है कि सरकार किस प्रकार से अपने कार्य को लापरवाही से करती है । किस प्रकार से गलत आदमियों को सता करक यह मौका देती है वह अदालतों में जा कर न्याय को प्राप्त करें । यह हमारी सरकार की कतव्य परायणता का प्रतीक है । अच्छा हो कि यह सरकार पहले ही इस बात को सोचे कि हम को जो काम करना है हम उसके बारे में पहले सोच समझ लें । यही जनतंत्र की मान्यता है । यहां जिन बातों की चर्चायें होती हैं उन को एक मात्र यह कह दिया जाता है कि विरोध के लिये विरोध होता है । में यह मानता हूं कि विरोध के लिये विरोध ठीक नहीं है । किन्तु विरोध पक्ष का सब से बड़ा कार्य यह है कि सरकार जिन गलतियों के आधार पर अपना कार्य करती रही है उनके प्रति सजग करता रहे और सरकार उनको मान कर अपनी गलती को ठीक करती रहे ।

दूसरे मान्यवर, पुलिस पर अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि यह सरकार पुलिस की सरकार हो गयी है । सरकार ने एक अनुदान पुलिस के लिये रखा है उनके बच्चों के लिये एक स्कूल की व्यबस्था का प्रश्न है । सन् १९६० में वह अनुदान भारत सरकार की तरफ से संस्तुत किया गया था । ६ वर्ष के दौर में कभी भी बजट लाते समय उस अनुदान का ध्यान नहीं आया और उस पर भी मान्यवर, इन्होंने सर्टिफिकट दिया है पुलिस को क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह और आंदोलनों क समय पर बड़ी बहादुरी स काय किया था । पुलिस को बहादुरी दी जाती है तब जब वह जनतांत्रिक आवाज को दबाती है, सरकार की नीतियों के विरुद्ध जो सही बात ह जब विरोध के आदमी उसको कहन की कोशिश करते हैं तब उस आवाज को दबाने में जो पुलिस कार्य करती है उसकी तारीफ सरकार करती है । किन्तु क्या सरकार न कभी इस काम के लिये पुरस्कृत किया कि उन्होंने चोरियां कितनी कम कीं ? या उन को रोकने के लिये कितना अच्छा इन्तजाम किया ? इन सब बातों क लिय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कभी पुरस्कृत नहीं किया गया। और आज १९६० की मांग को ६ वर्ष बाद १९६६ में लाते हैं और उनको पुरस्कृत करते हैं इसलिये कि उन्होंने आन्दोलनों में बड़ी बहादुरी से काम किया था, डंडे खूब चलाये जनता की सही मांगों को रखने वाले आदमियों के ऊपर। यही नहीं, यह मैं मानता हूं कि कोई बात कही जाय तो तथ्य के साथ कही जाय।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि डाक्टर सीताराम सांस्कृतिक कार्यों में मस्त रहते हैं, रवीन्द्रालय के कार्यों में मस्त रहते हैं। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि रवीन्द्रालय का काम सूचना विभाग के अन्तर्गत होता है, समाज कल्याण के अन्तर्गत नहीं होता है जिस के मंत्री डाक्टर सीताराम हैं। इसलिये हम देखें कि जो बातें कहें वे सही कहीं। यह मैं मानता हूं, क्योंकि मुख्य मंत्री के अन्तर्गत सूचना विभाग है और माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा उस का प्रबन्ध करते हैं और जब हम लोगों के पास भी पास आते हैं तो हम भी देखते हैं शौक से, तो यह भी हो सकता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से शिक्षा लेना चाहें तो वह शिक्षा की वस्तु हो सकते हैं। और अगर केवल उनको मनोरंजन का रूप देकर के विलास का साधन बनाना चाहें तो विलास की सामग्री बनती हैं।

सरकार पक्षपात के आधार पर चलती है। जो आदमी जितनी खुशामद करता है, जो आदमी सरकार के पक्ष में जितनी बातें करता है उस आदमी को सब से ज्यादा सहूलियतें दी जाती हैं उनका खास ख्याल रखा जाता है। जिस ब्यूरोक्रेसी के नाम पर हमेशा कोसा जाता है उस ब्यूरोक्रेसी में भी इन मंत्रियों का पक्षपात चलता है। मैं यह मानता हूं १ आदमी १२ साल तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहता है और अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी हो जाता है तो साल भर तक उस पद को नहीं सम्भाल पाता है। यह कौन सी बात आ कर पड़ती है। १२ साल के बाद यहां बुला लिया जाता है और ज्वाइंट सेक्रेटरी ८, ८ बैठे रहते हैं। और एक आदमी स्टौप गैप अरेंजमेंट में सेक्रेटरी बना दिया जाता है। इस ब्यूरोक्रेसी के कारण न जनता संतुष्ट है, न कर्मचारी संतुष्ट है और न कांग्रेसी ही संतुष्ट हैं, पहले ही ह्विप के कारण यहां कुछ न कर पाते हों। अपव्यय की मात्रा देख कर ही पता चलता है सफलता और असफलता का। जब उसके दुराग्रह, अनाचार, भ्रष्टाचार को देखते हैं और उस पर प्रगति को नापते हैं तो पता चलता है कि किस जमीन पर ये लोग खड़े हुये हैं। आप मांग करिये लेकिन उनके औचित्य तथा कर्तव्यपरायणता की ओर जब देखा जाय तब ठीक ठीक पता चलता है।

जनतंत्र के पक्ष में अभी बहुत अच्छा लेक्चर दिया गया लेकिन जनतंत्र की एक मर्यादा होती है। जनता असंतुष्ट है, राशन व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है और कल खाद्य मंत्री जी से पता चला कि कानपुर में अरेंजमेंट ठीक नहीं होता रहा है, उसमें भी फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार अन्य मंत्रियों पर, कर्मचारियों पर और अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं, विजिलेंस कमीशन के पास केसेज जाते हैं और एडवर्स रिपोर्ट आने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इन बातों को देखते हुये क्या यह सरकार निष्पक्षता का बर्ताव करती है, क्या जनप्रियता का ढोंग नहीं रचती? हरीसिंह जी ने प्रगति की बात कही। १८ साल के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन पूरा नहीं हो सका। यू० पी० एस० सी० में एक आदमी हमारा रखना था वह आज तक नहीं रखा गया। योग्य आदमी नहीं मिला तो अपने में से ही एक आदमी रखलेते और उस स्थान को भर लेते। जितनी छात्रवृत्तियां हैं उनमें भी अरेंजमेंट पेंडुलम की तरह चलता है और जो सरकार के कार्यों का समाधान है वह किसी भी औचित्य पर नहीं उतरता। इन बातों को देखते हुये जो मांगे हैं वे महज हठधर्मी पर आधारित हैं और उनका कोई औचित्य नहीं है।

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने सारा समय [×××] की चर्चा करने में ही लगाया है।

[×××] माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिया गया।

श्री लखपत राम शर्मा--

[× × ×] पार्लियामेंटरी शब्द नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

ये [× × ×] काम करें तो कुछ नहीं है और हम चर्चा करें तो [× × ×] हो गयी ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह शब्द निकाल दिया जायगा ।

श्री जयराम वर्मा--

इसका परिणाम यह होता है कि.....

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

एक सूची बना लीजिये, जितनी ऐसी बातें इधर से या उधर से कहते हैं वे सब कटनी चाहिये ।

श्री जयराम वर्मा--

प्रदेश की इमेज बिगड़ती है जब दूसरे लोगों के सामने यही बातें जाती हैं । आखिर क्या इस प्रदेश में इस माननीय सदन के द्वारा जहां पर जनता के इतने प्रतिनिधि चुन कर आये हैं सब गलत ही काम होता है ? सब काम ऐसा ही होता है जिसके ऊपर क्या आलोचना ही हो सकती है ? ऐसी इमेज जनता के सामने जाती है जो सभी के लिये हानिकर है । ऐसी बातों के कहने में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो बात हो वहीं तक अपने को सीमित रखें, जरा संयम रखें और ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये जो बाद में सही न साबित हों और कुछ अच्छी बातें भी कही जायं । सब चाहते है कि बुराइयां दूर हों, कमियां दूर हों लेकिन अगर ऐसी तस्वीर बना दी जाय जिससे चारों तरफ निराशा छा जाय और लोग यह समझने लग जायं कि आज जो प्रतिनिधि हाउस में बैठे हुये हैं उनसे कोई सही काम नहीं हो सकता, तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम बहुत बुरा होने वाला है और ऐसी धारणा लोगों की हो जायगी कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा कोई काम नहीं हो सकता । जहां तक बुराइयों को दूर करने का सवाल है, हम हमेशा प्रयास करना चाहते हैं । सरकार यह कभी नहीं कहती कि कोई बुराई नहीं है लेकिन चारों तरफ बुराई ही बुराई है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये ।

अब जो मैं कह रहा था कि बगैर इसको पढ़े हुये ऐसी बातें कही जाती हैं, तो मुझे दुःख है कि एक अनुसूचित सदस्य हैं जिन्होंने ऐसी बात कही कि एक पैसा भी सप्लीमेन्टरी का मंजूर नहीं करना चाहिये । इसमें ९० लाख रुपया केवल हरिजन तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को वजीफा देने के लिये है । अगर उन्होंने इसको पढ़ा होता तो ऐसी बात उनके मुंह से न निकलती । अगर बगैर पढ़े हुये बात कही जाय तो आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा ? आधे से ज्यादा रुपया केवल हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को वजीफा देने के लिये इसमें है । लगता यह है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कष्ट नहीं किया कि इसको पढ़ें । जनरल डिस्कशन में सब बातें हो सकती हैं, यह ठीक है, लेकिन यह तो एक सप्लीमेंटरी बजट है । इसमें कुछ खास खास मांगें आपके सामने रखी गयी हैं । उसकी तरफ अगर आपका ध्यान जाता तो हमको लाभ होता । इस सप्लीमेंटरी बजट में जो प्रस्ताव शामिल किये गये हैं उन पर कुल खर्चा ५४१ लाख ६५ हजार का है जिसमें से ३८४ लाख ८१ हजार रुपया बचतों से मीट हो जायगा, केवल १५६ लाख ८४ हजार रुपया बचता है जिसकी मांग इस सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा की गयी है । माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि और बार जब सप्लीमेंटरी बजट आये तो बड़ी-बड़ी रकमों के लिये आये, लेकिन यह

]× × ×] माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिया गया ।

सप्लीमेंटरी बजट थोड़ी रकम के लिये है और माननीय सदस्यों से इतना रुपया मांगा गया है कि इसकी स्वीकृति दें। इसके लिये आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा है लेकिन यथार्थ रूप में ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक माननीय सदस्य का कहना था कि योजनाओं पर बहुत कम खर्च किया गया है और नान प्लान आइटम्स पर ज्यादा खर्च किया गया है। अगर वह इस को देखे होते तो इस तरह की बात कहने की गुंजायश न होती।

अब प्लान के ऊपर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्व व्यय की व्यवस्था ११४ लाख ३ हजार रुपये की और कैपिटल एक्सपेंडीचर १ लाख १० हजार है। इस तरह से १ करोड़ १५ लाख १३ हजार रुपया प्लान पर रखा गया है और कुल ४१ लाख ७१ हजार रुपया नान प्लान आइटम्स पर हैं। इसलिये यह कहना कि सारा रुपया नान प्लान आइटम्स पर खर्च किया जा रहा है सही नहीं है। इस में जो प्लान के लिये ११५ लाख १३ हजार रुपये की मांग की गई है उसमें से ९० लाख रुपया वह है जो हरिजन तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को वजीफा देने के लिये है। इस स्कीम का रुपया केन्द्रीय सरकार से मिलता है लेकिन बजट बनाते वक्त केन्द्रीय सरकार से यह आश्वासन नहीं मिल सका था कि वह कितना रुपया देगी इसलिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई और अब व्यवस्था की है। यह ९० लाख रुपया केन्द्रीय सरकार से मिलेगा इसलिये इसका कोई भार हमारे प्रदेश के बजट पर पड़ने वाला नहीं है। इसलिये आप देखेंगे कि वह रकम जिसकी मांग की जा रही है उसका एक बड़ा हिस्सा केन्द्रीय सरकार से मिलने वाला है और प्रदेश पर उसका भार पड़ने वाला नहीं है।

इसमें २४ लाख कुछ हजार रुपया बचता है ९० लाख निकालने के बाद प्लान के ऊपर। यह अवश्य है कि थोड़ा सा रुपया है जिसका भार प्रदेश के ऊपर पड़ना चाहिये। लेकिन वार्षिक प्लान की जो सीलिंग है उसमें यह एडजस्ट हो जायगा और बचत से मीट हो जायगा। इसलिये कोई अतिरिक्त भार पड़ने वाला नहीं है। २४ लाख कुछ हजार जो रुपया है उसमें से काफी रुपया एक ऐसी योजना के लिये है जिसके लिये माननीय सदस्यों को कोई एतराज नहीं होगा और वे भी कहेंगे कि यह स्कीम बहुत जरूरी है। हमारे प्रदेश में कुछ जगहें हैं, कुछ पहाड़ी जिले हैं, बुन्देलखंड का इलाका है और मिर्जापुर जैसे जिले हैं जहां पेय जल की बड़ी कमी है। वहां पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से एक स्कीम चलाई गई है इसमें केन्द्रीय सरकार रुपया देती है और यह सरकार भी देती है और इस स्कीम को पूरा करने की व्यवस्था करती है। ६५-६६ में राज्य सरकार ने इसके लिये ४४ लाख २६ हजार की व्यवस्था की थी। लेकिन इस रुपये की मंजूरी आने में देर हो गई इसलिये पूरे खर्च की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया। बजट में व्यवस्था नहीं कर सकते थे। २२ लाख ८७ हजार रुपये बचत से खर्च किये गये। अब २१ लाख ४९ हजार रुपया और चाहिये था। बजट में व्यवस्था नहीं थी इसलिये राज्य आकस्मिकता निधि में से इतना रुपया निकाल कर इस काम के लिये दे दिया गया। अब उस रुपये के प्रतिदान के लिये बजट में इस रुपये की मांग की जा रही है और जब यह रुपया स्वीकृत हो जायगा, तो उस निधि में वापस कर दिया जायगा। इस प्रकार से २-३ लाख रुपया और बचता है जो कि छोटी-छोटी योजनाओं पर है, उसके ऊपर यदि माननीय सदस्य जरा ध्यान से देखेंगे तो उन्हें कोई आपत्ति की गुंजायश नहीं रह जायगी, चाहे उन्होंने अपना पूरा समय इस पर आपत्ति प्रकट करने में ही लगाया हो।

अब इसी तरह से नान-प्लान्ड पर रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर के लिये ४० लाख ४६ हजार रुपया मांगा गया है। इसमें से २० लाख रुपया तो टेस्ट वर्क और दूसरे रिलीफ के कामों के लिये मांगा गया है। क्या माननीय सदस्यों को इस पर भी कोई आपत्ति हो सकती है, कि टेस्ट वर्क और किसानों को रिलीफ देने के लिये, अहेतुक सहायता देने के लिये धन की व्यवस्था न की जाय? इसी तरह से १३ लाख ९४ हजार रुपया एक्स-सर्विसमेन के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिये है। यह रुपया उनकी सहायतया के लिये एक स्पेशल फंड स्थापित करके दिया गया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इन बातों में हमें कहां शिकायत है ? जिस ढंग से आप धन का इन पर इस्तेमाल करते हैं, उस पर हम लोगों को शिकायत है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आपने (मंत्री) वायदा किया था कि सप्लीमेंटरी बजट के समय वह आंकड़े बजट में सम्मिलित कर दिये जायेंगे जो पुनरीक्षित करके आपको केन्द्रीय सरकार ने दिये हैं। उसका भी जवाब आ जाये, बजट में वह भी सम्मिलित हो जाये, तो ठीक हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह बजट में कैसे सम्मिलित किया जायगा ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आपको भी समझाना पड़ेगा, तो श्रीमन्, बड़ी मुश्किल होगी ।

श्री जयराम वर्मा—

३ लाख १० हजार रुपया पुलिस एजूकेशन फंड के लिये दिया गया है । कई वर्ष पहले इतना ही धन केन्द्रीय सरकार ने इस फंड में दिया था । इस साल हमने भी व्यवस्था की है कि इतना रुपया हम भी दें और उसके सूद वगैरह से अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के बच्चों की सहायता की जा सके सभी प्रकार से । यह रुपया उस फंड में दिया गया है । तो इस तरह से सारे रुपये का हिसाब करीब-करीब आ जाता है, थोड़ा और कुछ कामों पर है जो कि नान प्लान रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में मांगा गया है, उसका ब्रेक-अप इस प्रकार से है जो नान-प्लान में मांगा गया है, उसमें से १२ लाख ४८ हजार रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमें मिलने की आशा है । बाकी का प्रभाव इस प्रदेश की निधि पर पड़ेगा, लेकन वह रकम इतनी थोड़ी है यानी ४० लाख ४६ हजार माइनस १२ लाख ४८ हजार यानी करीब २८ लाख रह जाती है, इस पर विशेष चिंतित होने की बात नहीं है। यह रकम हम अपने रिसोर्सेज से मीट कर लेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, किसी खर्चे में बचत हो जायगी तो उससे हम उसे एडजस्ट कर लेंगे, तो वह हो जायगी। इससे कोई ज्यादा बोझ पड़ने वाला नहीं है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे तो आपने बहुत कम समय दिया है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक एक आइटम लेना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

दो मिनट में मंत्री जी कह लीजिये ।

श्री जयराम वर्मा—

सरकारी कर्मचारियों के डियरनेस एलाउंस में जो वृद्धि की गयी है उसके लिये माननीय सदस्य कह सकते हैं कि इसमें व्यवस्था नहीं है लेकिन अभी उसके पूरे एकाउंट को देना संभव नहीं है । लेकिन सौ रुपये इसीलिये सदन की मंजूरी के लिये टोकेन मांग में रखा गया है और जब पूरा एकाउंट रिवाइज हो जायगा तब पता लगेगा कि कितना रुपया खर्च होगा । कुछ माननीय सदस्यों ने संकेत किया कि कीमतों की रोकथाम के लिये क्या किया गया है । माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि फंज्यूमर स्टोर्स ६२-६३ में कायम किये थे । इस साल उनको बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया गया है और अब उनके द्वारा शहरी आबादी की २०प्रतिशत जरूरतों को मीट कर सकें

इस ओर प्रयास किया जायगा और अब कीमतों को बढ़ने से रोका जा सकेगा, ऐसी आशा है। ७० लाख रुपया उन पर खर्च हो रहा है लेकिन वह दूसरी जगहों में बचत से मिल जाता है इसलिये इसमें टोकेन मांग रखी गयी है और पूरे रुपये की जरूरत नहीं पड़ेगी यह प्रयास किया गया है। यह बात सही है कि उत्पादन बढ़ेगा तभी कष्ट दूर होंगे और उसको बढ़ाने का प्रयास होना चाहिये। खास तौर से खेती का उत्पादन बढ़े तब एक व्यापक असर हो सकता है और सब के सहयोग से हम उस काम को आगे बढ़ा सकेंगे तो अच्छी बात होगी। माननीय सदस्यों से मेरा प्रार्थना है कि वह अपनी शक्ति इधर-उधर की बातों में, बन्दों में और हड़तालों में न लगा कर, देश के सामने जो दिक्कतें हैं उनको रचनात्मक कामों में हल करने में लगावें, यही प्रार्थना है। मैं समझता हूं कि माननीय सदन इसी दृष्टि से इस मांग को स्वीकार करेगा।

१९६६-६७ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान —अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-व्यय की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर से मैं वित्त मंत्री का भाषण सुन रहा था।.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप उस अनुदान की बात मत कहें। इसके लिये होना यह चाहिये कि आप इस पर बोल लें, एकाध सदस्यों को जो कहना होगा कह लेंगे। जब तक टाइम रहेगा, तब तक होगा और उसके बाद गिलोटीन हो जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

खैर, माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया वह अगर प्रस्तावक भाषण होता तो अच्छा था। माननीय मंत्री जी ने यह भी नहीं बताया कि कितने रुपये की आवश्यकता है कर्मचारियों की महंगाई वृद्धि के लिये मैं यह समझता हूं कि जिस समय माननीय चरणसिंह जी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और आज जब यह विवाद प्रस्तुत है, यह सरकार की नम्बर १ की फेलियर है।

मैं समझता हूं कि जानबूझकर नहीं बताना चाहते हैं और इसके साथ ही यह भी नहीं बताना चाहते हैं कि केन्द्र से कितनी सहायता मिलने वाली है.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें यह कहां है जिस पर आप बोल रहे हैं?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

बजट की प्रति आप देखिये। उसमें यह दिया गया है कि "मंहगाई भत्ते में इस वृद्धि के व्यय को पूरा करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक सेवा अनुदान के अन्तर्गत अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि उस समय ज्ञात होगी जब कि वर्ष के अन्त में पुनरीक्षित अनुमानों को तैयार करते समय प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत अधिक व्ययों या बचतों की स्थिति का पुनर्विलोकन किया जायगा।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, ठीक है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस सरकार की सारी धारणा उलटी है । गरीबों को कम और ज्यादा वालों को ज्यादा । कदाचित उनको ८ रुपया मिलना चाहिये था लेकिन उनको ५ रुपया दिया गया । उनके वेतन के हिसाब से उनको १५ प्रतिशत अधिक मिलना चाहिये था जिसको नेगी जी ने भी स्वीकार किया था और माना है कि खाद्य सामग्री के दाम अधिक बढ़ने की वजह से उनको १५ प्रतिशत अधिक मिलना चाहिये । इस सरकार को जब कटौती करना होता है तो हिसाब बहुत जल्द लग जाता है । इसमें इनकी गलती के कारण सारे प्रशासन को तंग होना पड़ता है । एक जानवर होता है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता । वह हर एक चीज को गन्दा करके खाता है । उसी तरह की दशा इस सरकार की है कि पहले उसको गन्दा करेगी फिर खायेगी । पहले हम सब लोग कहते रहे सरकारी कर्मचारियों से समझौता नहीं किया लेकिन बाद को फिर उन बातों पर ही समझौता किया । उस समय इसलिये समझौता नहीं किया कि विरोधी दल उन बातों को उस समय कह रहा था । उस समय नहीं माना बाद को माना । इस नीति से इस प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है । उसके लिये यह सरकार ही दोषी है । इसलिये उस मांग को उस रूप में नहीं रखा है बल्कि दूसरे रूप में उसको रखा है । इसलिये मैं इस मांग का विरोध करता हूं । वित्त मंत्री जी से एक बात निवेदन करना चाहता हूं । पिछले बजट में उन्होंने वादा किया था कि उन अनुदानों को, जो केन्द्र से पुनरीक्षित अनुमानों के बाद आयेंगे उनको सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा मगर क्या कारण है इस समय पूरा आर्थिक चित्र प्रदेश का प्रस्तुत नहीं किया गया कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार न किया जाय ।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुये जो कुछ लान्छन लगाया है वह मुनासिब बात नहीं है । उन्होंने लांछन यह लगाया कि यह नहीं बतलाना चाहते कि कितना खर्च होगा और यह भी नहीं बतलाना चाहते कि केन्द्र से कितनी सहायता मिलेगी । मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय वह सदन में उपस्थित नहीं रहे । यही प्रश्न मुख्य मंत्री जी से किया गया था और उन्होंने इस बात का स्पष्ट उत्तर दिया था । वह उत्तर यह था कि केन्द्र से हम बातचीत कर रहे हैं । केन्द्र ने हमको अभी सहायता देने का वादा नहीं किया है, वह विचार कर रहे हैं । जो खर्चे की बात है उसमें करीब करीब हमने केन्द्र से ७।। करोड़ की मांग की है । ४ करोड़ के लगभग हमको जरूरत होगी । यह बात यहां पर बतलाई जा चुकी है । तो फिर लान्छन किस बात का । जब कहने को कुछ न हो तो लान्छन लगाया जाता है । यह बात ठीक नहीं बैठती है । जब कुछ कहने को न मिले तो यह कहा जाय । इसीलिये माननीय सदस्य ने यह बात कही कि इस बजट में इस वक्त कितना फर्क पड़ता है । उप मंत्री जी ने सामान्य विवाद का उत्तर देते हुये यह बता दिया कि इस अनुपूरक बजट के कारण कितना भार उसके ऊपर पड़ता है और साथ ही यह भी बता दिया कि इस में जो मदें हैं उन में किस किस तरीके से अन्तर पड़ता है और कहां से यह रुपया आता है और शुद्ध कितना रुपया हमको खर्च करना पड़ेगा । मेरे खयाल से माननीय सदस्य इस से संतुष्ट होंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय मंत्री जी ने दो बातें कहीं । एक तो यह कहा था कि हम मूल बजट की कुछ स्कीमों में कटौती करके यह मंहगाई भत्ता कर्मचारियों को दे रहे हैं और जब केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलेगी तो उन स्कीमों को पुनः रेस्टोर कर दिया जायगा । तो जिन ग्रान्टों में कटौती करके कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जा रहा है उनका जिक्र इस में जाना चाहिये था । इसीलिये मैंने इसका विरोध किया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या १० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-व्यय की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १४—पुलिस

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत ३,१०,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि कि संपूर्ण अनुदान संख्या १४ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, आप य देखें कि इस उत्तर प्रदेश पुलिस दल के लिये इस कैबिनेट ने पहले ही डेढ़ करोड़ रुपया निकाल कर अलग रख दिया और उसका सूद करीब १२ लाख रुपया होता है। इस के उद्देश्य से मैं कोई एतराज नहीं है। हम सब चाहते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाई के लिये सहायता दी जाय, विरोध केवल इससे है कि इतना रुपया एक साथ पुलिस विभाग के डिस्पोजल पर न रखा जाय। क्यों न सरकार इसे अपने डिस्पोजल पर रखे और विधान सभा के सामने उसकी जवाबदेही हो। अगर रिजर्व बैंक में इसे रख दिया जाय और हर साल सूद उनको दे दिया जाय तो ठीक होगा। पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन में आज इस डेढ़ करोड़ रुपये का कोई उपयोग करने वाला नहीं है। इस तरह से जो छोटी-छोटी धनराशियां है उनका हम दुरुपयोग करते हैं और इस काबिल हमारी आर्थिक स्थिति है नहीं। इसलिये मै इस का विरोध करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह रुपया तो उत्तर प्रदेश पुलिस दल के अराजपत्रित अधिकारियों के लड़कों के लिये है और इस के लिये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी और पुलिस के महानिरीक्षक उस के अध्यक्ष होंगे। इस रुपये का जो सूद आयेगा यह उन को छात्र वृत्ति में दिया जायगा। इसमें मैं समझता हूं कि विरोध नहीं होना चाहिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने तो यह कहा था कि रुपया सरकार के पास जमा रहे और उसका सूद वह उन को दे दिया करे यह उचित होगा। अगर सरकार अपने को कमजोर पाती है और वह रुपये को रख नहीं सकती तो दूसरी बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या १४—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत ३,१०,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या १५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मेरा निवेदन यह है कि एक आधारभूत मांग भी बजट में स्वीकार की और वह कहते हैं कि हम बचा लेंगे । यह क्यों बचा लेंगे यह नहीं बताया । कोई लाजिक नहीं है । क्यों बचा, कैसे बचा, कौन अनुदान काट रहे हैं, कहीं पता नहीं है । तो इस कुबुद्धि के साथ सदन सहमत नहीं हो सकता । कल परसों मैंने भी प्रश्न दिया कि सारे बोर्डर पर तस्करी हो रही है, रसद विभाग की एक जीप उसे नहीं रोक सकती जिस तरह से माननीय खाद्य मंत्री व्यवसाइयों को गिरफ्तारी पर उनका छोड़ना नहीं रोक पाये । ऐसे अक्षम रसद विभाग से तो तत्क्षण इस्तीफा दे देना चाहिये । इस विभाग का काम तो केवल क्लैक को बढ़ावा देना है और कोई उद्देश्य हो नहीं सकता है । यहां इतने कर्मचारी बेकार पड़े हुये हैं, सीमेंट के भी बेकार हो गये, कोई काम नहीं है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठायी है, यह तो एक आम रिवाज है कि प्रत्येक ग्रांट की मंजूरी ली जाती है और यह तो सरकारी हिसाब-किताब है, यह कोई ऐसी बात नहीं है कि उसका आडिट न होता हो । उसकी तो जांच–पड़ताल होती है । तो उसको गोपनीय रखने का इरादा नहीं है और जहां तक उपयोगिता का सवाल है, यह सदन में लगातार आवाज उठती रहती है कि स्मगलिंग होता, है, विशेषकर गोरखपुर में और वहां से बिहार और नेपाल को होता है । खाद्य विभाग के पास कोई ऐसा साधन नहीं था द्रुतगामी जिससे सफल चेकिंग हो सके । इसलिये एक डिमांड है कि एक जीप दे दी जाय २० हजार रुपये की, उसे भी बचाने की कोशिश की जा रही है । केवल १०० रुपये की टोकेन डिमांड है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या १५ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १६--वैज्ञानिक शोध और सांस्कृतिक कार्य

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या १६--वैज्ञानिक शोध और सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या १ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से सरकार ने इस संगीत विद्यालय को अपने हाथों में लिया है तब से सरकार ने पहला काम यह किया है कि जो वरिष्ठ और भारतवर्ष में विख्यात विशेषज्ञ वहां के अध्यापक थे उनको वहां से निकाल दिया गया। इसलिये मैं इस अनुदान का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या १६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपायध्क्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६--वैज्ञानिक शोध और सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपुरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १७--शिक्षा

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७० शिक्षा के अन्तर्गत ८०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

*श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या १७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में यह मांग एक सैनिक स्कूल को कुछ संपत्ति ट्रान्सफर करने के निमित्त रखी गयी है। इस सदन में इसके पहले भी मैं इसका विरोध कर चुका हूं। मैं सैनिक स्कूलों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आज सरकार इन ट्रस्टों का जिस प्रकार से दुरुयोग कर रही है वह उचित नहीं है। एक ट्रस्ट है जिसके माननीय कैलाश प्रकाश जी भी सदस्य हैं। सदन में इन ट्रस्टों के बारे में व्यापक चर्चा हो चुकी है। इस समय मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। सरकार एक ट्रस्ट की प्रापर्टी जो दूसरे ट्रस्ट को ट्रान्सफर करने की बात करती है यह ठीक नहीं है। दूसरी बात यह कि इस सरकार के मंत्रियों को नीति सम्बन्धी बातों को देखने तक की फुरसत नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद]

जो नीति दास साहब ने बना दी, उसी पर यह चलने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों यह सरकार सैनिक शिक्षा को अपने अन्तर्गत नहीं रखना चाहती? सरकार क्यों उसको कर्मचारियों के सुपुर्द कर रही है? इसलिये मैं इस अनुदान का विरोध करता हूं। सरकार के अन्तर्गत यह सैनिक शिक्षा चलना चाहिये। मान्यवर, एक लारी में केवल एक बच्चा बैठ कर आता है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार द्वारा इस ओर ध्यान न देने का क्या कारण है?

एक दूसरा अनुदान है जिसका सम्बन्ध यूनिवर्सिटी के अन्दर अध्यापकों को नया ग्रेड देने के सम्बन्ध में है। उसके लिये केन्द्रीय शिक्षा मंत्री छागला ने भी काफी हिस्से में रुपया देने को कहा है। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वे इस बात की घोषणा यहां अवश्य करेंगे कि जो नवीन ग्रेड स्वीकृत हुआ है वह लागू होगा। कौंसिल में तो इसकी घोषणा हुई है लेकिन यहां इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं, कृपा करके इस को स्पष्ट करेंगे कि उस अनुदान का इसमें जिक्र न करने का क्या कारण है?

एक अमेरिकन संस्थान की ओर से दूध बांटने के नाम पर ८ लाख रुपये का अनुदान रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह आखिर क्यों? अगर अमेरिका को दूध बंटवाना है तो अपने खर्चे से बंटवावें, यह क्या कि दूध तो हमारे यहां का हो और दूध बांट कर के इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाय, न मालूम इस में सरकार क्यों उनकी सहायक बनने जा रही है?

एक दूसरी बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् को कुछ कापियां देखने के लिये रुपया देने का प्रबन्ध किया गया है। परिषद् का स्वयं ही काफी प्रभाव है और अपना खर्च उठाने के लिये वह सक्षम है। ऐसा नहीं है कि वे अपना खर्च स्वयं नहीं चला सकते हों और इसमें असमर्थ हों। हम उनको अनुदान भी देते हैं और वे इस काम को स्वयं कर सकते हैं।

गांधी अनुसंधान संस्थान, राजघाट, दिल्ली का जिक्र भी इसमें आया है। मैं समझता हूं कि श्री जयप्रकाश के विचारों से माननीय मंत्री जी सहमत नहीं हो सकते क्योंकि गांधी जी के नाम पर आज देश के अन्दर जितने काम हो रहे हैं उनसे सभी परिचित हैं इसलिये अपनी आंखें बन्द करके इस गरीब प्रदेश का रुपया दिल्ली की एक संस्था को देना उचित नहीं है और ऐसे समय में जब कि हमारे यहां इतना आर्थिक संकट हो, मैं समझता हूं कि माननीया सुचेता जी आचार्य जी के सुझावों को मानेंगी। उस समय मुझे याद नहीं आया क्योंकि वे उस समय यहां बैठी हुई नहीं थीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आज के नवजीवन से पढ़ कर सुना दूं। आचार्य जी ने कहा है कि एक एक मिनिस्टर के पास दस-दस चपरासी हैं जिनका काम केवल दरवाजे को खोलना और दूसरे ऐसे काम करना है....

श्री उपाध्यक्ष—

उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद—

मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ओर सरकार द्वारा यह अपव्यय और दूसरी ओर हमारे शिक्षकों का पेट भूखा रहे, इनमें कोई साम्य नहीं है। शिक्षा विभाग दान दे दिल्ली को और हमारे शिक्षक भूखों मरें। एक तरफ केन्द्र तो कहता है कि तुम अपने पास से दो और हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे पास नहीं है लेकिन दूसरे को देने के लिये शिक्षा विभाग के पास रुपया है, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मुझे आशा है कि माननीय कैलाश प्रकाश जी और माननीय सुचेता जी घर की बात को जरूर मानेंगी। घर की बात घर ही में रह जाय तो ज्यादा अच्छा है।

*श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, मैंने बड़े ध्यान से कटौती प्रस्ताव पर हुए भाषणों को सुना और उन बातों को सुन कर मुझे प्रतीत हुआ कि सम्भवतः कुछ भ्रम है जिनके कारण उनको ये विचार व्यक्त करने पड़े हैं। पहली बात तो सैनिक स्कूल के विषय में है और उन्होंने किसी संस्थान की यहां चर्चा कर दी। इसका सैनिकों के रूप में कुछ सम्बन्ध नहीं है। अगर माननीय सदस्य इसकी भाषा को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सैनिक स्कूल स्थापित है और सैनिक स्कूल स्थापित हो जाने के बाद उसे एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बना देने का प्रस्ताव है। रजिस्टर्ड सोसाइटी बना दें तो केवल लाभ इतना हो सकता है कि उसका काम स्वतः चलने लगे। माननीय सदस्य हमेशा यहां इस बात की शिकायत करते हैं कि शासन का काम क्योंकि बहुत लम्बा-चौड़ा होता है, कई विभाग कई जगह उस काम को करते हैं, इसलिये यह जरूरी समझा गया कि इस संस्था को चलाने के लिये अलग से कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो।

(इस समय ४ बजे अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

तो यह रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाने की आयोजना है। इस में और कुछ नहीं, यह नहीं कि सैनिक घुस कर काम कर रहे हैं या संस्थान के रूप में काम कर रही है। यह तो एक शिक्षा संस्था है।

दूसरी बात आपने कही डिग्री कालेज के बारे में जो वेतनक्रम हैं। मैं पुनः इस सदन में भी निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जो वेतन क्रम निर्धारित किये हैं विश्वविद्यालयों के लिये स्नातकोत्तर और कालेजेज के लिये। उसके लिये उन्होंने हमारे पास एक पत्र भेजा था कि इस-इस तरह के वेतन-क्रम हैं। आप इन से सहमति रखते हैं या नहीं? आप योजना में शामिल होने के लिये तैयार हैं या नहीं? हमने उत्तर दे दिया कि हम तैयार हैं और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री पार्लियामेंट में इस बात को कह चुके हैं। इसलिये बारबार इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं समझी गई? उसी पत्र में यह बात भी थी कि इसका मैकेनिज्म तय होना है यानी पे फिक्सेशन किस तरह हो, सेलेक्शन किस तरह से होंगे और उसी में यह भी लिखा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से वह चीज तय होगी जबकि प्रदेशीय सरकार भी वह चीज तय कर लेगी। अब उनका सवाल है कि इस बजट में क्यों नहीं आया—मैं कहता हूं कि माननीय सदस्य ने तो इतनी बात भी नहीं पूछी कि क्या धनराशि है और कहां से आई है। अभी जब कि सारा मैकेनिज्म तय न हो जाय, इस में रख कर क्या करेंगे। आगे आयेगा उसमें रक्खेंगे। इसके बाद गांधी अध्ययन संस्थान के बारे में आपने एतराज किया है। इस में भी एतराज करना तो मैं समझता हूं कि केवल एतराज के लिये ही था और कुछ नहीं। इतनी ही बात कहने को थी।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने जो बात कही मैंने बड़े गौर से सुनी। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह जानना कहां से रुपया आ रहा है कोई बात नहीं। किन-किन खर्चों की संस्तुति स्वीकार कर रक्खी है, कितना रुपया मंजूर करना है यह भी मालूम है। कट कहां रहा है? जब कोई खर्चा कटाइये तब भी हमें बताइये क्योंकि उनके साथ भी हमारी भावनायें सम्बद्ध हैं। होता क्या है। हमारे यहां का खर्चा कट कर के चला जाता है। पीछे वाले को मिला, सामने वाले का काटा, कहां काटा यह सब हमें साफ बता दें तो ठीक है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत ८०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १८—चिकित्सा

श्री बंशीधर पांडेय—

अधिष्ठाता जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कदाचित हमारा और मंत्री जी का अब एक जगह समझौता हो गया है। वह यह है कि हमारा कहना है कि कट कर न दिया जाय और उनका कहना है कि वह यह नहीं बतावेंगे कि कहां से काटेंगे। चिकित्सा में दवाइयां काटी हैं या रोगियों की शैया काटी हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। अगर आंख के अस्पताल अलीगढ़ को करते हैं तो सीतापुर के आंख के अस्पताल के लिये भी करना चाहिये। राजनैतिक लोगों को बल देना और निस्सहाय का काटना उचित नहीं है। दाऊ दयाल जी आ गये हैं वे बतलावें कि कहां से काटेंगे। हर अनुदान में लिखा है कि बचत करेंगे। अगर ये कहते कि ५० कमिश्नर काट दिये हैं तो हम मान सकते थे।

श्री बंशीधर पान्डेय—

हमने तो एडीशनल तो मांगा नहीं है। बचतें बहुत सी मदों में होती हैं। दवाइयों या शैयाओं से बचत नहीं है। ये तो मुख्य चीजें हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

बचत होगी कहां जब तक कटेगा नहीं ?

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १८ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उपाध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत २१,४९,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

मुख्यतः इसमें स्केयरसिटी एरियाज के लिये पेय जल की योजना हैं। इसमें ९० प्रतिशत भारत सरकार का और १० प्रतिशत जनता का है। यह बड़ा अच्छा काम है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १९ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जहां जल का विशेष अभाव है वहां सरकार कुछ प्रयत्नशील है। लेकिन सैकड़ों गांवों में पेय जल की व्यवस्था नहीं है। ओस चाटने से तो प्यास नहीं बुझ सकती इसलिये वह किसी व्यापक योजना के लाने पर विचार क्यों नहीं करते और उसकी योजना क्यों वह पेश नहीं करते। मंत्री जी तमाम अनदान पेश करते हैं लेकिन स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के खोलने की कोई बात नहीं होती, उस पर लाखों रुपया व्यय हो रहा है लेकिन वहां शिक्षा बन्द है केवल थोड़े से मंत्रिमंडल के दुराग्रह के कारण। बच्चों की बात है, कोर्स की बात है, अगर अच्छा कोर्स कर दें तो अच्छा है और फिर सख्ती से आप उनकी परीक्षा लें और वह पास न हों, उनको आप आगे न बढ़ने दें लेकिन कोर्स ठीक करने में क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत २१,४९,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ५०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मंत्री जी ने इसको बड़ी शर्म के साथ पेश किया है और ऐसा मालूम होता है कि उन्हें अपनी अकर्मण्यता पर बहुत दुःख है और अपने कार्य से वह स्वयं दुखी हैं। मैं मजबूर हूं कटौती के प्रस्ताव लाने के लिये वर्ना कृषि में क्या कटौती का प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करता। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सम्पूर्ण अनुदान संख्या २० के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। जिस तरह से मंत्री जी ने चूहा मारो आन्दोलन चलाया, उसी प्रकार वह तम्बाकू खाओ आन्दोलन चला रहे हैं और एक गोबर गैस आन्दोलन चला रहे हैं, तीनों आन्दोलन इनके प्रमुख आन्दोलन हैं। इसमें तम्बाकू आन्दोलन की और उसके विकास की योजना है, दूसरी योजना इसमें है गोबर गैस प्लान्ट की है। एक भूमि संरक्षण की योजना है लेकिन वह इस योजना की तरफ सीरियस नहीं है और उसके कोई आंकड़े आज तक उपलब्ध नहीं हैं। यह भी पता नहीं है कि आंकड़े २० लाख टन के कृषि विभाग के सही हैं या प्लानिंग विभाग के ठीक हैं, कौन

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

कम हैं या कौन ज्यादा हैं। अगर असरकारी सुझाव आते हों तो सरकार उन पर गौर नहीं करती। एक श्री साहनी हैं वह गन्ने के संबंध में उपयोगी सलाह दे सकते हैं लेकिन सरकार गन्ने के संबंध में केवल मिल मालिकों के हित को देखती है लेकिन गरीब किसानों का हित नहीं देखती। वैसे इस तरह अनुदान को अस्वीकार करते अच्छा नहीं लगता लेकिन अगर कृषि मंत्री जी स्वयं चूहा खाना शुरू कर दें तो हम इस पर विचार करें।

(श्री कमला सिंह यादव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है, जो तय हो गया है उसके अनुसार ही चलिये।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ने कृषि विकास की योजना में भी कटौती का प्रस्ताव किया है यह अनुदान केवल ५०० रुपए का है। उनको शायद ठीक नहीं लगता कि हमारे यहां कृषि का विकास हो। मैंने जो यह अनुदान पेश किया है उसका कोई बहुत बड़ा धन नहीं है। आप गोबर गैस प्लान्ट की बात करने लगे। मैं उस अनुदान को भी पेश करने वाला ही था कि उसके पहले ही माननीय सदस्य कहने लगे। ऐसा मालूम पड़ता है माननीय सदस्य ने इस अनुदान के बारे में पढ़ा ही नहीं है। जो मौजूदा अनुदान है इसके द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में २०-२० एकड़ के २ व्यवसायिक फल उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और ५-५ एकड़ की १० पौध शालायें स्थापित की जा रही हैं। यह तो ऐसा अनुदान है कि जिस पर हर एक सदस्य को अपनी सहमति प्रकट करनी चाहिए।

हमारे प्रदेश में ३० लाख एकड़ भूमि ऊसर पड़ी हुयी है जिसको खेती योग्य बनाने के लिये भारतीय सरकार ने एक स्कीम को स्वीकार किया है और उसके लिये हमें अनुदान भी दिया है। इस ऊसर जमीन को हम खेती योग्य बनाकर पैदावार में आगे बढ़ सकेंगे। एक तम्बाकू के विकास की योजना बनायी गयी है जिसके तहत कुछ रुपया मांगा गया है इससे तम्बाकू की उपज प्रति एकड़ बढ़ेगी।

इसके अतिरिक्त भूमि संरक्षण निरीक्षकों की ट्रेनिंग के लिये भी इसमें प्राविधान किया गया है और मेरा ऐसा खयाल है कि माननीय सदस्य, जिन्होंने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, इसके महत्व को समझकर अगर अपने प्रस्ताव को वापस ले लें तो उनके हित में होगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि चाहे वे इस धनराशि को हमसे लें लें लेकिन अपनी इस मांग को वापस ले लें। इससे इनका काम भी चल जायगा और अनुदान पेश भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २० के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल का सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्रीमन्, जहां तक इस अनुदान का सवाल है मैं तो आशा करता था कि मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन से प्रदेश और देश का भला होगा लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि अभी तक जितना रुपया कुक्कुट पालन के लिये दिया गया है वह सब बेकार ही गया है। देखा गया है कि ५-५ दिन या एक-एक महीने के मुर्गियों के बच्चे दिए जाते हैं। उनमें से बहुत तो जाते ही जाते मर जाते हैं। अगर १ या २ हजार मुर्गियों के बच्चे दिए जाते है तो मुश्किल से १०० आसानी से पहुंच जाते हैं। तो जो ऐसा हमारे मंत्री जी करने जा रहे हैं यह बिलकुल खेल है और जितना रुपया इसमें व्यय किया जा रहा है वह सब बर्बाद हो रहा है।

जहां तक मत्स्य पालन का संबंध है, इसमें बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है। कहा गया था कि इसके लिये गड्ढे और पोखर खोदे जायेंगे। इनसे सिंचाई भी होगी और मत्स्य पालन भी होगा लेकिन देखने में आया है कि वे पोखरें जुलाई-अगस्त में खोदी जा रही हैं जबकि बारिश हो गयी है। ऐसा लगता है कि सरकार को भी उन्हें देखने का मौका नहीं मिला है क्योंकि अगर वे मई-जून में खोदी जाती तो पता लगता कि कहां पर खुदे हैं और कहां पर नहीं। श्रीमन्, हमको चिनहट जाने का मौका मिला है। वहां पर मत्स्य पालन के लिये बहुत बड़ा स्थान है। कहा गया कि वहां पर मछली पाली जाती है और बाहर भेजी जाती है लेकिन जब गांव वालों से पूछा तो उन्होंने यह कहा कि यहां कुछ नहीं होता है। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं। मंत्री जी बता दें कि जो सांड़ रूस को इन्होंने दिया था वह उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया? दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि माननीय मैनेजर सिंह को एक बकरे के जरूरत थी और सरकार के आदेशानुसार उन्होंने १० ० जमा भी कर दिये लेकिन आज तक उस बकरे का पता नहीं, बरबरी शेरों का आज तक पता नहीं। इसी तरह से सांड़ के लिये जो लोग पया जमा कर रहे हैं वर्षों बीत जाते हैं, रुपये का पता नहीं लगता और न सांड़ का पता लगता है। तो अगर आपका विभाग इतना अकर्मण्य हो गया तो बेहतर है कि इसको तोड़ दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

समय का ध्यान रखें, दो मिनट से ज्यादा न लें।

श्री कमलासिंह यादव—

इसी प्रकार इस विभाग के द्वारा यह उम्मीद की जाती थी कि मवेशियों का इलाज होगा। लेकिन सरकार ने १०-१५ पैसे का टैक्स लगा दिया जिसका नतीजा यह है कि कोई गरीब आदमी इलाज के लिये अस्पताल में नहीं जाता है। तो एक तरफ तो वैरायटी क्रीएट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इलाज की सुविधा न होने के कारण जो जानवर हैं वह भी नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिये यह जो आप ने १०-१५ पैसे का टैक्स लगा दिया है इसको मंत्री जी जल्दी से जल्दी हटा दें अन्यथा नई वैरायटी का तो पता ही नहीं लगेगा, जो मौजूदा जानवर हैं वह भी नष्ट हो जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलदेवसिंह अर्य—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो अनुदान पेश है। उससे कुछ बाहर की बातें कहीं हैं। हो सकता है कि उनके सुझाव उपयोगी हों, उनके सुझाव से कुछ लाभ हो सकता है, किन्तु यह जो अनुदान मैंने पेश किया है इसमें मत्स्य पालन का एक शिक्षा संस्थान बम्बई में है उसमें १० कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग देने का प्रश्न है। ८ आदमी इस समय तक ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं और इस समय कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही इस अनुदान से संबंध है। दूसरे यह है कि कृत्रिम गर्भाधान के ५१२ जो कार्यकर्त्ता हैं उनको ट्रेनिंग दी गयी या दी जा रही है उस पर खर्च होगा। इसी तरह से एक संयुक्त राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय निधि है जिसके द्वारा २६ विकास खन्डों में कुक्कुट पालन का कार्य प्रारम्भ किया जायगा। ये ऐसी चीजें हैं जो जनता के फायदे के लिये हैं और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये उपयोगी हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, तो उम्मीद कर रहा था कि मंत्री जी समझ गये होंगे क्योंकि मैंने तो विभाग को ही जो तोड़ने की बात कही थी फिर शिक्षा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। २६ एकड़ जमीन की जो बात कर रहे थे मैं तो उम्मीद करता था कि माननीय गेंदासिंह वहां पर जो बढ़िया बीज होता है, उसका प्रोडक्शन वहां करायेंगे ताकि प्रदेश के गांव गांव में उस बीज को फैला सकें। लेकिन अफसोस है कि केवल चूहे मारने की स्कीम में ही वह कामयाब हो पाये। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि मंत्री इन बातों को मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मंत्री जी ने इस बाले सांड़ के बारे में कुछ नहीं कहा। उपाध्यक्ष महोदय, उस बारे में मंत्री जी से जवाब दिलवा दीजिये कि उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या २२ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत ३०० रु० की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—सहकारिता

श्री वंशीधर पाण्डेय—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या २३ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

अभी मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की राज्य कर्मचारियों का भत्ता इसलिये बढ़ा रही है कि जो उनकी भंडारों की योजना थी वह लगभग फेल हो गयी। मेरा कहना यह है कि मूलतः कोई भी सहकारी भंडार हो जब तक मिडिलमैन का प्राफिट कम नहीं किया जाता है तब तक कीमतें कम नहीं हो सकतीं हैं। आप देखेंगे कि सहकारी उद्योग से प्राइवेट उद्योग

में सस्ती चीजें मिलती हैं। उसका कारण यह है कि प्राइवेट उद्योग वाले सेल्स टैक्स से बच जाते हैं और सहकारी उद्योग वाले उससे बच नहीं पाते हैं और निजी दूकानों पर इसी कारण सहकारी उपभोक्ता भंडारों से सस्ती चीज मिल जाती हैं। जो चीज सरकार के अपने नियंत्रण में हैं उत्तर प्रदेश को छोड़कर सारे प्रदेशों को केन्द्रीय सरकार सब जगह उपभोक्ता भंडारों को देती है और हमारी नीति उसके विरुद्ध है। जब बाजार में सहकारी भंडारों में महंगी चीजें मिल तो ऐसी स्थिति में रुपया खर्च करने का कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा अधिक अधिकारी बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है और वह केवल फिजूलखर्ची है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २३ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—उद्योग

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत २,२९,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामप्रवार कनौजिया (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

यह ठीक है कि उद्योगीकरण इस प्रदेश के लिये बहुत आवश्यक है और एक रुपये का प्रस्ताव ऐसी हालत में वाजिब नहीं है लेकिन जब सरकार गलत दिशा की ओर चल रही है तो मजबूर होकर यह प्रस्ताव मुझे रखना पड़ा है। इस प्रदेश में कृषि के बाद उद्योग ही पर अर्थ व्यवस्था निर्भर करती है लेकिन छोटे उद्योग धन्धों की उपेक्षा इस प्रदेश में की जा रही है और बड़े उद्योगों पर ध्यान ज्यादा दिया गया जिसका परिणाम यह हुआ है कि वे क्षीण व्यवस्था को पहुंच गये हैं। अब तक तो धन इन उद्योगों पर खर्च किया गया है, चाहे कोई उद्योग स्थापित हुआ हो या नहीं, लेकिन धन इतना खर्च हुआ कि उसके अनुपात में जो इकाइयां स्थापित हुईं वह शून्य मात्र हैं। वास्तव में धन का अपव्यय हुआ है। दूसरे इस सरकार से अनुरोध है कि उद्योगों को धन देने की दृष्टि से केवल इकाइयों का ही स्थापित हो जाना लक्ष्य न रखा जाय बल्कि उत्पादन को ही प्रगति का लक्ष्य माना जाय। इसलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या २४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत २,२९,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक निवेदन कर दूं। अब कोई कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं हो सकेगा चूंकि समय बिलकुल नहीं रहा। अब सिर्फ अनुदान पेश होगा और वोट कर दिया जायगा।

अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय

श्री बंशीधर पान्डेय—

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत २२,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कटौती नामचार के लिये तो पेश करने दीजियेगा। आप यह देखिये कि नियोजन कितनी बड़ी घपलेबाजी की है और आप यह कह रहे हैं कि अनुदान दे दो।

श्री उपाध्यक्ष—

स्पीच नहीं होगी। सिर्फ प्रस्ताव पेश कर दिया जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत २२,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी जातियां

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत ९०,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । क्योंकि मेरिट के आधार पर नहीं दिया जा रहा है और यह जरूरी है कि मेरिट वाले लड़कों को दिया जाय । लेकिन तहसीलदारों से गलत प्रमाण-पत्र दिला कर जो निकम्मे हैं उन्हीं को दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदन संख्या २८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८-अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत ९०,००,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१-सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ७६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३१ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

जो सरकार बोरिंग भी कुओं की नहीं करा सकती है उसको एक पैसा भी नहीं देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३१ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है कि मंत्री जी ने यह अनुदान प्रस्तुत ही नहीं किया है और बिना प्रस्तुत किये ही आप पास करा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, उपस्थित किया है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

किया है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, उन्होंने कहा कि उपस्थित नहीं किया और आपने कहा कि किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने उपस्थित किया है ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१–सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ७६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५–सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं, के अन्तर्गत २,००,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । आप जानते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्या हालत है। इनके हाथ में रुपया सुरक्षित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५–सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, के अन्तर्गत २,००,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०–दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत २०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकर की जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४० के अधीन मांग के राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । मैं सरकार से कहूंगा कि वह अब भी फेमिन कोड को जिन्दा बनाये हुये हैं । प्रदेश में १९ साल से कांग्रेस राज्य है फिर भी वह फेमिन कोड जो अंग्रेजों का बनाया

हुआ है जिससे उन्होंने किसानों को राहत नहीं दी थी बल्कि अपना राज्य कायम रखने के लिये बनाया था, उसी को आज भी कांग्रेस सरकार लागू किये हुये हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार को फेमिन कोड बदलने का ऐलान करना चाहिये। आज जो जरूरत है और किसानों के ऊपर आपत्तियां आती हैं उनके लिये उनको सहायता दी जाय और इस फेमिन कोड को बदला जाय । इस फेमिन कोड को बदलिये सुचेता कृपलानी जी आपका अच्छा समय होगा आपका अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिये आप इस फेमिन कोड को बदलिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४० के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत २०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत १३,९४,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, क्या अनुदान संख्या ४४ नहीं प्रस्तुत करनी चाहिये थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

५४ की जगह पर ४५ है ।
(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

नहीं, नहीं, चार्ज्ड आईटम भी पेश होता है, केवल उस पर वोट नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष—

चार्ज्ड आईटम पेश नहीं होता और वैसे भी है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न है, पूरा बजट सदन के सामने प्रस्तुत होता है । आपको यह गलत इन्फार्मेशन है कि चार्ज्ड आईटम सदन के सामने पेश ही नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो बाद में हो जायगी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

हम राज्यपाल के और विधान मंडल के खर्चे पास करते हैं, उन पर वोट नहीं होता है, किन्तु पेश तो फिर भी होता है । यदि आपका ऐसा कहना है, तो अच्छा फिर आज से यह मान लिया जाय कि चार्ज्ड आईटम सदन के सामने पेश नहीं होंगे ।

श्री जयराम वर्मा—

वह मतदेय नहीं है, यहां पर तो मत लिया जा रहा है । भारित पर मत नहीं लिया जायगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५–प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत, १३,९४,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७–कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,०८,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मंत्री जी वहां से छूट गये थे, यहां गोबर गैस प्लान्ट में फंस गये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४७ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,०८,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,२५,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री डम्बरेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पूंजी परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी मांग है और इसमें अल्प सिंचाई योजनाओं को काटकर रुपया इसमें दिये दे रहे हैं । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४८ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,२५,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय ।

मंत्री जी पाइप की फैक्टरी खोल रहे हैं । जो पीपे खाली पड़े हुये हैं उन्हीं से पुल बनवा दें । लेकिन यहां तो अब जितनी इमारतें यह सरकार बनवाती है वह हर साल टूटती हैं । एक लूट मची हुई है । मैं समझता हूं कि इस विभाग को एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि को घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १,५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५५ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो सरकार खुद कर्जदार है और दूसरों को कर्जा देती चली जाय और ऐसे लोगों को देती जाय जिनके हिसाब किताब का कोई पता नहीं है तो इनको रुपया कैसे दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६६

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जिन अनुदानों को इस सदन में पास नहीं किया गया उन अनुदानों को इस विनियोग विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष—

सम्पूर्ण अनुदान पास हो गये हैं । कोई नहीं रह गया है ।

श्री जयराम वर्मा—

मैं तो सदन से अनुज्ञा मांग रहा हूं । अभी विधेयक की कापी बांटने का प्रश्न नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन अनुज्ञा दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आप बैठ जाइये । (व्यवधान)

श्री जयराम वर्मा—

मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ के प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६६ को पुरः-स्थापित करता हूं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें आप देखें कि बहुत से अनुदान ऐसे रह गये हैं कि जिनको आपने सदन में उपस्थित होने नहीं दिया । मैं यह समझता हूं कि उन अनुदानों को इस सदन ने अनुमति नहीं दी तो उनको विनियोग विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसमें बहुत से ऐसे अनुदान रह गये हैं जिनको बिलकुल पास नहीं किया गया । उनको आप इस विनियोग विधेयक से निकाल दें क्योंकि इस सदन ने उनके खर्चे की स्वीकृति नहीं दी है. . . . . (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह कह चुका हूं कि जो भारित मांगें हैं उनके लिये स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा निवेदन यह है कि जो प्रस्ताव सदन में पेश नहीं हुआ है वह पेश होगा । यह तो अलग व्यवस्था है लेकिन विनियोग विधेयक में शामिल करने का प्रश्न बिलकुल अलग है । अगर आप प्रिजुडिस्ड हैं तो आप इस सीट को छोड़ दें । माननीय अध्यक्ष अपनी व्यवस्था देंगे । मेरा निवेदन है कि आप संविधान की वह धारा दिखाइये. . . .

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

१५ मिनट का समय तो बढ़ा दीजिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

बीच में समय नहीं बढ़ाया जा सकता ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

भारित मदों पर मतदान की आवश्यकता नहीं है । यदि मतदान की आवश्यकता नहीं है तो उनको विनियोग बिल में आने की आवश्यकता नहीं थी । उनका इंक्लूजन इसमें गलत हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अब समय नहीं बढ़ सकता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मुझे खत्म तो कर लेने दीजिये। इसमें ऐसी मदें भी शामिल हैं कि जिन पर बहस नहीं हो सकती, मतदान नहीं हो सकता। उनको आखिर इस बिल में शामिल ही क्यों किया गया?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने आर्टिकिल २०२ पढ़ा है? आप समाप्त कीजिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

वित्त मंत्री जी ने कहा था कि भारित मदों पर मतदान की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको इस विनियोग विधेयक में नहीं आना चाहिये था . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आपको स्थिति का पता नहीं है। जरा सब्र करेंगे तो पता चल जायगा।

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

मेरा पहला निवेदन तो यह है कि सदन का समय बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मैंने १५ मिनट के लिये बढ़ा दिया है।

श्री कैलाशप्रकाश—

दूसरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य जो एतराज कर रहे हैं वे जरा विचार तो कर लें। जैसा कि संविधान में है, दो तरीके के खर्च होते हैं। एक खर्चे वे हैं जो मतदेय कहलाते हैं और दूसरे हैं भारित। आप इसमें देखेंगे कि अनुदानों को दो भागों में तकसीम किया गया है। मतदेय वे मदें हैं कि जिन पर सदन का मत प्राप्त करना है। इसी आधार पर सदन में जो मदें प्रस्तुत की गयी थीं वे मतदेय मदें हैं और उन पर सदन का मत प्राप्त करना था। दूसरे प्रकार की मदें वे हैं कि जो भारित हैं। यानी उनको यहां लाना नहीं है, वह खर्च तो करना ही पड़ेगा। जो विधेयक उपस्थित किया गया है उसमें दो स्तम्भ दिये गये हैं। एक मतदेय का है और दूसरा भारित मदों का। मतदेय में जो मदें हैं उन पर सदन का मत प्राप्त हो चुका है, दूसरी भारित धनराशियां हैं। चूंकि वे भारित हैं अतएव संविधान के अन्तर्गत कंसालिडेटेड फंड से तब तक उनके लिये भी पैसा नहीं निकाला जा सकता जब तक कि माननीय सदन की उनके लिये आज्ञा न हो। इसलिये यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें दोनों, मतदान और भारित दोनों मदों का समावेश है और इस पर आप से आज्ञा चाही गयी है कि इन दोनों प्रकार की मदों के लिये उस फंड से रुपया निकालने की आप आज्ञा प्रदान करें। इसमें कोई संवैधानिक आपत्ति है नहीं और हो भी नहीं सकती। अतः मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस विधेयक को इस रूप में स्वीकार करें।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था के बाद व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। एक व्यवस्था चल रही है, आप बैठ जाइये।

मैंने सुन लिया। अब जरा अनुच्छेद २०४ देखिये—"विधान सभा द्वारा अनुच्छेद २०३ के अधीन अनुदान दिये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र राज्य की संचित निधि में से—

(क) सभा द्वारा इस प्रकार किये अनुदानों की; तथा

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की पूर्तिके लिए अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जायगा . . ."

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जरा २०३ भी पढ़ दीजिये और आपने भारित अनुदान पर जो बहस नहीं होने दी उस का क्या आधार था ? "राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राक्कलन विधान सभा में मतदान के लिए न रखी जायंगी, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया जायगा कि वह विधान मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी पर चर्चा को रोकती है।" आपने उनको रखने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

जनरल डिस्कशन हो गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जनरल डिस्कशन नहीं हुआ, आपने प्रस्तुत नहीं होने दिया। मैंने उसी समय साफ किया था और आपने उसी समय रोका। दोनों बातें साफ हैं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप कोई नयी व्यवस्था पेश कर रहे हैं, या पुराने व्यवस्था के प्रश्न से सम्बन्धित है ?

श्री रामायणराय—

मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि माननीय सदस्य सदन द्वारा निर्धारित समय को नष्ट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठ जाइये।

मैंने सब सुन लिया, अब सुनने की जरूरत नहीं है। देखिये, व्यवस्था का प्रश्न जो उठाया गया वह यह है कि इस बिल में भारित किये हुए आइटम्स नहीं लाये जा सकते।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने यह कहा है कि जिन बातों को सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया उनको विधेयक में नहीं लाया जा सकता।

(अत्यन्त शोर के बीच)

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुनिये। जिस दिन अनुपूरक बजट पेश हुआ उस दिन वह सदन के सामने आ गया। आर्टिकिल २०४ के अन्तर्गत जो अनुदान सदन में पेश किये गये हैं वे इसमें आये हैं। इसके अलावा जो आइटम्स हैं वे भी इसमें शामिल होंगे, लिहाजा आपका एतराज बेबुनियाद है और संविधान के खिलाफ है, इसलिये इसको पेश करने की मैं अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९६६–६७ के लिए १,५६,८४,००० रुपया का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग १,५६,८४,००० रु० (एक करोड़ छप्पन लाख चौरासी हजार रुपया) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने के अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिया किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशि से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृति	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१०	आयुक्त और जिला प्रशासन	२००	..	२००
१४	पुलिस ..	३,१०,०००	..	३,१०,०००
१५	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन ..	१००	..	१००
१६	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य ..	१००	..	१००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१७	शिक्षा ..	८००	१,६००	२,४००
१८	चिकित्सा ..	५००	..	५००
१९	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	२१,४९,७००	१४,८००	२१,६४,५००
२०	कृषि संबंधी विकास ..	५००	१,३००	१,८००
२२	पशुपालन और मत्स्य पालन	३००	..	३००
२३	सहकारिता ..	१००	..	१००
२४	उद्योग ..	२,२९,०००	..	२,२९,०००
२५	नियोजन और समन्वय ..	२२,३००	२८,३००	५०,६००
२८	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	९०,००,१००	..	९०,००,१००
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	..	४,२००	४,२००
३१	सिंचाई अधिष्ठान ..	७६,१००	१,८००	७७,९००
३५	सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं	२,००,३००	..	२,००,३००
४०	दुर्भिक्ष सहायता ..	२०,००,०००	..	२०,००,०००
४४	वन	..	११,९००	११,९००
४५	प्रकीर्ण व्यय ..	१३,९४,५००	..	१३,९४,५००
४७	कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय ..	१,०८,०००	..	१,०८,०००
४८	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	१,२५,३००	..	१,२५,३००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	१,५००	..	१,५००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	७००	..	७००
	योग ..	१,५६,२०,१००	६३,९००	१,५६,८४,०००

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६६

३१ मार्च १९६७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए।

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम १ —यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१० अगस्त, १९६६।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १७–१८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२८ पर]

परिशिष्ट 'क'

ब्लाक का नाम	सड़क का नाम तथा लम्बाई	स्वीकृत अनुमानित लागत (लाख रु० में)	काम पूरा होने का सम्भावित समय	विलम्ब का कारण	किस विभाग की देख रेख में बनवाई जा रही है	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
धानूपुर (नदवा)।	१—बरौत-दुर्गागंज सड़क ७ मील।	२–१०	३१-३-६७ तक काम पूरा हो जाने की सम्भावना है।	पहले वर्ष मिट्टी का काम वर्षा के बाद हुआ है तथा इस पर एक वर्षा का होना आवश्यक है। इस वर्षा के बाद आगे का काम आरम्भ होगा।	जिला परिषद्, इलाहाबाद द्वारा काम किया जा रहा है।	जिला परिषद् द्वारा अब इस सड़क की अनुमानित लागत ६·५० लाख रु० आंकी गई है।
हंडिया	२—दुर्गागंज–जंघई सड़क ३ मील।	१–८०	३१-३-६७ तक काम पूरा हो जाने की सम्भावना है।	,,	,,	इस सड़क के लिये अब २·५० लाख रु० जिला परिषद, ने आंका है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
हंडिया	३—धानूपुर-बिठौली सड़क ६-१ मील।	६-२६	धनाभाव के कारण अभी से यह कहना कठिन है कि इस सड़क पर काम कब तक पूरा हो सकेगा।	भारत सरकार से आवश्यकता के अनुसार धन नहीं प्राप्त हो रहा है।	यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जा रही है।	..
..	४—बरौत-टेलाघाट सड़क ४ मील।	१-००	३१-३-६७	जैसा क्रम १ तथा २ की सड़कों के सम्बन्ध में है।	जिला परिषद्, इलाहाबाद	इस सड़क के लिये जिला परिषद् ने अब ३.२५ लाख रु० आंका है।
	५—बरौत-दुर्गागंज सड़क १ मील।	०-५०	३१-३-६७	"	"	..
सैदाबाद	६—सैदाबाद से सिरसाघाट (सिरसिया) ५ मील।	१-५०	धनाभाव के कारण अभी से यह कहना कठिन है कि इस सड़क पर काम कब तक पूरा हो सकेगा।	भारत सरकार से आवश्यकता के अनुसार धन नहीं प्राप्त हो रहा है।	यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जा रही है।	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३१ पर]

वर्ष	स्वीकृत धन	कार्य का नाम जहां धन व्यय हुआ	विशेष विवरण
१	२	३	४
१९६३–६४	३,६००.००	बिजौरिया रेलवे फाटक रोड	उपभोग हो चुका है
	३,६००.००	"	"
	२०,४००.००	१—अलीगंज–सिरौली रोड ..	"
		२—सीरगंज–सिरोली रोड ..	"
	२७,६००.००	३—समीखेड़ा शीशगढ़ रोड ..	"
		४—बरेली–उमेदपुर रोड ..	"
१९६४–६५	४०,०००.००	रिठौरा भंडसर रोड ..	उपभोग हो चुका है।
	२०,४००.००	१—फरीदपुर–पढेरा कच्चा रोड	उपभोग किया जा रहा है।
		२—बल्लियों–रम्पुरा रोड ..	उपभोग किया जा रहा है।
	६०,४००.००		
१९६५–६६	१०,०००.००	आंवला–बदायूं रोड ..	उपभोग किया जा रहा है।
	४०,०००.००	रिठौरा–भंडसर रोड ..	"
	२०,४००.००	ओ० डी० आर० तथा बी० आर० रोड	"
	७०,४००.००		
	३८,०००.००	पुल बहगुल नदी ग्राम पंचनगर ..	"
कुल योग	१,९६,४००.००		

उत्तर प्रदेश संसद

नत्थी 'ग'

[देखिये ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर]

इलाहाबाद में दिनांक ८–९ जून, १९६६ को कई स्थानों पर नाजायज गांजा, भांग बेचने वालों पर छापा मारकर गांजा, भांग बरामद किये जाने तथा संबधित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के विषय में विवरण।

क्रम-संख्या	थाने का नाम	दिनांक	स्थान जहां छापा मारा गया	गिरफ्तार किये गये आदमियों की संख्या तथा नाम	गांजा भांग तथा अफीम की बरामद की गई मात्रा	मामले की वर्तमान स्थिति
१	२	३	४	५	६	७
१	कोतवाली ..	८–६–६६	पान दरीबा जान्सटन-गंज का लाइसेंसदार तथा दुकान का विक्रेता	१––श्री कृष्ण प्रसाद पुत्र श्री बुद्धूलाल जैसवाल, १२४, पानदरीबा, थाना कोतवाली, इलाहाबाद।	भांग ७ मन ५ सेर, गांजा ६० तोला, अफीम १.१/२ तोला।	मामले की छानबीन होना है। बरामद की गई चीजों के इक्जामिनेशन के नतीजे की प्रतीक्षा की जा रही है।
				२––श्री राम जी पुत्र श्री युगलकिशोर, अहियापुर थाना कोतवाली, इलाहाबाद।	भांग करीब ७ मन गांजा २० तोला।	,,
		९–६–६६	जी० टी० काटजू रोड क्रासिंग।	१––मुन्नूलाल पुत्र श्री बसन्तलाल गौड़, निवासी जान्सटनगंज थाना कोतवाली।	गांजा ५ तोला	१६–७–६६ को चालान किया गया।
				२––जवाहरलाल पुत्र श्री बुलाकी, निवासी पानदरीबा, थाना कोतवाली।	गांजा ६.१/४ तोला	,,

				३—श्री बचई पुत्र श्री रामावतार निवासी पानदरीबा थाना कोतवाली।	गांजा ७.१/२ तोला	१६—७—६६ को चालान किया गया।
			नं० १ से ५ तक के पास अवैध गांजा बरामद हुआ। वे न तो लाइसेंसदार व्यापारी हैं और न ही विक्रेता।	४—श्री लल्लू पुत्र श्री शिवपूजन अहीर, निवासी पानदरीबा, थाना कोतवाली।	गांजा २.१/२ तोला	,,
				५—श्री पन्नालाल पुत्र श्री कउवा अहीर, निवासी पानदरीबा, थाना कोतवाली।	गांजा ८.३/४ तोला	,,
२	कीडगंज ..	९—६—६६	एस० एल० भार्गव रोड पर लाइसेंसदार दुकान का नौकर।	१—श्री अशर्फीलाल पुत्र श्री सुन्दरलाल, निवासी बीच वाली सड़क, कीडगंज।	अफीम ८० ग्राम, गांजा ४० ग्राम	अफीम के एक्जामिनेशन के नतीजे की प्रतीक्षा है २२—६—६६ चालान किया गया।
			क्रमांक २ से ४ तक के लोग दुकान के बाहर बेंचते हुए पाये गये थे।	२—श्री सहदेव पुत्र श्री मोतीलाल १३, गांजी का पुरवा, थाना कीडगंज।	गांजा ४ ग्राम	२२—६—६६ को चालान किया गया।
				३—श्री कामेश्वरनाथ पंडा पुत्र श्री बैजनाथ, ३६ अहियापुर, थाना कोतवाली।	गांजा ४.१/४ ग्राम	,,
				४—श्री रामजी उर्फ रम्मू पुत्र श्रीलालजी, १८५ नई बस्ती, थाना कीडगंज।	गांजा २.१/२ ग्राम	२२—६—६६ को चालान किया गया।
३	मुट्ठीगंज ..	८—६—६६	मुट्ठीगंज क्रासिंग का लाइसेंसदार (विक्रेता)।	१—श्री रामनरेश, पुत्र श्री होरीलाल कहार, निवासी अचलगंज, जिला उन्नाव, वर्तमान निवासी मुट्ठीगंज।	गांजा ८.१/४ तोला	अदालत में मुकदमा चल रहा है।
				२—श्री राम सजीवन पुत्र श्री रामसुफल निवासी मुट्ठीगंज, इलाहाबाद।	गांजा ८२४ ग्राम	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७
४	दारागंज	९-६-६६	दारागंज एक्का स्टैंड	१—श्री राम प्रसाद पुत्र श्री झग्गर, अहीर, निवासी दारागंज, लाइसेंसदार का नौकर।	गांजा ७.१।४ तोला, भांग २० तोला पिसी १४८ गोलियां	गांजे के नतीजे की प्रतीक्षा है। जिला आबकारी अधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया है। केस नानकागनिजेबुल नेचर का है।
५	कर्नेलगंज					
६	कैनिंगटन					
७	कैन्टूनमेन्ट					
८	धुमनगंज					

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०३ एल० ए०—१९६६—८४६।